राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] **तेरहवीं विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस** **[संख्या : 2**

गुरुवार,

11 अक्टूबर, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में पेयजल शुद्धिकरण हेतु नवीन तकनीक

1. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) एवं **श्री मानसिंह** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में पेयजल शुद्धिकरण के लिये कौन-कौनसी तकनीक को उपयोग में लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में उपयोग में ली जा रही तकनीक से मानव शरीर पर होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए अन्य विकल्प काम में लेने का विचार रखती हे? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतही एवं भूजल स्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित पद्धतियों से पेयजल का शुद्धिकरण किया जा रहा है :-

(अ) सतही जल का शुद्धिकरण– सतही जल स्रोत से प्राप्त जल में अशुद्धियों की मात्रा एवं प्रकृति अनुसार जल शोधन रैपिड सैण्ड एवं स्लो-सैण्ड फिल्टरेशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। फिल्टर से प्राप्त जल को लिक्विड क्लोरीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जीवाणुरहित किया जाता है।

(ब) भू-जल का शुद्धिकरण– भू-जल को लिक्विड क्लोरीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जीवाणुरहित किया जाता है। राज्य के जिन भू-जल स्रोतों में उपलब्ध जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक है, ऐसे

(डा. जितेन्द्र सिंह)

स्रोतों यथा हैण्डपम्प/नलकूप व भूतल जलाशयों पर डि-फ्लोरिडेशन संयंत्र स्थापित कर जल का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

(2) राज्य में उक्तानुसार वर्णित तकनीकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। फ्लोराइड एवं खारे पानी से प्रभावित स्थानों को वृहद् पेयजल परियोजनाओं (सतही जल स्रोत से) के तहत भी लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल शुद्धिकरण तकनीक में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों के परिणाम के आधार पर समय-समय पर विद्यमान पद्धतियों में आवश्यक सुधार पर विचार किया जाता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, अगर एक भी जगह आप बता दें कि शुद्ध पेयजल मिलता है राजस्थान में शहर या ग्रामीण में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। क्यों फालतू के गोलमोल जवाब दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपको खुद को पता है क्या रिपोर्ट्स रोज आती हैं। कल ही खबर छपी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): काम करके बताओ न। पीलिया और न जाने क्या-क्या रोग हो रहे हैं। दूषित पानी पीने से लोग कैंसर से मर रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह तो बात बिलकुल सुनिश्चित है कि आपके पास में दो ही तरीके से पानी आता है- या तो सरफेस वाटर आता है या ग्राउण्ड वाटर आता है। और आप यह खुद मानते हैं कि आपने फिल्टर सिस्टम से कर रखा है। अगर सरफेस वाटर आ रहा है तो उसको आप रैपिड फिल्टर सिस्टम से करते हैं। आपने स्वयं ही यह निवेदन किया कि आपके पास में एक मैनुअल है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का दिया हुआ है। यही वह मैनुअल है?

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यस सर।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इसलिये पूछ रहा हूं, अब इस मैनुअल के आप पेज नम्बर 94 और 95 पेज पढ़ेंगे, Interaction with other

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

treatment process, इसको आप फिल्टरेशन विद रैपिड सैण्ड फिल्टर कहते हैं। अब आप कौन से फिल्टर लगा रहे हैं? इन ए लाइन फिल्टरेशन कर रहे हैं, कन्वेंशनल फिल्टरेशन कर रहे हैं या डायरेक्ट फिल्टरेशन कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो किस जगह कौन-कौनसा कर रहे हैं? यह तो रहा आपके सरफेस वाटर के रैपिड फिल्टरेशन का।

अब क्लोरिनाइजेशन की बात है, क्लोरिनाइजेशन का आपने इसमें से लिया है 5.3, 5.8 पेज नम्बर 112, इसी मैनुअल को आप कर रहे हैं। क्लोरिनाइजेशन पर आज आपको एक प्रश्न मैं डाक्टर की हैसियत से भी पूछना चाहता हूं। क्लोरीन को आप इस्तेमाल करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिये, पैथोजंस के लिये, जो आर्गेनिक मैटीरियल है उसको डिस्ट्राय करने के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जवाब डाक्टर की हैसियत से नहीं देंगे, मिनिस्टर की हैसियत से देंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर ये जवाब डाक्टर की हैसियत से नहीं देंगे तब तो आप इनको कठघरे में खड़ा कर लेंगे आज। आज आपको अपनी डिग्री का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जिस निवास स्थान पर आप विराजते हैं, जिस निवास स्थान पर इस सदन के नेता विराजते हैं, जिस निवास स्थान पर प्रतिपक्ष की नेता महोदया विराजती हैं, जिस निवास स्थान पर स्वयं, मंत्री महोदय, आप भी विराजते हैं, और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं, क्लोरिनोमीटर की हालत यह है कि आपके सिविल लाइन का क्लोरिनोमीटर रस्ट खा रहा है। जो क्लोरीन जा रहा है, उसका मापदण्ड क्या है? अगर क्लोरीन टू पार्टीकल पर-मिलियन से ज्यादा जाता है तो कैंसर हो जाता है। टू पी पी एम से ज्यादा जाता है तो आप नापते किससे हो? आपके सिविल लाइन के इलैक्ट्रो क्लोरिनोमीटर की तो यह हालत है।

अब एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि क्लोरीन को सीधा ग्रहण करने से ही कैंसर नहीं होता। मान लिया जाए कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोतल में बंद पानी पीते हों, लेकिन क्लोरीन के पानी के नहाने से भी कैंसर उत्पन्न होता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बरबाद कर दोगे, नहाने तो दो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब, अध्यक्ष महोदय, आप फरमा दो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कि डाक्टर की हैसियत से जवाब देंगे या पी एच ई डी मिनिस्टर की हैसियत से जवाब देंगे। (व्यवधान) एक मिनट, मंत्री महोदय, यह तो प्रश्न की शुरूआत है। गंगानगर से आने वाले सम्माननीय सदस्य, यह जहर कहां-कहां तक जा रहा है, मैं आपके घर तक भी आ जाऊंगा। मेरे को दो मिनट का समय आप और दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लोरीन के अलावा आपके यहां नाइट्रेट भी बहुत है, नाइट्रेट को आप किस प्रकार से फिल्टर करते हैं? आपके यहां की ही एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसका एक नमूना आपको कह देता हूं। 1808 सैम्पल लिये गये और उन सैम्पल में से सिर्फ 479 सैम्पल उपयोग लायक पाये गये। ड्रिंकेबल की बात नहीं कर रहा, उपयोग लायक कह रहा हूं। आपने यह भी कहा किहम नवीन टैक्निक इस्तेमाल करते हैं, आपकी नवीन टैक्निक की मैं एक मिसाल निवेदन करूं। आप पर्ची मंगवा लो, वहां से कोई न कोई बाबू पर्ची जरूर भेजेगा। मंगवा लो, क्योंकि पता नहीं, यह सदन आजकल पर्चियों पर चलता है, मंत्रियों से और एम एल ए से तो चलता नहीं। पर्ची आएगी वहां से।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपके तो पर्ची नीचे वाले नहीं भेजें, यह तो आप कन्फर्म करवा लें, अध्यक्ष महोदय। आपने पर्चियां बंद कर दीं, साहब, अब वही लिखता है जो वहां काउण्टर पर अवेलेबल है। बड़े आदर के साथ निवेदन कर रहा हूं और आरोप लगा रहा हूं जिस वक्त संसद पर हमला हुआ, यह कहा गया था कि इनसर्जेंसी का हमला है। जिस वक्त 1971 में पाकिस्तान ने हमला किया, उस वक्त यह कहा गया था कि बाहरी हमला है और जिस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, कहा गया कि केमिकल पाइजन के वैपंस हैं। मैं यह दावा करता हूं कि यह डिपार्टमेंट शनैः-शनैः पूरी जनता को, इस सदन के नेता को, सदन के प्रतिपक्ष के नेता को, अध्यक्षजी, आपको स्लो पाइजन दे रहा है, जिससे कैंसर होकर आपकी हत्या सुनिश्चित की जा रही है। (व्यवधान) एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, इनसे प्रेस्क्रिप्शन थोड़े ही लिखवा रहा हूं, निदान चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): This House is not a patient for a prescription. I need a concrete remedy to it and he has agreed to that.

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपने एक जवाब दिया समय-समय पर नवीन टैक्नोलोजी का, अब आप नवीन टैक्नोलोजी की बात कर लीजिये। 2006 में जो राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम साहब का एक मैं साइंस कांग्रेस का चैप्टर पढ़ रहा हूं, "Water purification by nano-tube filteration." बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का ईजाद किया हुआ एक तरीका है। अब आप कहेंगे कि तरीके और भी हैं। ओजोन गैस के भी हैं, वे मंहगे पड़ेंगे। आप मुझे यह बताइये, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्यूरीफिकेशन के लिये, अगर इनकी मात्रा सही अनुपात में नहीं हो तो ये स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। आपके पास सिर्फ जयपुर सिटी में 38 पम्पिंग हाउसेज हैं, 38 पम्पिंग हाउसेज में से 19 पर तो इलैक्ट्रो क्लोरिनोमीटर अप्रैल तक लगा रखे थे, और आपके स्वयं के जो चीफ हैं, यह बात कहते हैं कि एनुअल मेंटिनेंस काण्ट्रेक्ट नहीं रहा, इसलिये अब नया काण्ट्रेक्ट देंगे। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप सदन के नेता को 01 मार्च, 2012 से आज तक उस क्लोरीन का पानी पिला रहे हैं जिस क्लोरीन के पानी की मात्रा की शुद्धता और निश्चितता आपको और आपके अधिकारियों को नहीं मालूम है? अगर ज्यादा आ जाता है तो कैंसर होता है और नहीं आता है तो गार्डिया होता है। और अगर गार्डिया होता है तो आप यह बता दीजिए कि गार्डिया क्लोरीन से डिसइन्फैक्ट हो जाएगा क्या? क्लोरीन एकमात्र ऐसा रसायन है क्या, जिससे गार्डिया जैसा रोग थम सकता है? आपके पास में यह नहीं है।

एक आपने कहा कि फ्लोराइड के लिए लगा रखे हैं। मैं आपको यह एक चित्र दे रहा हूं हैण्डपम्प का, जहां फ्लोराइड है उसका, उस सिस्टम का पूरा का पूरा औजार एक तरफ है और हैण्डपम्प एक तरफ। अब आप यह बताइये, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, आप राजस्थान की सरकार के मंत्री हो, प्रजातंत्र की व्यवस्था है इसलिए आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने जगह-जगह, मैं यह कह दूं तो हद हो जाएगी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, जहर के कारखाने खोल रखे हैं। आम गरीब जहर खा रहा है। तुरन्त नहीं मरेगा लेकिन समय लगते हुए पांच, दस, पन्द्रह साल में कार्सोजेनिक जर्म्स उसमें आ जाएंगे। अगर वह नहीं मरेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी या तो अपंग पैदा होगी या फिर कोई न कोई विकार लेकर पैदा होगी।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मंत्री महोदय, आज आपका और इस सदन का नैतिक दायित्व बनता है कि इस बारे में हम बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य ने पूरी बायोग्राफी आफ पीएचईडी खोल दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में मानक बने हुए हैं आईएसआई स्टैण्डर्ड हैं कि किस तरह से पानी का प्यूरीफिकेशन किया जाए और क्या मापदण्ड अलग-अलग इम्प्योरिटीज का होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 10% of the total water we are getting out of the surface projects, जिसमें आईजीएनपी है, चम्बल है और बीसलपुर है। दस परसेंट हम उनसे प्राप्त करते हैं। और नब्बे परसेंट जो पानी आता है That is ground water. जिस तरह से हमारे करीब दो सौ ब्लाक्स डार्क जोन में आ चुके हैं, It is a challenge in front of all of the House. जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है उसमें नाइट्रेट भी बढ़ेंगे, फ्लोराइड्स भी बढ़ेंगे और सेलीनिटी भी होगी। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत बड़ा एरिया नागौर का है जहां का मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रभारी मंत्री बना रखा है और भरतपुर के माननीय सदस्य यहां विराजे हुए हैं, भरतपुर बहुत बड़ा सेलीनेटेड एरिया है। एक लाख इक्कीस हजार ढाणियों में से छब्बीस हजार ढाणियां और गांव अभी भी इम्प्योरिटी ग्रस्त हैं। साढ़े नौ हजार ढाणियों में जैसा कि आपने फरमाया, फ्लोराइड की समस्या है। मेनली नागौर और वहां के एरियाज में है। तो डिफ्लोराइडेशन यूनिट हम वहां लगा रहे हैं। उनके केमिकल प्रोसेस से करीब एक डिफ्लोराइडेशन यूनिट अस्सी हजार की पड़ती है और हमारी करीब ग्यारह हजार ढाणियां थीं, उनमें फ्लोराइड प्राब्लम थी। अध्यक्ष महोदय, उनमें से पांच हजार में डिफ्लोराइड यूनिट लग गयी। बाकी की साढ़े छह हजार जो ढाणियां हैं उनमें लगा रहे हैं।

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक एग्जाम्पल दिया है कि डिफ्लोराइडेशन यूनिट नहीं लग रही है। मैं एग्जामिन करवाऊंगा, हो सकता है उसमें कोई प्राब्लम हो गयी हो, नम्बर वन।

नम्बर टू, अध्यक्ष महोदय, जो सरफेस वाटर प्रोजैक्ट्स हैं, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, सरफेस वाटर में इम्प्योरिटीज बहुत बड़ी मात्रा में होती है। उसका पूरा प्रोसेस है पानी की सफाई करने का। उसमें सबसे पहले जो पानी आता है that is collected at one place. उसके बाद सबसे

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पहले प्रीक्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन गैस डालते हैं ताकि बैक्टीरिया खतम हों- प्रीक्लोरीनेशन। उसके बाद जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह है, हम एरिएशन करते हैं, उसके अन्दर आयरन और मैगनीज यानी एच टू एस एण्ड सीओ टू गैसों का इवेपोरेशन हो जाता है। (व्यवधान) Just a minute, Sir. Let me complete first.

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कम्प्लीट क्या करेंगे? आपको किताबी ज्ञान है। सीधा नहर से पानी डिग्गी में आता है खाले से और वहां आपका फिल्टर मीडिया कुछ भी नहीं है। सीधा राक वाटर आपको पिलाना पड़ता है, ऐसी आपने व्यवस्था कर रखी है। क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? (व्यवधान) गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में तो यह बात हो रही है। आज वहां पर कोई भी श्योर नहीं है कि मैं अगले साल कैंसर से पीड़ित रहूंगा या मैं स्वस्थ रह पाऊंगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बहुत बुरा हाल है। इर्रिगेशन एरिया में पूरा केमिकल का पानी ट्रैक्टर्स से आता है। कोई यूज नहीं होता वहां।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मंत्री महोदय, जैसलमेर में सीधा नहर से पानी आता है और सीधा पीते हैं। जैसलमेर जिले में हर दसवां, पन्द्रहवां आदमी कैंसर से जा रहा है उसका कारण सीधा नहर से पानी पीना है। फिल्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए। बैठिए आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): शाहपुरा और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सदन को गुमराह कर रहे हैं ये। हम यह कह रहे हैं कि फ्लोराइडयुक्त पानी का सर्वे करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप। मूल प्रश्नकर्ता का जबाव आने दीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 2007 में जवाजा पंचायत समिति के क्षेत्र में हुआ था उनको आज तक बीसलपुर का पानी नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं। 2007 के अन्दर सर्वे हुआ था उनको पानी नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती बीसलपुर का नाम लेकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमारे तो जो पुराने स्रोत हैं तालाब, कुए, बावड़ी, उन्हीं से काम चला लेंगे। आप वाले स्रोत और फिल्टर मीडिया और फ्लोराइड कुछ भी मुक्त नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ये असत्य बोल-बोल कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार हाउस में कसम खायी थी, कहा कि मैं कसम खाता हूं कि आपका पानी दे दूंगा। बीसलपुर का पानी पंचायत समिति जवाजा को पूरा दूंगा। यह असत्य बोलने वाला आदमी, सौगन्ध खाकर मना कर दिया। अभी तक नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: विराजें। अलग प्रश्न है आपका। मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जबाव आने दीजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में हमारी 33 लेबोरेटरीज हैं। जहां हम क्लोरीन देते हैं वह 2 पीपीएम देते हैं, जहां से पानी स्टार्ट होता है और जहां पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है वहां पाइन्ट टू पीपीएम होता है जो कि हार्मफुल नहीं है। मैं आपको बीइंग ए डाक्टर बताना चाहूंगा, साल्मोनल, सिगेला, सीजफारमेशन का उसमें है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के जो बड़े डवलप्ड कन्ट्रीज हैं I am talking about Australia, France, Germany…(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। मेरी सुनो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बहुत खारा पानी मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आप तो भारतवर्ष और प्रदेश की बात करिये, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): इन देशों में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए …(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर दे दूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन विकसित देशों में क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा डवलप्ड कन्ट्रीज हैं। अगर कैंसर का डर होता तो एक भी देश क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए आज हम कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह गलत कह रहे हैं। बिलकुल गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको कहा। आप नहीं चाहते तो मैं अगला प्रश्न ले लूंगा। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, I am not trying to frame you into anything. आपने एक बात फरमाई कि हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको निवेदन करूं, आपके पास हाई कोर्ट की एक पिटीशन आयी होगी, उन्होंने सीधा पूछा है कि "This chlorine is a pesticide for water purification" इस पर अगर आपका डिपार्टमेंट यह कहता है कि इनको जानकारी नहीं है तो ये आपको गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने आपसे एक गलत यहां स्टेटमेंट दिलवा दिया। यदि आप चाहो तो इस पिटीशन की कापी यहां रख दूं। पहला नम्बर तो यह। इस पिटीशन में साफ कहा है, मैं आपको पढ़कर बता दूं, जिन कन्ट्रीज ने बैन किया है। आप फरमा रहे हैं न यूरोपियन कन्ट्रीज की बात, जिन कन्ट्रीज ने इसको बैन किया है, मैं आपको एक बात निवेदन कर दूं। बात यह नहीं है कि क्या परिस्थिति है, बात यह है कि क्या यह सदन आज इस बात को स्वीकार करता है कि आम जन को पीने की, पेयजल की व्यवस्था, नहाने-धोने की व्यवस्था, घरेलू काम करने की व्यवस्था, नल से जो पानी जा रहा है, टंकी से जो पानी जा रहा है वो उसके लिए इतना शुद्ध है कि किसी प्रकार का कोई उस पानी के सेवन से या उपयोग से कोई उसके रोग या विकार पैदा नहीं हो सकता? शपथ लेकर आप यह आश्वासन दे लें, हम अपना प्रश्न विथड्रा कर लेंगे। बात यह नहीं है।

आपके अधिकारी कहते हैं, हमें तो 1208 करोड़ रुपया मिलता है, हमें तो 62 हजार करोड़ रुपया चाहिए। क्यों नहीं सदन आज एकमत होकर यह बात कहे, आरक्षण के लिए हम सब लड़ते हैं लेकिन पूरा सदन, सदन के नेता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और प्रतिपक्ष के नेता के साथ खड़ा रहकर कहे कि यह हालत राजस्थान की है तो पूरे राजस्थान को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। सारा वर्ग, सारी जाति, सारे दल मिलकर यह बात कहें, तब जाकर यह आम जन को मिलने वाला पानी जो जहर के रूप में भी हो सकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उस जनता के साथ खिलवाड़ करने का हमें अधिकार नहीं है। हमको केन्द्र से यह मिलना चाहिए और सदन के नेता के पीछे यह पूरा सदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय, विराजें। माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और अंतिम एक प्रश्न आपने जो पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सरकार क्या स्टैप ले रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहूंगा कि पहली बार इतने महत्वपूर्ण स्टैप लिये गये हैं। हमारे जिस-जिस क्षेत्र में इम्प्योरिटीज हैं, 84 बड़े-बड़े प्रोजैक्ट स्वीकृत किये गये हैं 20 हजार 400 करोड़ के। उसमें 7611 करोड़ खर्च हो गये हैं और करीबन 30 योजनाएं पूर्ण हो गयी हैं अलग-अलग शहरों एवं गांवों की। कम्प्लीट हुई हैं उसमें 30 शहर हैं, 2692 गांव हैं और 664 ढाणियां हैं, 39 अण्डर प्रोजैक्ट हैं और 11 परियोजनाएं इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक ब्राडर स्पैक्ट्रम के तहत अलग-अलग-भीलवाड़ा कवर किया गया है, भरतपुर में नगर, डीग, कामां कवर किये गये हैं, धौलपुर के भी कुछ गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा नागौर है जिसमें भी आई.जी.एन.पी. का पानी आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में अभी हमारी सोनिया गांधी जी पधारी थीं, उन्होंने एक बड़ा प्रोजैक्ट चालू किया था पी.एच.ई.डी. का। इस तरह से बाड़मेर के गांव हैं। इसके अलावा जालौर के गांव उससे कवर हो रहे हैं जिसके अन्दर नर्मदा

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कैनाल है। सरकार, कोई भी प्रगतिशील सरकार अपनी जनता के लिए इससे बेहतरीन कदम नहीं उठा सकती और यह सुनिश्चित है कि यह सरकार यह करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं अर्ज कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी की समस्या को लेकर पूरा सदन एक मत रहे और इस प्रकार की भावना प्रकट की। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जलदाय विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं पानी की समस्या राजस्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। यहां करीब 10 परसेंट भू-भाग है पूरे मुल्क का और साढ़े पांच परसेंट के करीब आबादी है और पानी एक परसेंट है।

हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जैसा बिहार मांग कर रहा है, अन्य राज्य मांग कर रहे हैं तो हमने भी बराबर उनसे मांग की। प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन हैं मिस्टर अहलूवालिया, उनका जवाब जब आया हमारे पास में तो प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस से आया, तब उन्होंने कहा कि हम पिछड़े राज्य का दर्जा तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी पालिसी नहीं है, परन्तु आप अगर कोई स्पेसिफिक बात करेंगे, समस्या को लेकर बात करेंगे तो हम विचार कर सकते हैं। राजस्थान सरकार प्लानिंग कमीशन में गये तब भी, उसके अलावा जब मुलाकात हुई तब भी हमने कहा कि आप पानी को लेकर राजस्थान को प्रायोरिटी दीजिए। इन प्रिंसिपल वो एग्री हैं कि राजस्थान को पानी को लेकर प्रायोरिटी मिले। उसी रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, प्लानिंग कमीशन हो वो राजस्थान को प्रायोरिटी दे रहा है।

माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे। आज जो आपने क्वेश्चन रेज किये हैं जिनके अन्दर प्यूरिफिकेशन की बात की गयी है, हम लोग चाहेंगे कि डिपार्टमेंट विशेष ध्यान

(श्री अशोक गहलोत)

दे उसके ऊपर। इसमें कोई कमी-बेशी है, चाहे राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयोग हुए हैं उसके अन्दर, खुद दिखवाऊंगा कि कैसे और ज्यादा सम्भावना हो सकती है कि प्यूरिफाइड वाटर सब को मिले। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। चर्चा समाप्त। श्री अजय सिंह। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (डेगाना): प्रश्न संख्या दो।

श्री अध्यक्ष: सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एकदम जहर युक्त पानी आ रहा है पंजाब से ...(व्यवधान) जहर पी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदन के नेता ने सारा स्पष्ट कर दिया, कोई बात बची नहीं है। अब चर्चा नहीं होगी। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। सदन के नेता ने सारी बात स्पष्ट कर दी है, चर्चा समाप्त करें। पंचायत राज मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा।

डेगाना की अपूर्ण सम्पर्क सड़कें

2. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क मण्डा की ढाणी से ढाढरिया कलां कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पूर्ण नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो अभी तक सड़क पूर्ण नहीं होने के

(श्री अजय सिंह)

क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार कब तक उक्त मिसिंग लिंक सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) : (1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क मण्डा की ढाणी से ढाढरिया कलां की लम्बाई 4.6000 किलोमीटर में से 3.975 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 0.625 किलोमीटर लम्बाई में कार्य अपूर्ण होने से नागरिकों को असुविधा हो रही है। उक्त सड़क कार्य पूर्ण न होने का कारण स्थानीय निवासियों द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण करना है, जिसे प्रशासन के सहयोग से दिनांक 05.10.2012 को हटाकर कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया है। विलम्ब के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त मिसिंग लिंक सड़क के शेष भाग का अतिक्रमण हटाने के पश्चात् कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। मुझे भी दूरभाष पर अधिकारियों ने सूचित किया कि अतिक्रमण हटाकर रोड का कार्य पुन: चालू कर दिया गया है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष: इस बात के लिए तो धन्यवाद दे दो मंत्रीजी को।

श्री अजय सिंह (डेगाना): नहीं, धन्यवाद तो इसलिए नहीं दिया जा सकता कि अनावश्यक रूप से जानबूझकर अधिकारियों ने ढिलाई बरती। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जब बजट भाषण में घोषणा कर दी गयी और उस गांव के लोग देश की आजादी के बाद से लगातार इस सड़क की मांग कर रहे थे तो ऐसे क्या कारण पैदा हो गये थे कि बार-बार मेरे द्वारा विधान सभा में उठाने के बाद में भी 8-9 महीने तक इस रोड का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं निवेदन कर दूं, पूरे सदन के सामने पढ़ दूं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): मेरा यह आग्रह है, मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि राजस्व नक्शे में सड़क दर्ज है और अतिक्रमण सिर्फ किसी एक या दो व्यक्तियों द्वारा वहां रोड पर पत्थर रख देना, उसके कारण से यदि 8-9 महीने सड़क का कार्य न हो पाए तो इसको आप क्या कहेंगे? सरकार का बिलकुल इकबाल खतम हो चुका है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक प्रश्न अतिक्रमण का है, अतिक्रमण हटा दिया गया है। कार्य आरम्भ हो चुका है और शीघ्र ही कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक इनका प्रश्न था अधिकारियों के खिलाफ, जो दोषी अधिकारी हैं, इनका मतलब पी डब्ल्यू डी के अधिकारियों से है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करने का विचार करती है। मैंने उत्तर दिया है कि हम कोई उन अधिकारियों को दोषी नहीं मानते। इसका कारण स्पष्ट इसलिए है कि यह कार्य जब स्वीकृत हुआ पिछले साल 29.9.2011 को, अतिक्रमण उस समय था, उसको हटाने के लिए प्रयास किये गये। वे हटा भी दिये गये थे और कुछ काम विभाग द्वारा उस पर करवाया भी गया, मगर जिन अतिक्रमियों ने इस पर अतिक्रमण किया था उन्होंने इस पर पुन: अतिक्रमण कर लिया। इसमें बड़ा भाग जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया है, कुल सड़क का बड़ा हिस्सा 49.85 लाख रुपया खर्च करके 4.600 किलोमीटर का अधिकांश 3.97 किलोमीटर लम्बाई में डामर हो चुका है। जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर था, जहां सी सी करना था वहां पर गांव के ही लोग, जिनके लिए सड़क बनाई गई है, वे मांग कर रहे थे। आजादी से जो लोग मांग कर रहे थे वही अतिक्रमण कर रहे थे।

आज अतिक्रमण हटाना विभाग के लिए सहज काम नहीं है, मगर विभाग के अधिकारियों ने फिर भी 11.11.2011 को पहली बार इसके लिए एस डी एम और तहसीलदार को लिखा क्योंकि पी डब्ल्यू डी को प्रशासनिक अधिकारियों की, एस डी एम और तहसीलदार के सहयोग की आवश्यकता होती। दूसरी 13.12.2011 दिसम्बर में लिखी, फिर 24.2.2012 को फरवरी में चिट्ठी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

लिखी, 16.4.2012 अप्रैल में चिट्ठी लिखी, 18.7.2012 जुलाई में चिट्ठी लिखी अधिकारियों ने, 20.8.2012 अगस्त में चिट्ठी लिखी, फिर 13.9.2012 सितम्बर में लिखी, 27.9.2012 सितम्बर में फिर वापस, आठ बार विभाग ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे रहे हैं मंत्रीजी, सुनिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्रीजी, चिट्ठी लिखने का नहीं है, एक्शन इसके ऊपर कुछ भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिए पूरा। (व्यवधान) पूरा उत्तर आ जाने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कितने असहाय हैं मंत्रीजी, इनका विभाग कितना असहाय है, चिट्ठी लिखते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: पूरा उत्तर आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसी विभाग को सम्भाला है जो माननीय सदस्य पहले सम्भाल चुके हैं और मैंने प्रयास किये हैं विभाग में सुधार लाने के। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय जो भी सदस्य इस प्रकार की जानकारी मेरे समक्ष लाएंगे, मैं व्यक्तिगत एक मंत्री के रूप में प्रयास करूंगा। उन अतिक्रमणों को दूर हटवाने में विभाग पूरा प्रयत्न करेगा और हटवाएगा उसको। उसके परिणामस्वरूप जो कार्य हमने करवाया....

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तो वहां से मंगवाएं कि क्यों 8-9 महीने तक अतिक्रमण नहीं हट सका। ऐसा क्या बड़ा अतिक्रमण था?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

जलस्रोतों के पुराने स्वरूप की बहाली हेतु कार्य योजना

3. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रदेश के जल स्रोतों को काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार पूर्व की स्थिति में लाया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार के पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 के तहत नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड़ आदि से सम्बन्धित भूमि को काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की स्थिति में लाये जाने के आदेश दिये गये हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु समस्त जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जल संसाधन, राजस्व, वन, स्थानीय निकाय, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, खान तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर नदी, तालाब, सहायक नदी इत्यादि के बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों का सर्वे किया जाकर अतिक्रमण स्थलों को चिह्नित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना एवं मानिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव के सदस्य के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 25.07.2012 द्वारा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.05.2012 के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुल सात बैठकें हो चुकी हैं जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता एव मानिटरिंग कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है।

मानिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जा रहा है।

नदी, नालों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण से सम्बन्धित समस्त विभागों से प्राप्त प्रारम्भिक कार्य योजना दिनांक 30.07.2012 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रारम्भिक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 25 प्रमुख जल स्रोतों का चयन कर बहाव क्षेत्र के सीमांकन का सर्वे कर अतिक्रमण चिह्नीकरण कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण का कार्य एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बांध में जल की कम आवक के अध्ययन हेतु मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भू-जल, भू-संरक्षण व मालवीय नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान से विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। समिति की सिफारिशों से रामगढ़ बांध

(श्री हेमाराम चौधरी)

में जल की आवक में कमी के कारणों की जानकारी मिल सकेगी तथा समिति की अभिशंसा अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अतिक्रमण में जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल में दर्ज रेफरेंसों को त्वरित गति से निपटाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों, जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब एवं जोहड़ आदि पर कोई खातेदारी अधिकार दिये गये हैं तो उनको निरस्त करने हेतु धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत कर इन प्रतिबंधित भूमियों पर दी गयी खातेदारियों को निरस्त करने की कार्यवाही राजस्व मण्डल से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व कानून में रेफरेंस का प्रावधान होने के कारण नये कानून बनाने की वर्तमान में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार को माननीय मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, हाई कोर्ट चला रहा है। सारे अधिकारी हाई कोर्ट में जाते हैं और उनको रिपोर्ट दे रहे हैं।

मेरा प्रश्न सीधा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का तो निर्णय हो गया। क्या सरकार ने यह सोचा कि जिनको अतिक्रमण कह रहे हैं उन पर इंदिरा आवास बने हुए हैं, वे सरकार द्वारा आबंटित हैं? जिनको अतिक्रमण कह रहे हैं वहां पर एनिकट बने हुए हैं? उन पर यू आई टी, जे डी ए, नगर परिषदों, पंचायतों ने पट्टे जारी किये हैं। 1955 के बाद बहाव क्षेत्र में बदलाव आ गये हैं?

दूसरा, जहां तक रेफरेंस का सवाल है, क्या आप रेफरेंस करके 1 लाख से अधिक मामले राजस्व बोर्ड में ले जाकर राजस्थान के सारे जो गरीब लोग उसमें रह रहे हैं, उनको कानून की उसमें डाल देंगे? माननीय मंत्री महोदय, आपने न तो ठीक ढंग से राजस्थान उच्च न्यायालय में इसकी परिपालना करायी, न आपने रिपोर्ट की। आपने तुरन्त एक कमेटी बना दी। चीफ सैक्रेटरी के साथ मीटिंग कर ली और आपने जगह-जगह आग लगा दी लोगों के घरों में। यह कोई तरीका नहीं सरकार के काम करने का। मेरा सीधा प्रश्न है आपके लिये, क्या राज्य सरकार यह मानती है, 1955 के बहाव क्षेत्र को आप निर्धारित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करेंगे? यदि नहीं, तो क्या आप एक बार राज्य में इन सम्पूर्ण जो 25 प्रकार के आपने चिह्नित किये हैं उन पर री-सैटलमेंट कराएंगे और सैटलमेंट कराकर यह देखेंगे कि कौनसा बहाव क्षेत्र बदला, कि नहीं बदला? कौन से में सरकार ने आबंटित किया है? कौन से में गरीब आदमी रह रहे हैं और उनके पुनर्वास की गारण्टी क्या है? इसके लिये आपको निश्चित रूप से कोई डिसिजन लेना पड़ेगा और राजस्थान उच्च न्यायालय को आपको बताना पड़ेगा कि आज की स्थिति यह है। मैं समझता हूं कि सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है वह कार्यवाही गलत है। हम इस बात के पक्ष में हैं कि बहाव का क्षेत्र नहीं रुकना चाहिये, नदियों में पानी आना चाहिये। लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही बिना सोचे-समझे करना सरासर गलत है।

मेरे तीन प्रश्न आपसे हैं- पहला प्रश्न, क्या सरकार उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में दुबारा इसकी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, बजाय रोज-रोज प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिये नहीं हैं। आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करिये।

नम्बर दो, क्या बहाव क्षेत्र का निर्धारण करने के लिये और जिन-जिन लोगों को आबंटन किया है उनकी असत्यता, सत्यता देखने के लिये आप सैटलमेंट कराने पर विचार करते हैं?

नम्बर तीन, जिन लोगों को इससे नुकसान होने वाला है और सरकार ने जिनको आबंटित किया है, पट्टे दिये हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है?

मुख्य मंत्रीजी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप शायद इस बात को, कोई ले, नहीं ले, जगह-जगह, रामगढ़ की हम कार्यवाही कर रहे हैं। रामगढ़ में पानी आना चाहिये लेकिन रामगढ़ में बहुत-से ऐसे इलाके हैं जहां इंदिरा आवास बनाकर सरकार ने आवास बनाये हैं। जहां पर आबंटित करके पट्टे दिये हैं पंचायतों ने। जहां पर लोगों ने लोन लेकर मकान बनाये हैं। उनको एक झटके में तोड़ देंगे उनकी व्यवस्था किये बिना? अमानीशाह के नाले में जिसकी सेण्ट्रल लाइन अभी तय नहीं है, जिसका सारा काम तय नहीं है उसमें हम हजारों गरीब आदमियों को जो पट्टे लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, तबाह कर देंगे? इस सम्बन्ध में सरकार को नीति सम्बन्धी निर्णय लेना पड़ेगा और सारे राजस्थान के बारे में इसमें कार्यवाही करनी पड़ेगी।

इन तीन प्रश्नों का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का तो उत्तर आने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुओ मोटो सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, यह रामगढ़ बांध के बारे में है। इससे पहले 2004 में अब्दुल रहमान/स्टेट आफ राजस्थान का जो निर्णय हुआ, यह शुरूआत वहां से हुई है और उसी के रेफरेंस में हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यह रिट पिटीशन स्वीकार की है। 2 अगस्त, 2004 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उस समय अगर इसकी अपील हो जाती अब्दुल रहमान वाले केस की, या रिव्यू हो जाता, आप कह रहे हो, लेकिन उस समय सरकार ने उस निर्णय की पालना के लिये कमिटमेंट कर दिया। हाई कोर्ट में लिखकर दे दिया, जिससे कि अपील की भी गुंजाइश नहीं रही। इस वजह से सब कुछ हो रहा है, परेशानी जो आप व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं, यह 2004 के अब्दुल रहमान वाले केस की वजह से हो रही है। उसके बाद में आपकी भी सरकार है, आप भी अगर... (व्यवधान) इसके बारे में कुछ करते तो आगे कुछ बढ़ता...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आने दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): लेकिन यह फैसला उसी के सन्दर्भ में है। अलग से कोई फैसला नहीं है। पर्टिकुलर रामगढ़ बांध के बारे में अख़बार में प्रकाशित हुई खबर के आधार पर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यह काग्नीजेंस लिया है..

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह टैक्निकल फाइनलाइज वालों को तो मत दो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जब तक अब्दुल रहमान वाला जो निर्णय है उसके बारे में कोई रिव्यू या कोई अपील नहीं हो तब तक क्योंकि यह रामगढ़ बांध का ही एक मामला नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार से जो रेवेन्यू रिकार्ड है, राजस्थान टिनेसी एक्ट लागू हुआ, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ 1956, उस समय जो भी रिकार्ड में दर्ज हो गया, मैं मानता हूं कि बहुत-सी जगह रेवेन्यू रिकार्ड में नाला दर्ज हो गया, अब वहां नाला नाम का नामो-निशान ही नहीं है। एक मामला मेरे पास ऐसा भी आया कि उसके

(श्री हेमाराम चौधरी)

चारों तरफ खातेदारी है, सिर्फ बीच में एक छोटा-सा 8-10 बीघे का खसरा है, उसके अन्दर नाला लिखा हुआ है। अब वह नाला लिख गया है इसलिये हम उसको खातेदारी नहीं दे सकते और उसमें कोई व्यक्ति बरसों से काबिज बैठा है। इस प्रकार की प्राब्लम है। अब इस प्राब्लम को कैसे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसीलिये मैंने पूछा कि सैटलमेंट कराने का आपका विचार है क्या? यह सारी समस्या...(व्यवधान) यह सारा सैटलमेंट से ही दूर होगा। इसके बिना आपका यह काम दूर ही नहीं हो सकता। आप कितने लोगों को इस प्रकार फंसाओगे? इसलिये मैं पूछ रहा हूं। तीन प्रश्न पूछे हैं मैंने।

पहला, सैटलमेंट करा करके इस सारी समस्या का समाधान करके हाई कोर्ट में पेश कर देना आप। अब चीफ सैक्रेटरी ही जाएं, मुख्यमंत्री जाकर पेश कर देंगे कि साहब, यह हमने सैटलमेंट करा लिया है। सैटलमेंट में यह तो बहाव क्षेत्र है और यह बहाव क्षेत्र नहीं है।

दूसरा, जहां जो आपने आबंटित किया और जो वहां पर रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था का सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती है?

तीसरा, सारी की सारी जो आप 16 के अन्दर रेफरेंस करने वाले हो, काश्तकारी कानून की 16 में आप 1 लाख लोगों का कैसे करेंगे राजस्व बोर्ड में जाकर? तो सारे राजस्थान को आप इसमें फंसाना चाहते हो?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप जवाब दें उससे पहले मंत्री महोदय एक जवाब और दें। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, जवाब आ जाएगा, इसी में है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिविल रिट पिटीशन 1132/2011 जगमाल सिंह बनाम सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, पैरा नम्बर 14 एवं 22-

"Ordinarily, compounding in such cases should only be allowed…" मतलब आप उनको दे सकते हैं। "...where the land has been leased to landless laborers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes or the other as being used for a public purposes of the villages." आप तो सबको बेदखल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट से ऊपर का आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। राजस्व मंत्रीजी। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता का तो उत्तर आ जाने दीजिये पहले।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट पंजाब स्टेट का गोचर की भूमि के बारे में है। जब से यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद में...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आर्डर...(व्यवधान) सब पर लागू होता है, आदरणीय...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कैचमेंट का भी है। तालाबों और नदियों के कैचमेंट का भी है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जगमाल सिंह बनाम पंजाब स्टेट... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जहां तक सैटलमेंट का... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जहां तक सैटलमेंट का सवाल है यह सतत् प्रक्रिया है। सैटलमेंट का विभाग अलग से है। पूर्व में जो सैटलमेंट हुआ उसका फिर से सैटलमेंट अलग जिले में...(व्यवधान) जिन-जिन तहसीलों में जहां आवश्यकता समझ रहे हैं, उसके हिसाब से सैटलमेंट का काम अभी भी चल रहा है। सैटलमेंट का काम अभी कहीं कोई बन्द नहीं है। यहां तक कि नेशनल लैण्ड रिकार्ड माडर्नाइजेशन प्रोग्राम एक भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत हमें बजट मिला है। इसलिये सारा लैण्ड रिकार्ड जो रेवेन्यू का है उसको आनलाइन करने का और मौके पर सैटलमेंट कराने का...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका मतलब नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मौके की स्थिति है उसके हिसाब से भी, जी पी एस सर्वे वगैरह भी उसमें शामिल हैं, जब यह पैसा हमको मिल रहा है धीरे-धीरे तो हम कोशिश करेंगे। उसमें दुविधा मैं समझता हूं जो है वह यह हो सकती है...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आप केवल इसका सैटलमेंट करा लो। जितने बहाव क्षेत्र का है उन बहाव क्षेत्रों का सैटलमेंट करा लो आप, मैं यह कहना चाहता हूं। पूरे राजस्थान का सैटलमेंट नहीं कह रहा हूं। बहाव क्षेत्र जो है, जो बहाव क्षेत्र की बातें हैं, जहां आप अतिक्रमण चिह्नित कर रहे हो, उसका जी पी एस सर्वे कराओ, उसका पानी किधर से निकलता है वह सर्वे कराओ, वहां किस प्रकार आबंटन किया वह कराओ, कौन अतिक्रमी है यह कराओ और उसका सैटलमेंट करके फिर कार्यवाही करो, तब तो आपकी बात ठीक होगी, वर्ना तो आपकी कार्यवाही गलत होगी सारी की सारी। सबको ही, सारी दुनिया को आप मुकदमों में फंसा दोगे। यह ला क्या रहे हो? आप कमेटी में ऐसी कार्यवाही कर दोगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): एक मिनट। मेरा यह निवेदन है कि यह जो जजमेंट है उसमें आप अब सैटलमेंट की बात कह रहे हो लेकिन यह जजमेंट तो मौजूदा स्थिति की बात नहीं करता, यह तो कह रहा है 1947 की। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 1947 की।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): 15 अगस्त, 1947 की स्थिति पर वापस लाओ, उस समय क्या स्थिति थी। अब उस समय की स्थिति और आज की स्थिति...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब दो न आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उस समय की स्थिति लाने की बात कही थी, उस वजह से यह सारी दुविधा हुई है। आज सैटलमेंट करवा देंगे तो भी 1947 की स्थिति तो कैसे उसके साथ मैचअप होगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं आपसे बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यह समस्या गम्भीर हो गयी और सब जगह ही गम्भीर हो गयी। कोर्ट को हमने हमारी तरफ से जो प्रजेंटेशन करना चाहिए था वह ढंग से नहीं करने के कारण से उन्होंने कैचमेंट एरिये का मतलब उस सारे एरिये को ले लिया। अब उदयपुर का कैचमेंट एरिया तो ठेठ झाड़ोल तक हो गया। कैचमेंट एरिये में जब यह झील नहीं बनी पिछोला, उसके पहले जो बस्ती बसी हुई है, चांदपोल उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहले से बसा हुआ है। हमने जो एकलव्य बस्ती बसाई है, गरीब आदिवासियों को प्लाट देकर बसाई है। हमने यूआईटी के प्लाट पैसे लेकर नक्शा पास करके उनको बैठाया। अब आपने एक ही आर्डर निकाल दिया कि इसके कैचमेंट में जो-जो भी आते हैं बहाव क्षेत्र में, उन सबको तोड़ दिया जाए। आदेश भी हो गये। एक तरफ तो वे आदेश हुए और दूसरी तरफ आपने सेवन स्टार होटलें बनाकर परमिशन देकर झील के बिलकुल किनारे लाकर खड़ा कर दिया। अब वह गरीब आदमी यह कहता है कि इतनी बड़ी जो होटले हैं, इनके बारे में तो कोई नहीं बोलता है और मेरा एक कमरा बन गया तो इसको तोड़ने के लिए सब बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि इसको आप गम्भीरता से लें और कोर्ट में ही जाकर हम अपने पक्ष को ठीक ढंग से रखें। बहाव क्षेत्र डिस्टर्ब न हो, उसको कैसे बचाया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है। थोड़े-बहुत अगर हटाने भी पड़ें तो उनको हटाकर उनका पुनर्वास करके उनकी समस्या का हल करें। लेकिन लाखों लोगों की नींद हराम कर दी उदयपुर में आपने। आज की तारीख में कम से कम भी 10 वार्ड ऐसे हैं जो इस परव्यू में आ गये। वे रात को सोते नहीं हैं कि कब आकर बुलडोजर मेरे मकान को तोड़ देगा। उस गरीब आदमी के लिए तो सब सम्पत्ति वही है। मुख्य मंत्रीजी, आप इसमें इंटरवीन करें। जिनको भी बुलाना हो उनको बुलाएं, जिसको विचार करना हो करें, किसी न किसी अच्छे वकील को लगाकर सारे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए हम इसका हल निकालने का प्रयत्न करें, नहीं तो सारा क्षेत्र जल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम, प्रश्न पूछें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ए माइनर गंगानगर के बीच में से जाती है, उसके ऊपर 892 कब्जे कोर्ट के द्वारा अभी तोड़े गये हैं। 50 साल पहले से जो लोग आबाद हैं, जिनके पास पट्टा है, नगर परिषद ने दे रखा है, यूआईटी ने दे रखा है, होटल बना हुआ है, मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं। आपको सारी चीज का मालूम है। क्या उनके पुनर्वास की भी कोई बात आपके दिमाग में है? वे बहाव क्षेत्र में नहीं हैं। नहर जा रही है उससे दोनों साइडों में 60-60 फीट कब्जे जो थे, वे तोड़ दिये गये। लोग रोते रहे। उनके पुनर्वास की कोई योजना आपके पास में है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जो लोग बरबाद हो गये वे किसको जाकर कहें, किसको रोएं?

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इस पर कहें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। कृपया विराज जाएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर वाला बहाव क्षेत्र में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तो क्या ए माइनर पर जिन लोगों के कब्जे तोड़े हैं, अभी जो डेढ़ महीने पहले तोड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आप उत्तर चाहते हैं तो विराज जाएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या आप उनके पुनर्वास का कोई विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर चाहते हैं क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): या नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मंत्रीजी, आप जवाब दें उससे पहले बोल लूं मैं, एक साथ जवाब आ जाएंगे। आप फरमाएंगे, मैं बोलूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरा जवाब सुन लें उसके बाद में बोल लेना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेरा प्रश्न आ जाए उसके बाद जवाब आपको देना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा जवाब सुन लें आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आपको पता ही नहीं है मैं पूछूंगा क्या।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो मूल प्रश्न उठाया है, मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मूल प्रश्न के साथ ही आ जाएगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खास तौर पर अमानीशाह के नाले पर जिससे कि आप भी अफैक्टेड हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं अमानीशाह के बारे में बोलूंगा कि...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आए लेकिन सवाल तो आने दो...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उन्हें बोलने दीजिये, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सवाल आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जयपुर के सारे लोग बोलेंगे क्या? (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता को मैंने अलाउ कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलो, बोलो आप तो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): चिन्ता का विषय है, सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं किया जा सकता...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। सब को अलाउ नहीं किया जा सकता। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा किसी का। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा किसी का...(व्यवधान) श्री अमराराम ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

'मनरेगा' योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय में वृद्धि

4. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 'मनरेगा' योजना में जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2012 तक वर्षवार कितना व्यय किया गया? वर्षवार श्रम एवं सामग्री मद की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में वर्षवार एवं जिलेवार कितने मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा सहरिया आदिवासियों के कितने मजदूरों को 100 दिन से अधिक का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है?

(3) वर्तमान में किस जिले में कितने मजदूरों को 100 दिन काम उपलब्ध नहीं करवाने पर भत्ते का भुगतान किया गया?

(4) क्या सरकार पिछले वर्षों में लगातार कम काम उपलब्ध करवाने के कारणों का निराकरण करने का विचार रखती है?

(श्री अमराराम)

(5) क्या यह सही है कि मजदूरों को लगातार काम कम उपलब्ध हो रहा है और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 (दिनांक 04.10.2012 की एमआईएस सूचना के अनुसार) वर्षवार श्रम एवं सामग्री मद में किए गए व्यय की जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किए जाने पर प्रति परिवार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है न कि श्रमिकों को। योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की सख्या का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

सहरिया आदिवासी परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य मद से अतिरिक्त 100 दिवस तक का रोजगार प्रति परिवार ही उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। सहरिया आदिवासी परिवारों को 100 दिवस से अधिक उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर प्रति परिवार 100 दिवस का अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिन परिवारों द्वारा 100 दिवस के रोजगार की मांग की गयी है उन्हें 100 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। रोजगार की मांग किये जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण दिये गये बेरोजगारी भत्ते का विवरण निम्न प्रकार है:-

* वर्ष 2009-10 में जिला डूंगरपुर में 17 श्रमिक एवं भीलवाड़ा में 1 श्रमिक,
* जिला डूंगरपुर में वर्ष 2010-11 में 40 श्रमिक, एवं

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

* जिला सिरोही में वर्ष 2011 में 2 श्रमिक।

(4) योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किये जाने पर ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिन परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की जा रही है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि मजदूरों को लगातार काम कम उपलब्ध हो रहा है। जिन मजदूरों द्वारा रोजगार की मांग की जा रही है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जहां तक प्रशासनिक व्यय में वृद्धि का प्रश्न है, योजना के क्रियान्वयन के लिए नियोजित किये गये कार्मिकों एवं अनुमत अन्य व्यय किये जाने की आवश्यकता के अनुरूप व्यय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत कार्यों पर कुल व्यय के 6 प्रतिशत की राशि तक का व्यय प्रशासनिक मद में अनुमत है एवं राज्य स्तर पर प्रशासनिक मद में व्यय 6 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, उत्तर दो न। बीच में बैठ गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं ...(व्यवधान) मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का। पंचायत राज मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ): दे दिया, दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अलग तरीकों से नियमों में उठाएं। अलग तरीकों से नियमों में उठाइये ...(व्यवधान) अलग तरीके से नियमों में उठाइये, मैं अलाउ करूंगा। (व्यवधान) इस तरीके से नहीं ...(व्यवधान) सारे लोग एक पक्ष में बोलेंगे तो जवाब नहीं ...(व्यवधान) नहीं, मैं अलाउ नहीं करता।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप नियमों में लिखकर दें। आप नियमों में उठाइये। (व्यवधान) बैठिये आप। मंत्रीजी, आप विराज जाएं ...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप विराजें। (व्यवधान) पंचायती राज मंत्री ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 2008-09 में राजस्थान मनरेगा में देश में एक नम्बर पर था, आज 2012-13 में मनरेगा में राजस्थान कितने नम्बर पर पहुंच गया है? 2008-09 में कितने लोगों को आपने काम दिया था और 2011-12 में आपने कितने लोगों को काम दिया है?

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि गरीबों के लिए सबसे बड़ी जो यह मनरेगा योजना है उसमें राजस्थान 2008-09 में हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर था, सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण आज कौन से नम्बर पर है, यह बताने का कष्ट करें? 2008-09 में कितने मैन डेज परिवारों को काम दिया गया था और 2011-12 में कितने लोगों को काम दिया गया है?

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, जल्दी।

श्री अध्यक्ष: टाइम खत्म हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सहरिया जो राजस्थान का सबसे गरीब आदिवासी है, उसको 100 दिन मनरेगा के अलावा काम देने के लिए सरकार ने स्वीकृत किया था, उनमें कितने परिवार हैं जिनको पिछले 2 सालों में एक्स्ट्रा 100 दिन का काम दिया गया है, यह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा 2007-08 में पूरे राजस्थान में शुरू हुआ। यह पहली इस देश की और प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना थी और प्रदेश की जनता ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा। उसमें बड़ी संख्या में काम स्वीकृत हुए। लेकिन धीरे-धीरे काम होते गये। ये काम डिमांड आधारित काम हैं। इसमें हम जबरदस्ती मस्टररोल देकर काम पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए 2007-08 में क्या था और 2012-13 में क्या है, उस जिले की जनता ग्राम सभा और वार्ड सभा के अन्दर प्रस्ताव से और उसके बाद में जो डिमांड करती है उसके

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

आधार पर हम काम देते हैं। उसका पूरा का पूरा विवरण हमने आपको दे दिया है। जहां तक सहरिया समाज का सवाल है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आंकड़े बताओ न आप।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आंकड़े बता देंगे न हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2008-09 और 2011-12 के आंकड़े ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आंकड़े बता देंगे न हम ...(व्यवधान) आप सुनिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बचा है ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आंकड़ों के लिए हम तैयार हैं ...(व्यवधान) जहां तक सहरिया का सवाल है, सहरिया के लिये भी...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से सिकन्दरा-गंगापुर राजमार्ग स्थित तालचिड़ा घाटी को सुरक्षित यातायात हेतु काटकर निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के कारण वहां से पलायन कर भारत में शरण लेने वाले परिवारों की रहने-खाने की व्यवस्था एवं इन्हें शरणार्थी का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने के बावजूद विद्यार्थी मित्रों को हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री शिवजीराम मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जहाजपुर एवं कोटड़ी उपखण्ड के जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती अनिता भदेल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर के 22 हजार परिवारों एवं उन पर आश्रित एक लाख लोगों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में।

(6) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर-झुन्झुनूं सहित राज्य के अन्य जिलों में बाजरे का घटिया बीज वितरित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) डा. विश्वनाथ मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से छतरगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत किशन मेघवाल हत्याकाण्ड की दर्ज एफ आई आर संख्या 23/20.03.2012 पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत कम्पनियों द्वारा कृषकों के साथ मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2011 व 2012 में समान मानदण्डों के मीटर महंगी दर पर खरीदने से हुई हानि के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से बकानी आई टी आई स्कूल को झालावाड़ से पुन: बकानी शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में बिजली की दरें एक वर्ष में दो बार बढ़ाने से आम जनता को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

(12) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राज्य में नदी नालों एवं जल प्रवाह के कारण मौके पर भूमि का अंकन कलक्टर स्तर पर करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना विधान सभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर की झीलों के किनारे बसी बस्तियों को धराशायी करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(15) डा. फूलचन्द भिण्डा एवं श्री मोहनलाल गुप्ता तथा 3 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर तथा 32 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में विद्युत की मांग और आपूर्ति का अन्तर लगातार बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अजय सिंह, श्री गुलाब चन्द कटारिया, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला को फ्लोराइड रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामहेत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बढ़ती हुई चोरियों, लूट, गौ-तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में कानून व्यवस्था की विफलता के सम्बन्ध में।

(4) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से सिवाना उप खण्ड मुख्यालय को सरकारी अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा सहित राज्य के विभिन्न राजमार्गों की सड़कें क्षतिग्रस्त होने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विदेशी कम्पनियों को भारत में सीधे निवेश के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई राय/सहमति के सम्बन्ध में।

(7) डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू (बाड़मेर) को जोधपुर-जैसलमेर से जोड़ने वाली सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राज्य के सरकारी दवा वितरण केन्द्रों पर पंजीकृत फार्मासिस्टों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चालीस-चालीस किलोमीटर तक रेल लाइन पर एक भी फाटक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, उनियारा में कृषि संकाय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रामनारायण विश्नोई, श्री, पूर्व उपाध्यक्ष के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए राजस्थान विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामनारायण विश्नोई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामनारायण विश्नोई का जन्म 1 जून, 1932 को हनुमानगढ़ जिले के संगरिया मंडी में हुआ। आपने डूंगर कालेज, बीकानेर से बी.ए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

आप नौवीं विधान सभा में ओसियां से जनता दल तथा ग्यारहवीं और बारहवीं विधान सभा में फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। बारहवीं विधान सभा में आप फरवरी से जुलाई, 2004 तक प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य तथा बाद में 19 जुलाई, 2004 से 10 दिसम्बर, 2008 तक विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। पीठासीन अधिकारी के रूप में आपने अपने सौम्य और शिष्ट व्यवहार से इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नौवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप कुछ समय अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति तथा वर्ष 1990-92 में ऊर्जा तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधन विभाग के मंत्री रहे। फरवरी से दिसम्बर, 1992 तक आपके पास कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। आप ऊर्जा, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन एवं कृषि विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

आप अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1958 से 1960 तक जिला परिषद्, जोधपुर तथा 1977 से 1980 तक राजस्थान आवासन मण्डल के सदस्य रहे। आप वर्ष 1997 से 1999 तक भारतीय जनता पार्टी (देहात), जोधपुर के जिला अध्यक्ष रहे।

(श्री अध्यक्ष)

बार कौंसिल आफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे श्री विश्नोई जोधपुर एवं बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की मुफ्त कानूनी सहायता और नि:शुल्क पैरवी करने के लिए सदैव आगे रहते थे। आप राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी रहे। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष रहे श्री विश्नोई को कृषि तथा विधि के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2003 में 'बैस्ट सिटीजन अवार्ड' तथा वर्ष 2007 में 'भारत ज्योति अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

सरल और निरभिमानी व्यक्तित्व के धनी श्री विश्नोई ने वर्ष 2006 में अबुजा (नाइजीरिया) में हुई 52वीं सी.पी.ए. कान्फ्रेंस तथा डगलस (आइल आफ मान) में हुई मिड ईयर एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

श्री रामनारायण विश्नोई का दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री रामनारायण विश्नोई के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:09 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(12.39 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

विद्यार्थी मित्रों का प्रदर्शन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 20 हजार विद्यार्थी मित्र, जो वर्ग पिछले 5 सालों से लगातार न केवल अपनी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है बल्कि उसने राज्य के शिक्षा जगत में सुचारु व्यवस्था की है, आज वह अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए फिर राजस्थान की विधान सभा के बाहर खड़ा हुआ है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के माननीय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अजय सिंह जी। (व्यवधान) आप समय लीजिए। पर्ची दीजिए। अजय सिंह जी। आप विराजिए। केवल अजय सिंह जी का अंकित होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजिए। एक मिनट, अजय सिंह जी। माननीय सदस्य अमराराम जी, आप बहुत सीनियर हो, आपने नियम-प्रक्रिया मेरे से पहले देखी है और सब चीज का जब आपको पता है कि वो बैठे हुए हैं तो आप उसमें आइये, आपको उसमें पूरा मौका मिलेगा। आप बात सुनिये। जल्दबाजी से काम नहीं, बात सुनिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने दिया है, मैं नाम पुकारूंगा। दिया होगा तो आपका निश्चित नाम आएगा। दो मिनट का समय है, दो मिनट से सवा दो मिनट देना या नहीं देना है यह भी सदन की राय से विचार करेंगे। माननीय अजय सिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन करना है कि आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है, उन स्थगन प्रस्तावों में 41 माननीय सदस्यों ने अलग-अलग रूप से बिजली के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें दो बार बढ़ीं, बिजली के सारे मामलों में राजस्थान में सप्लाई नहीं हुई, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उत्पादन क्षीण हुआ, गांवों में बिजली गई नहीं और सारे राजस्थान के किसानों में ही नहीं, आम आदमी में बिजली के कारण से बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि सरकार ने नियम विरुद्ध बिजली की दरें क्यों बढ़ाईं, सरकार उन दरों को वापस ले। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि रबी की आने वाली फसल में उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर्याप्त बिजली मिले और राजस्थान के लोग बिजली के कारण से बहुत परेशान हैं। बिजली की खरीद में, उसके ट्रांसफार्मर्स की खरीद में जो सारे मामले हुए हैं, उन सब मामलों पर यहां चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जो सारे स्थगन प्रस्ताव दिए हैं उनका क्रम बदलकर 41 माननीय सदस्यों ने जो बिजली का प्रस्ताव दिया है, उस बिजली के ऊपर आप सदन में चर्चा कराएं। इस चर्चा के कारण से हम यह कह सकेंगे कि मूल रूप से जहां पर राजस्थान की जनता की बात कही जा सकती है वो सदन का पटल है और सरकार जवाब दे देगी। इस प्रकार बिजली के बारे में जो सारी धारणाएं बनी हुई हैं, उनकी चर्चा यहां पर आवश्यक है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप बिजली पर चर्चा कराएं। पहले बिजली पर करा लें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप नेता ने अनुरोध किया, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 41 सदस्यों के नहीं आये। मैं इसी को देख रहा था। हां, यह जरूर है कि 6 आदमियों के...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आये हैं। अलग-अलग दिए हैं। मैंने जोड़कर बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल आये हैं। मैं इसके बारे में एक ही निवेदन करूंगा कि अभी तीन बजे बीएसी की मीटिंग है, निर्णय आपको करना है। बीएसी की मीटिंग में मामला आएगा, आप सब लोग वहां रहेंगे। (व्यवधान) बात सुनिए। यह मामला दो मिनट का नहीं है, राजेन्द्र जी राठौड़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन ने व्यवस्था दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूं। आप बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं इतनी ही प्रार्थना कर रहा था कि आसन ने पूर्व में अनुमति दे दी है, जिन स्थगन प्रस्तावों पर आज आसन ने अनुमति दी है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अनुमति दे दी है, हम तो क्रम बदलवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनमें बिजली से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव भी हैं। माननीय उप नेता ने सिर्फ इतनी-सी प्रार्थना की है कि क्रम को थोड़ा-सा बदल दें, आपकी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि यह ऐसा मसला है जो राजस्थान के आम-अवाम से जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही है कि आप पहले हमारे माननीय तीन सदस्यों के नाम पुकारते और फिर बिजली का नाम पुकारते। अब हम आपसे इतनी ही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि बिजली का नाम पहले पुकार लीजिए और माननीय तीन सदस्यों का नाम बाद में पुकार लीजिए। क्रम बदलने की ही तो प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, महाराज। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, हम तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे इतना ही कह रहे हैं कि आप क्रम बदल दीजिए और बिजली पर पहले चर्चा करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा जहां तक खयाल है, अध्यक्षीय व्यवस्था बदलने की तो परिपाटी रही नहीं है। आप सुनिए। वो सब ठीक है। आपकी भावना से मैं सहमत हो सकता हूं, आप मेरी अर्ज सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बस, आसन सहमत है तो कोई जरूरत ही नहीं है। आसन ही सहमत हो गया, बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी....

श्री उपाध्यक्ष: राजेन्द्र जी, आपको बोलना है, मैंने जैसे कहा कि दो मिनट से ज्यादा समय दिया जाए या नहीं दिया जाए, वह मैं कर रहा हूं, फिर भी आप दो ही मिनट लेना चाहो तो आप जानो। इसलिए मैंने माननीय अजय सिंह जी का नाम पुकारा है। एक मिनट, विराजिए आप। आप सदन चलने दीजिए। वो समय उधर जोड़कर अपन बात कर लेंगे प्रदेश की जनता की तरफ। (व्यवधान) केवल अजयसिंह जी का अंकित होगा। माननीय अजय सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिए। एक मिनट विराजिए। (व्यवधान) आप आसन से...(व्यवधान) आप सदन से क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अजय सिंह जी। केवल अजय सिंह जी। आप नियमों के बिना नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) अजय सिंह जी। केवल अजय सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं दो मिनट दूंगा आपको। (व्यवधान) केवल दो मिनट हैं मेरे पास। (व्यवधान) आप चाहते ही नहीं हो बिजली पर डिस्कसन करना। आसन डिस्कसन कराने के लिए तैयार है पर आप चाहते ही नहीं हो। आप चाहते नहीं हो। आप हल्ला करना चाहते हो। यह कतई नहीं। (व्यवधान) आप चाहते ही नहीं हो। आप चाहते नहीं हो। कतई नहीं। आप चाहते ही नहीं हो। (व्यवधान) आप प्लीज वहां बैठिये। (व्यवधान) मैंने कहा था कि दो मिनट दूंगा, दो से सवा दो मिनट नहीं दूंगा। कह दिया मैंने। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

चाहते ही नहीं हो आप। ये नहीं चाहते हैं। मुझे सजेशन नहीं चाहिए। मेरा सजेशन नहीं माना इसलिए मैं क्यों करूं? कुछ नहीं, केवल अजय सिंह जी। (व्यवधान) केवल दो मिनट। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आपको बिजली पर अपनी बात कहनी है तो आसन की व्यवस्था को मानना पड़ेगा। (व्यवधान) आपका मुद्दा ही नहीं है। आप सदन स्थगित कराना चाहते हो? आप सदन स्थगित कराना चाहते हो, बहस नहीं करना चाहते? आप सदन में बहस नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। आप सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? आप सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? आप सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सदन चलने दें, आप कृपा करके सदन से पलायन नहीं करें। सदन से पलायन नहीं करें, सदन चलने दें। अब आपकी मर्जी है। (व्यवधान) तीन बजे बीएसी की मीटिंग है। आप चाहते क्या हो? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है माननीय सदस्य, आप बहस नहीं करना चाहते, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। मेरा करबद्ध निवेदन है। आप नहीं चाहते हो न? आप नहीं चाहते हो? (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

आप नहीं चाहते हो? (व्यवधान) माननीय अजय सिंह जी। माननीय अजय सिंह जी, आप बोलिये। अजय सिंहजी का ही रिकार्ड होगा, भई। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आप बोलिये। आप बोलिये। (व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाओ। हाउस को आर्डर में लाओ, मैं आपकी भावना की कद्र करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। (व्यवधान) अजय सिंह जी बोलिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान में बिजली की सुचारू व्यवस्था का अभाव

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय उपाध्यक्षजी, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। नागौर जिले के अन्दर बिजली की व्यवस्था बिलकुल सुचारू रूप से नहीं है। नागौर के अन्दर आज लगभग 40,000 मीटर उपभोक्ताओं के खराब पड़े हुए हैं, जिनको विभाग द्वारा नहीं बदला जा रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय उपाध्यक्षजी, आज किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर्स को समय पर नहीं बदला जा रहा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना मैं समझ गया, आपकी भावना की कद्र की जाएगी। आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान) प्लीज प्लीज, विराजिये। विराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अजय सिंह (डेगाना): ...सरकार की घोषणा के बावजूद भी 72 घंटों में किसानों के ट्रांसफार्मर्स को नहीं बदला जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है, नियामक बोर्ड के द्वारा यह कहा गया है कि यदि 72 घंटे में किसी ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जाता है तो उसका सरकार मुआवजा दे, लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रही है। इसी प्रकार से नागौर के अन्दर, लगभग पूरे जिले में 40,000 विद्युत मीटर खराब पड़े हैं लेकिन विभाग द्वारा इन मीटरों को नहीं बदला जा रहा है। मेरी मांग है कि इस सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी वक्तव्य दें।

(श्री अजय सिंह)

इसी तरह से मुख्य मंत्री विद्युत योजना के तहत 250 और उससे अधिक की जनसंख्या की जिन ढाणियों को विद्युतीकृत करने के लिए सरकार द्वारा आवेदन लिये गये थे, उनको भी अभी शुरू नहीं किया गया है, सरकार इस सम्बन्ध में भी वक्तव्य दे कि कब तक बड़ी-बड़ी ढाणियों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति लगातार नहीं हो पा रही है। जनता की लगातार मांग के बावजूद उपखण्ड डेगाना मुख्यालय पर 132 केवीए का जीएसएस स्थापित नहीं किया गया है। अत: मेरी मांग है कि सरकार इसी वर्ष सदन में यह घोषणा करे कि 132 केवीए जीएसएस डेगाना मुख्यालय पर स्थापित कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आप विराजिये। आपका जवाब मिल जाएगा बाद में। मैं दिलाऊंगा। आसन आपका जवाब दिलाएगा, अभी नहीं। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान) आपकी भावना समझता है आसन, आपकी भावना समझता है। विराजिये। आप जो चाहते हो, उसका...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक-दो व्यक्ति नहीं, राजस्थान की सात करोड़ जनता बिजली के कारण से पिछले लम्बे समय से त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार बार-बार यह घोषणा करती है कि हम अपने बजट का 40 प्रतिशत...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××** (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा हम विद्युत उत्पादन में लगा रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):... सरकार ने चार बजट में लगातार विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन की बात कह रही है, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...चार साल में इन्होंने एक भी विद्युत गृह लगाकर उससे अगर विद्युत पैदा की हो, उसका नाम बता दो कि वह कौनसा प्रोजैक्ट है, जिस प्रोजैक्ट के द्वारा उन्होंने विद्युत उत्पादन किया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...दुर्भाग्य है इस राजस्थान का। (व्यवधान) आज सारे उद्योग ठप पड़े हैं। (व्यवधान) व्यापारी का व्यापार खतम हो गया क्योंकि चार-चार घंटे तक बिजली जब चली जाती है तो उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता है। न वह व्यापार कर पा रहा है, न किसान अपनी खेती कर पा रहा है। आपको हमने निवेदन किया था, मेरी इस समस्या से सारा राजस्थान प्रभावित है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...राजस्थान पूरा प्रभावित है। दुर्भाग्य यह है, इस सरकार को चाहिए था...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...यहां हम विद्युत पर चर्चा करना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब नहीं आया...

श्री उपाध्यक्ष: आपका सब्जैक्ट है। कटारिया साहब, आपका सब्जैक्ट है झीलों के किनारे बसी बस्तियों को धराशायी करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री फूलचन्द जी भिण्डा। (व्यवधान) माननीय श्री फूलचन्द जी भिण्डा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आज की तारीख में कहते हैं, हम किसान का पांच साल तक विद्युत का बिल नहीं बढ़ाएंगे। ईमानदारी से 2008 का उस किसान का बिल और 2012 का बिल, दोनों एक साथ देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मोहनलाल जी गुप्ता। मोहनलाल जी गुप्ता। (व्यवधान) माननीय मोहनलाल जी गुप्ता, अनुपस्थित। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ... दो गुना, ढाई गुना उस किसान का पैसा बढ़ाकर उस किसान को बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़। माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...वह चाहिए। वह लिखते हैं कि किसान के पांच साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं, इस समय यहां पर इतने सदस्य हैं, अगर आपके स्वयं के खेत पर बिजली लगी है तो 2008 का बिजली का बिल निकालो और 2012 का बिजली का बिल उसके सामने रखकर देखो, बिजली का पैसा किसान का दो गुना और ढाई गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आखिरी दफा पुकार रहा हूं, माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...केवल वोटों के लिए लोगों को गुमराह करने का धंधा करते हैं...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): **×××**

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइये पहले। पहले अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान) आप सीट पर जाइये पहले। वह सब बैठ रहे हैं, पहले आप सीट पर तो जाइये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आम-अवाम से जुड़ा हुआ यह विषय है। आज राजस्थान के सात करोड़ व्यक्ति चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो, बिजली की उपलब्धता नहीं होने की वजह से त्रस्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सीट पर जाइये। सीट पर जाइये। (व्यवधान) आपकी भावना है, मुझे याद है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार का घोषणा पत्र है, सरकार यह कहती है कि हमारा घोषणा पत्र मेरा नीति-पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलोगे इनके बाद। (व्यवधान) बिजली पर ही बात हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, उस घोषणा पत्र के पेज-13 के पैरा को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, राज्य के सभी गांवों को शहर की भांति 24 घंटे विद्युत उपलब्ध करवाना, किसानों को सस्ती दर पर आठ घंटे विद्युत उपलब्ध करवाना और 2008 में जो कृषि कनेक्शन पैंडिंग थे, वे सारे कृषि कनेक्शन जारी करना और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना, यह घोषणा थी इस सरकार के नीति-पत्र में। और, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, राजेन्द्र जी। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ बिजली पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाइये। राजेन्द्र जी राठौड़ बिजली पर बात कर रहे हैं। (व्यवधान) जो उचित होगा, जिन सदस्यों को बोलने की बात होगी, उनको मौका मिलेगा, आप विराजो। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा, राजेन्द्र राठौड़ की बात के बाद में आप और बोलिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलेंगे। बोलेंगे। आप सीट पर जाइये, बिजली पर बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप राजेन्द्र जी राठौड़ से नाराज हैं क्या? (व्यवधान) राजेन्द्र जी राठौड़। राजेन्द्र जी राठौड़ हैं, माननीय सदस्य हैं, आसन तो सभी सदस्यों का सम्मान करता है। राजेन्द्र जी राठौड़ बोल रहे हैं। हां, राजेन्द्र जी, बोलिये, साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसी सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि राजस्थान में लगातार पांच वर्षों तक बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर आज राजस्थान में मांग और ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह वादा किया था...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दीजिये। (व्यवधान) केवल राजेन्द्र जी राठौड़, केवल राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले विद्युत दरों में बढ़ोतरी की और उसके बाद 8 अगस्त, 2012 को...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गांवों में 18-18 घंटे की कटौती है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान के शहरों में एक-दो नहीं, आठ-आठ घंटों की कटौती है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समझता हूं...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) राजस्थान में विद्युत उत्पादन को लेकर इस तरह की छाती कूटने का काम हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं टाइम दे रहा हूं, आप विराजिये। बिजली पर टाइम दूंगा लेकिन आप बैठेंगे तब दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): +++ को ठेका मिला है, +++ की... (व्यवधान) +++ को ठेका मिला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, मैं टाइम दूंगा। अब आप नहीं बोलना चाहो...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, बिजली उत्पादन के नाम पर जो राजस्थान की सरकार घोटाला कर रही है, आपको मालूम होगा, छबड़ा और सूरतगढ़ दोनों 660-660 मेगावाट का थर्मल पावर आना था और उस थर्मल पावर में 2009 को घोषणा हुई....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके मैम्बर ही नहीं बैठ रहे, मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय करण सिंहजी। माननीय करण सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, मेरा निवेदन है...(व्यवधान) बोल रहे हैं आपके सदस्य, आप ही आर्डर में नहीं हो। (व्यवधान) आप ही आर्डर में नहीं हो, बिजली महत्वपूर्ण होती तो सीट पर होते आप। बिजली पर बोल रहे हैं, मैंने कह दिया, दो-तीन सदस्यों को आपको मौका दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, अतिरिक्त दूंगा। आप और क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आगे का सब्जैक्ट लूं फिर। (व्यवधान) आगे का लें फिर। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या करें आपका? आपके मैम्बर आपको नहीं बोलने देना चाहते, मैं क्या करूं? आसन क्या करे, आपके मैम्बर ही आपको नहीं बोलने देना चाहते, वैल में खड़े हैं। मैं आगे का सब्जैक्ट लूं फिर।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र जी राठौड़ का होगा, केवल राजेन्द्र जी राठौड़। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सदन को चलाना चाहते हैं क्या? आप बिजली पर बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: घनश्याम जी। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.06 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.36 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान में बिजली की सुचारू व्यवस्था का अभाव

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आज जिस तरह की भाषा का उपयोग सदन के नेता के लिए किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट सुन लीजिए कि क्या बात है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं को तोड़ने की इनकी आदत बन गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे अंकित नहीं हुए हैं। वह अंकित नहीं हुआ है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन में सदन के नेता की गरिमा नहीं रहेगी तो किसी की भी नहीं रहेगी। आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हां, बिलकुल मर्यादित थी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने क्या बोला, अगर आपको उस पर खेद है तो आप हाउस के अन्दर लिख दो। नहीं है तो फिर ठीक है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मेरी भाषा बिलकुल मर्यादित थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने यह कहा था...

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हुआ आपका शब्द, पहले का भी अंकित नहीं हुआ, आपका कोई अंकित नहीं होगा। आप सदन को चलने दें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए प्लीज। आसन को करबद्ध निवेदन नहीं करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, फिर भी मैं निवेदन करता हूं आपसे कि जब माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ अपनी बात कर रहे थे बिजली पर, बिजली का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा सदन जो चाहे, आसन तो केवल सदस्य की इच्छा के मुताबिक चलता है। इसलिए जब बात आ गई थी, कर रहे थे फिर भी आप नहीं गये अपनी सीट पर, यहां से बोल रहे हैं। नियम आसन नहीं सिखाता है, कोई गलती आसन से हो जाए जाने-अनजाने में तो करैक्ट आसन करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं, तिवाड़ी साहब, आपकी भावना की कद्र करता हूं, आप बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो मैं इनको मौका देता हूं। माननीय राजेन्द्र राठौड़, कन्क्लूड करें जल्दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में जो बात रख रहा हूं वह राजस्थान के आम अवाम से जुड़ी हुई बात है। बिजली आज हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई है और इसी बिजली को लेकर राजनीतिक वैतरणी पार करने के लिए हम कई-कई घोषणाएं, कई-कई घोषणा पत्रों में करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार के नीति पत्र की तरफ जो घोषणा पत्र है उसके पेज-13 पैरा-। की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने घोषणा की थी कि अगर उनके पास सत्ता आई तो राज्य में शहर की भांति सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे, किसानों को सस्ती दरों पर आठ घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे और विद्युत उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद सरकार को मौका मिला, सरकार ने अपने बजट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्तुत किये। सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया 2009-10 के अन्दर, उसके पैरा नम्बर-26 में कहा कि कृषि कनेक्शन की दिसम्बर, 2009 तक की प्रतीक्षा सूची को हम समाप्त कर देंगे इसी वित्तीय वर्ष में। फिर 2010-11 में कहा कि 65 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे। फिर 2011-12 में पैरा-14 में कहा कि 65 हजार को कनेक्शन देंगे। आज, उपाध्यक्ष महोदय, हालत क्या है? मैं इसी सितम्बर माह की बात कर रहा हूं, मैंने विद्युत कंपनियों के आंकड़ों को अख़बार में पढ़ा, इनके सी.एम.डी. यह कहते हैं, सितम्बर, 2012 में विद्युत की मांग थी 1542 लाख यूनिट और आपूर्ति हुई 1250 लाख यूनिट, यानी तीन सौ लाख यूनिट प्रति दिन आज विद्युत की मांग और आपूर्ति में अन्तर है। सब्ज बाग दिखाया था, 24 घंटे बिजली देंगे गांवों के अन्दर। आज गांवों के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांव से पधारते हैं, ग्रामीण जनजीवन अस्तव्यस्त है, 18-18 घंटों की कटौती है। शहरों में छोटे शहर में सात घंटों की और बड़े शहर में तीन घंटों की कटौती चल रही है। उसके बाद कोढ़ में खाज का काम तब हुआ जब सितम्बर, 2011 में घोषणा-पत्र की घोषणा के प्रतिकूल जाकर राजस्थान की विद्युत कंपनियों ने सरकार की अनुमति से विद्युत दरों में बाइस प्रतिशत की बढ़ोतरी की और बहाना यह बनाया कि हमारी विद्युत कम्पनियों को प्रति वर्ष 4,798 करोड़ का घाटा हो रहा है। यही नहीं फिर 8 अगस्त, 2012 को दूसरी बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई 18.8 प्रतिशत। 1,818 करोड़ रुपये का भार उपभोक्ताओं पर भार लाद दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज आम व्यक्ति के घर में 100 से 150 यूनिट बिजली का उपयोग होता है जो सिर्फ चार बल्ब जलाता है और तीन पंखे चलाता है। इसमें एक साथ 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी इस सरकार ने की जिसने वादा किया था कि पांच वर्ष तक विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। यह राजस्थान निर्माण के बाद आज तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। स्थाई शुल्क 140 से 160 कर दिया और नया मीटर लगाओ तो पहले 350 रुपये में लगता था, अब 850 रुपये कर दिये। ट्रांसफार्मर चार्जेज बीस प्रतिशत बढ़ा दिये। और कृषि कनेक्शनों में तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो इन्होंने रोक लगा दी और दूसरी तरफ 25 हार्स पावर का पैसा लगता था पहले जो भाजपा के राज में, उसको बढ़ाकर पांच हजार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ढाई लाख किसानों ने 2008 में आवेदन किया, वह इस कतार में लगा कि उसको कब कृषि कनेक्शन मिलेगा। पिछले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजट की 65 हजार की जिनकी घोषणा की थी, उसमें उन्होंने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी। ऐसे 45 हजार कनेक्शन डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद आज भी नहीं मिले। मैं सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसी नवम्बर में विद्युत कम्पनियों ने फिर याचिका लगाई है, 9 हजार करोड़ का लोन लेना है पावर फाइनेंस कमीशन आफ इंडिया से, गवर्नमेंट आफ इंडिया से, 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी फिर हो रही है। अगर ये सारे आंकड़े आप जोड़ लोगे तो इस सरकार के बनने के बाद विद्युत दरों में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, भूतो न भविष्यति।

श्री उपाध्यक्ष: आप छोटा करें। थोड़ा छोटा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब मैं खतम कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हम प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाएंगे। घोषणा की थी जनवरी, 2009 में छबड़ा-सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजैक्ट की 660-660 मेगावाट की। एक वर्ष चार महीने, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा, सरकार सोती रही घोषणा के बाद। 30 अप्रैल, 2010 को इन्होंने 13,200 करोड़ की लागत से दोनों पावर प्रोजैक्ट की निविदाएं आमंत्रित कीं। फिर उसकी तिथि बढ़ाते चले गये। 30 अप्रैल, 30 जुलाई, 9 अगस्त और यह तिथि इसलिए बढ़ाई कि +++...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये विषय से हट रहे हैं और यह बहस नहीं हो रही है। दो मिनट बोलने का मौका दिया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बीच में टोकाटाकी न करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सिर्फ दो मिनट के लिए बोलने का मौका दिया है। (व्यवधान) दो मिनट की आसन की व्यवस्था है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान) बोलने का हक है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था से चलता है सदन।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप तो पांच मिनट बैठो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुख्य मंत्रीजी का नाम लेते ही करंट क्यों आया आपके?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगर भ्रष्टाचार किया है तो सुनने का माद्दा भी रखो।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुख्य सचेतक महोदय किस नियम से बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजिये। वो मुख्य सचेतक हैं। अब आप बैठिये।

मेरा निवेदन करना है, माननीय सदस्य राजेन्द्र जी राठौड़ से अनुरोध है कि किसी भी पद वाला व्यक्ति हो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप जो है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह व्यक्तिगत आक्षेप थोड़े ही हुआ। यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, आप सदन चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते? देखिये...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिये। इनको बैठाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक से ज्यादा समझदार कोई नहीं बनें। कृपा करके, देखो सुनिये, आप वैल में थे फिर भी मैं चाहता था कि आप बोलें, कोई मुद्दा है, इसलिए कृपा करके ऐसा मौका मत आने दो। सदन का बिजनस पूरा करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं वादा करता हूं, मैं +++ का नाम नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष जी ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह की घटिया राजनीति पर उतर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये नाम किसी का भी आया है, नाम डिलीट कर दें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ इस सदन के सदस्य हैं क्या? +++ का नाम लो न आप।

श्री उपाध्यक्ष: नाम डिलीट कर दें। नाम किसी का भी आया है रिकार्ड पर नहीं आएगा। नाम सब डिलीट कर दें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मुझसे बात करो न आप। और किस-किस के नाम लेना चाहते हो आप? आ जाओ, इसी पर बहस कर लो आप। +++ के लिए क्या कहा, वो सारा देश जानता है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++ ने क्या किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं, उपाध्यक्ष महोदय, रिलेवेंट बात करूंगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) +++ के बारे में बोलो न, उनकी जी हुज़ूरी करते हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): दो मिनट के टाइम की जो अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी वो भी खतम हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, मैं अगला नाम पुकारता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान). +++ ने क्या किया?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, इस तरह के आरोप लगाने के लिए आप दो मिनट से ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो +++ का मामला है, वह सब डिलीट कर दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, बिलकुल डिलीट। एक दफा निर्देश, निर्देश।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कौन-कौन सी चीज को डिलीट करोगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जो अंकित है न, वो तो जो अंकित है वो राजस्थान की जनता ने देखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बहस करना चाहते हो? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तरीके से बोलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++ ने क्या किया? (व्यवधान) +++ ने क्या किया, यह बताओ? पचास लाख के पांच सौ करोड़ कैसे +++ ने किया? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सच्चाई बोलने वाले हैं ...(व्यवधान) चिन्ता मत करो आप।

श्री उपाध्यक्ष: गजेन्द्र जी खींवसर।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले सीडब्ल्यूजी, उसके बाद 2 जी, उसके बाद 3 जी।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई शब्द अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ के अलावा किसी का कोई शब्द अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुख्य सचेतक हैं और मुख्य सचेतक बोल रहे हैं, आपके सदस्य जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं अगला नाम पुकारूंगा। कोई अंकित नहीं होगा, केवल राजेन्द्र राठौड़ जी का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करके बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): छबड़ा और सूरतगढ़ का जो पावर प्रोजैक्ट था जिसकी निविदाएं आमंत्रित की गईं 30 अप्रैल, 2010 को, वह निविदा पांच महीने तक इसलिए बढ़ाई गई कि एक कंपनी है बीआरजी एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, यह उस वक्त अर्हताएं पूरी नहीं कर रही थी। इसके पास न तो कोई परफार्मेंस गारंटी थी न कोई टैक्निकल कोलेबोरेशन एग्रीमेंट था। इसने 7 अगस्त को एक कंपनी हिटाची के साथ कोलेबोरेशन किया, उसके बाद इस कम्पनी को मौका मिला और बढ़ी हुई रेट पर इसने भी भाग लिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि उसके बाद टेण्डर आमंत्रित किये गये और वो टेण्डर आमंत्रित किये गये 10 जनवरी, 2011 को।

श्री उपाध्यक्ष: छोटा करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल छोटा। 2009 की घोषणा, 10 जनवरी, 2011 में टेण्डर आमंत्रित किये गये। उसके अन्दर भेल, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल उपक्रम है वह एल-1 आया, उसकी दरें सात प्रतिशत कम थीं। उसके बाद नेगोशियेशन के नाम पर उसको बुलाया गया, उसने फिर तेरह प्रतिशत दरें कीं। उसके बाद भी जब उसको वर्क आर्डर नहीं दिया तो भारत सरकार के हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज मंत्री ...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): श्री प्रफुल्ल पटेल ने पत्र लिखा मुख्य मंत्रीजी को। उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद भी भेल एल-1 था उसके बाद भी उसको आर्डर नहीं दिया और उस निविदा को निरस्त किया। निविदा निरस्त करके उसकी शर्तें बदली गईं और शर्तों में रखा गया कि अब जो कम्पनी भाग लेगी उसको एक ही यूनिट की मैन्यूफैक्चरिंग का क्रय आदेश दिया जाएगा। 1300 करोड़ रुपये का घपला हुआ है विद्युत उत्पादन के नाम पर। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा घपला हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर। केवल मात्र गजेन्द्र सिंह जी खींवसर का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गजेन्द्र सिंह जी खींवसर का अंकित होगा, बाकी अंकित नहीं होगा। गजेन्द्र सिंह जी खींवसर, स्टार्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजना में कोई शब्द नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गजेन्द्र सिंह जी साहब, आप प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह जीरो आवर है कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, केवल गजेन्द्र सिंह जी का।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल गजेन्द्र सिंह जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल गजेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान) एक मिनट विराजिए, खींवसर साहब। आसन को इस बात की तकलीफ है कि बिजली के मुद्दे को आप एक तरफ बहुत अहम मान रहे हो। बिजली हमारे लिये असेंशियल चीज भी बन चुकी है। एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, पक्ष कोई-सा भी हो, पद कोई-सा भी हो। आसन को तकलीफ तब आई जब आपके मुख्य सचेतक बोल रहे हैं और आप बीच-बीच में। यदि इंटरप्ट किया है तो यह काम आसन का है, नहीं करना चाहिये। अब गजेन्द्र सिंह जी इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक सदस्य और बोले। आप गजेन्द्र सिंह जी को ही बुलाकर इस बात को समाप्त कराना चाहें तो मैं तो बुलाकर समाप्त कर दूंगा। इसका आशय यह जाएगा। विपक्षी पार्टी के लोग इस पर बहस करके हल्ला नहीं करके यह मैसेज नहीं जाने दें, मैं बिलकुल विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। इसलिए, गजेन्द्र सिंह जी खींवसर बोलें, अपनी बात कहें, आप शांति से सुनें। जिस-जिस का व्यक्तिगत नाम है, मुख्य मंत्रीजी तक का नाम है वह सब डिलीट करने के आर्डर हैं, और नहीं होगा तो हम कर देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि यह कतई रिकार्ड में नहीं जाएगा क्योंकि सदन की परम्परा कायम रहनी चाहिये, हमारे नियम कायम रहने चाहिये। जो कुछ है वह आप ही का है। सदन आप ही का है, यह आसन आपका है। इसलिए कृपा करके बहस कीजिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी भी जवाब दें। मंत्रीजी का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे तो मंत्रीजी का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा बिजनस बाकी बचा हुआ है। गजेन्द्र सिंह जी खींवसर। (व्यवधान) अब आप चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सोच में पिछले चार वर्ष में सरकार की जो सबसे भारी विफलता रही है

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

वह बिजली के क्षेत्र में रही है और जनता की जो सबसे भारी समस्या रही है वह भी बिजली क्षेत्र में रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, अगस्त के महीनों में चार घंटे भी राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही थी। यह बिजली एक बैंक की तरह मानिटर्ड है, सरकार से मैं कहता हूं, आप प्रूव कर दीजिए कि जुलाई, अगस्त में चार घंटे भी बिजली मिल रही थी। उसके बाद सितम्बर, अक्टूबर में किसानों को मुश्किल से पांच घंटे बिजली मिल पाई है, वह भी रुकावट के साथ में। बहुत अच्छा मानसून था उसके बावजूद भी खाली पांच घंटे बिजली क्यों मिली? मैं इसका कारण बताता हूं। इसका कारण सीधा लिंक है कि जो भी बिजली इनको मिली उसके लिये धन्यवाद है वसुंधरा जी को कि जो इतने प्रोजैक्ट हम लगा गये। हम फीता नहीं काट पाये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वाह-वाह मत बोलिए, एक्चुअल, फैक्चुअल देखिए ...(व्यवधान) मैं चार साल से सुनता हूं आप जो गलत बातें करते हैं। अख़बार में आप कहते हैं कि हमने यह किया, वह किया। क्या किया? सूरतगढ किसने लगाया, कोटा थर्मल इकाई किसने लगाई, छबड़ा किसने शुरू किया, कालीसिंध किसने शुरू की? आप लोगों ने की? आपके मुख्य मंत्रीजी जो केवल एक गिराल का प्रोजैक्ट छोड़कर गये थे हमारे लिये, उसकी भी खाली फाइनेंशियल स्वीकृति मिली थी। 2003 में हमारी सरकार आई थी, खाली एक गिराल का प्रोजैक्ट यह सरकार छोड़कर गई थी। यह हमारी बीजेपी की सरकार थी जिसके नाते जो भी बिजली है उसके कारण आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, हमारी सरकार के समय उत्पादन के लिये जो हम लगाकर गये थे उस वजह से। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में दो बार घोषणा की कि हम सुपर क्रिटिकल प्रोजैक्ट लगा रहे हैं- बांसवाड़ा में सुपर क्रिटिकल, कोटा में सुपर क्रिटिकल, छबड़ा में सुपर क्रिटिकल और सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल। कहां गये वे सुपर क्रिटिकल? सुपर क्रिटिकल तो आपकी हालत हो रही है बिजली में। कहां गये सुपर क्रिटिकल? दो प्रोजैक्ट तो ऐसे हैं जो अभी राठौड़ साहब ने जिक्र किया था, बीएचईएल का जो एल वन है वह वहीं पर इंस्टाल हो गया, बीएचईएल को नहीं दे रहे। क्यों बीएचईएल को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं मिलेगा। दो प्रोजैक्ट बंद पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो बचे हुए प्रोजैक्ट हैं वे चालू नहीं होंगे क्योंकि केन्द्र में मंत्री लोग और डिपार्टमेंट के लोग यह जो कोलगेट का स्कैम है उसके अन्दर हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपये खाकर बैठ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज वापस खानें ले ली गई हैं। इसका मतलब है कि बेइमानी की गई

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

है। आज हमारे सुपर क्रिटिकल प्रोजैक्ट के लिये ईंधन नहीं है। वे प्रोजैक्ट शुरू कैसे होंगे? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चिट्ठी लिखने के लिये कितने लिये थे?

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): कोई चिट्ठी नहीं लिखी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभी को बताओ वह चिट्ठी।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): कौनसी चिट्ठी? बताइए, कौनसी चिट्ठी? कापी है क्या आपके पास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ... (व्यवधान) चिट्ठी भेजी थी वहां पर ...(व्यवधान) उसमें भी तो कुछ लिया होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां पर उत्पादन ही नहीं होगा तो बिजली कैसे सप्लाई होगी?

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके उत्तेजना पैदा करने वाली बात मत कीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): बीच में क्यों बोल रहे हैं मंत्री जी? यह चिट्ठी की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आप सदन के पटल पर रखिए चिट्ठी कौनसी चिट्ठी है। आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप बताइए न चिट्ठी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष जी, उत्तेजना का आप पर तो कोई असर होता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं चाहता हूं किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): असंतुष्ट शांत रहते हैं, उस पर उत्तेजना का थोड़े ही असर होता है।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसान की कमर तोड़ दी। आज की तारीख में जितने भी कृषि कनेक्शन हैं, डिमांड नोटिस भरने के पश्चात डेढ़-डेढ़ साल तक कृषि कनेक्शन

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

नहीं दिये जा रहे हैं। किसान जिस दिन अपना डिमांड भरता है, उसके मन में एक आशा रहती है कि मेरे को कृषि कनेक्शन मिलेगा। हमारे टाइम में हम 40 दिन में कृषि कनेक्शन देते थे डिमांड नोटिस भरने के पश्चात्, आप रिकार्ड खोलकर देख लीजिए। होता क्या है? डिमांड नोटिस का पैसा जमा हो गया, वह जे ईएन, ए ईएन आफिस जाता है वहां उसको कहते हैं कि साहब पोल नहीं है। दो महीने पोल नहीं है में निकाल देते हैं फिर किसान को पोल दे देते हैं। पोल लगा देते हैं, फिर कहते हैं साहब तार नहीं हैं। दो-तीन महीने किसान तार के लिये घूमता है। उसके बाद कहते हैं साहब ट्रांसफार्मर नहीं है। कहते हैं न कि धणी न गुडकायां ही जाओ, ये लोग धणी को गुडकाते रहते हैं और किसान को डिमांड भरने के डेढ़ साल बाद कनेक्शन मिलता है। यह डिले क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, इसका भी मैं बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तिवाड़ी साहब, आपको बोलना है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: किसी को बोलना आप में से? माननीय उप नेता महोदय, एक आदमी के बोलने की बात हुई थी, किसको बोलना है? (व्यवधान) क्योंकि अब वह उत्तेजना पैदा करने वाली बात करने लग गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बिजली पर मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) नाम लीडर देंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखना चाहता हूं, कृपया अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: यह मैटर समाप्त हो जाए उसके बाद।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, उसके बाद मीटिंग रखी है अभी।

श्री उपाध्यक्ष: अभी समाप्त हो रहा है। मैं अभी आपको पुकारता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डेढ़ साल क्यों डिले हो रहा है क्योंकि मैटीरियल अवेलेबल नहीं है। मैटीरियल क्यों नहीं अवेलेबल है क्योंकि पैसा नहीं है। पिछले चार साल में ...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करो, आप एक मिनट में समाप्त करो।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): Please give me 5 minutes more.

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट की जगह आपने 5-7 मिनट ले लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): दो मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, दो मिनट नहीं हैं। वह अभी रिपोर्ट रखेंगे, उन्हें मीटिंग में जाना है।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): हां, मैं कर दूंगा दो मिनट में खतम। सामान नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। सरकार पिछले चार साल में घाटे को 13 हजार करोड़ से लेकर 50 हजार करोड़ तक ले गयी है। 50 thousand crores of Rupees is the debt of the department. उपाध्यक्ष महोदय, उसका ब्याज-ब्याज 7-8 हजार करोड़ रुपये है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आप विराजिए, काफी बात हो गई।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मैं एक मिनट और लूंगा। पिछले दो वर्ष में दो बार डोमेस्टिक बिजली की दरें इन्होंने बढ़ा दी हैं। राजस्थान में अगर आप फिजिकल नम्बर देखें तो डोमेस्टिक उपभोक्ता हमारा सबसे भारी उपभोक्ता है, उसमें इन्होंने बिजली की रेटें बढा दीं। उधर मुद्रास्फीति बढ़ गई, जितने भी खाने-पीने की चीजें थीं उनमें महंगाई बढ़ गई। फिर इन्होंने की डीजल की मार, वह तो की केन्द्र सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने हमारे राज्य में हमारे लोगों को दो बारी 16 से 20 प्रतिशत कर दिया। लोग यूं ही मर रहे थे डीजल से और बाकी कीमतों से और अपने मुख्यमंत्री की देन यह रही है कि 16 से 20 प्रतिशत इन्होंने हमें और भी मारकर रख दिया। धन्यवाद बोलने देने के लिए।

(14.00 बजे)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रघु जी शर्मा, मुख्य सचेतक।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 26)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. रघु शर्मा)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को मध्यान्ह पूर्व 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर, 2012 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

वर्ष 2012-13 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन।

वर्ष 2008-2009 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन।

- मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012
- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2012,
- बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012
- डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012,
- शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर विधेयक, 2012
- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012,
- राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012,
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012, व
- कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

पर विचार एवं पारण

शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012, व
- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के चलते विधेयकों में संशोधन के अधिकार समाप्त

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बड़ी खामियां हैं। पहली खामी तो यह है, आपने सुबह यह निकाला कि यह गोपनीय रखी जाए जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं हो। सदन में अब प्रस्तुत हुई है। इसके पहले आपने 48 घण्टे जो माननीय सदस्यों को संशोधन के मिलते थे, वे नहीं दिये, केवल एक पत्र भेज दिया। रात को डेढ-दो बजे तक आपकी रिपोर्ट किसी के पास नहीं पहुंची, कि प्रात:काल 11.00 बजे तक जिनको इनमें संशोधन देना है वह संशोधन दें, एक। जिनको क्लाजवाइज संशोधन देने थे और सारे संशोधन देने थे वे सारे अधिकार आपने इसमें समाप्त कर दिये, एक बात। दूसरी बात, इसमें यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आय व्यय संकलन अनुपूरक अनुदान की मांग व अतिरेक मांगें हैं, वे जब तक पहले पारित नहीं हों तब तक उसका उपस्थापन का इसमें ला ही नहीं सकते। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बातों की बड़ी गलती हुई है।

यह जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है वह एक तरफा प्रतिवेदन है, इसलिए आज दुबारा तीन बजे कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि हमने बुलाई है। उन्होंने कहा था हम कल मीटिंग करेंगे। जब आपकी मीटिंग है तो मीटिंग करके एक साथ ही आप इसको कर लें तो काम का विभाजन भी ठीक हो जाएगा और काम का विभाजन ठीक होगा। अभी दो मीटिंग भी रखी हैं, एक मीटिंग दो बजे माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखी हैं। एक तीन बजे कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है। इसके बीच में अभी जीरो आवर चल रहा है, इसलिए इसके बीच में आपका कोई भी बिल नहीं आएगा, उपस्थापन कुछ होगा नहीं और तीन बजे आप मीटिंग कर ही रहे हैं, इसलिए तीन बजे की मीटिंग के बाद में एक सबकी राय से अगर आप लेकर आ जाएंगे तो हम इसको आराम से पारित करेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही अनुरोध है कि इसको पारित किया जाए। दो दिन का बिजनस हमने कल तय किया और उसी के आधार पर मैंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे उसमें और कुछ करेंगे आज, तो और उसको....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही आ जाएगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उसमें फर्क क्या पड़ता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फर्क पड़ रहा है उसमें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें फर्क पड़ रहा है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आज जो मीटिंग में तय होगा उसको फिर उपस्थापन कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं नहीं, उपस्थापन बार-बार करना, आप इसको जब पारित करा ही रहे हो... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पहले भी हुआ है, सर, यह तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पारित करा ही रहे हो, (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस रिपोर्ट को आप पास करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसके हम खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं कि आय व्यय के उपस्थापन के लिए तो आपने कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाई ही है, समय तय करने के लिए मीटिंग तय है, उसके लिए बुलाई है तो फिर मीटिंग किस बात की कर रहे हैं? (व्यवधान) ऐसे कैसे चला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: विनियोग विधेयक के लिए तो बुलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य उपस्थापन के लिए यह... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर काहे की मीटिंग है, साहब? मीटिंग में क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: सदन मीटिंग से सर्वोपरि होता है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मीटिंग से चालू होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सर्वोपरि सदन होता है। (व्यवधान) बड़ा सदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सदन तो बड़ा है ही, इसलिए सदन में ही रिजैक्ट करते हैं इसको। और तो क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आपने भावना व्यक्त की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा नहीं है, साहब। अगर बिलकुल सारी परम्पराओं को ही ताक पर रखना है, सारी मान्यताओं को ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): डिवीजन करा लो।

श्री उपाध्यक्ष: तीन बजे ...(व्यवधान) जो भी कार्य सलाहकार समिति है उसका प्रतिवेदन, सदन स्वीकृति दे देता है उसके बाद यदि कोई कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो उसको अमैंड भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। (व्यवधान) तीन बजे आप अमैंड कर सकते हो, किसी को चाहो तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थापन पहले कर ही दिया इन्होंने, अतिरेक मांगों के लिए पहले उपस्थापन कर दिया, फिर काहे का ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में आपका कोई बिजनस ही नहीं आ रहा है। जीरो आवर चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जितनी देर कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग चलेगी, कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग के नाम पर सदन इंतजार नहीं करेगा, इसलिए आप उसको अमैंड कर दीजिए। बिजनस नहीं आ रहा इसीलिए उसको अमैंड किया जा सकता है। आप चाहो तो वहां कर लेना, कोई दिक्कत नहीं।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 26)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? जो पक्ष में हो हां, कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री उपाध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री उपाध्यक्ष: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन। उपाध्यक्ष महोदय, वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वी वांट डिवीजन, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) डिवीजन, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ना पक्ष जीता । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रियाओं में डिवीजन कराना...(व्यवधान) हमारा अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): डिवीजन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, सीट पर बैठे-बैठे बोलना नियमों के विपरीत है। नियमों के विपरीत है। सब दब जाएगा। नियमों में जो होगा वह सारा प्रोसीजर अपनाया जाएगा। आप सुनिये। पता है वाइस भी है, संख्या बल भी है, लिखित में भी है, वैसे भी है, आप शिक्षा मत दीजिए। पहले शिक्षित बनिये, उसके बाद शिक्षा दीजिए। केवल समय का जाया करना हो ...(व्यवधान) आपने देखा होगा, मैं सीधा देख रहा हूं, न इधर देखता हूं न इधर देखता हूं। आप अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करोगे तो फिर पुराने हो जाओगे। (व्यवधान) आपकी भावना को मैं समझता हूं। सुनिये, इसलिए मैं इसको दुबारा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) मैं चश्मा और लगाता हूं, आप कृपा करके शांत रहिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शांत रहिये। माननीय मालपुरा से आने वाले विधायक जी, दुनिया को पता है आप मालपुरा से जीते हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सदन सर्वोपरि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करिये, सब जीतकर आए हैं, अपन दोनों ही नहीं आये। आप विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? जो पक्ष में हों हां कहें, ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो विपक्ष में हो ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना । (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ना पक्ष जीता । (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र, मांग कर सकते हैं। (व्यवधान) हम डिवीजन चाहते हैं। अगर 20 प्रतिशत माननीय सदस्य मांगते हैं तो डिवीजन देना अनिवार्य है नियमों में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिवीजन। उपाध्यक्ष महोदय, लाबीज क्लियर करवाएं, उपाध्यक्ष महोदय, लाबीज क्लियर करवाएं। (व्यवधान) लाबीज क्लियर करवाएं। We want division. लाबीज क्लियर करवाएं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 'हां' पक्ष जीता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक बार माननीय सदस्यों को पता तो लगे कि वोट कैसे डलता है। कम से कम एक बार दिखवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाबी क्लियर करवाएं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाबीज क्लियर करवाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवाल जीत-हार का नहीं है। सवाल जीत-हार का नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इनको यह पता नहीं है, वोट कैसे डलता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ): सवाल जीत-हार का नहीं है, सवाल है डिवीजन का। लोकतंत्र में डिवीजन नहीं होगा तो फिर राजतंत्र हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): We want division, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाबीज क्लियर करवाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कम से कम राजस्थान की जनता को यह तो पता लगे कि हाउस किस तरह से काम करता है और कानून को किस ढंग से यह सदन पास करता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप शून्य-काल में शून्य की स्थिति पैदा मत करिये। आपको आसन कोई बात कहे, उसके पहले ही अपना डिसीजन दे रहे हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह आपकी बात नहीं है, डिवीजन चाहिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दीजिए। आप निर्णय दीजिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन मांग रहे हैं, लाबीज को जल्दी खाली करवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाबीज क्लियर करवाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) नियमों और प्रक्रियाओं में डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है। हमारे उप नेता ने डिवीजन मांगा है, डिवीजन दीजिए आप हमें। लाबीज क्लियर करवाइये। हमारी प्रार्थना है आपसे। (व्यवधान) हमारी प्रार्थना है आपसे। हमें संरक्षण दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): डिवीजन मांगना क्या नियम विरुद्ध है? राजस्थान की जनता को कम से कम यह तो जानने दो कि वहां जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, वे दो दिन का सत्र चलाकर हमारे साथ क्या न्याय करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जिस प्रकार का उन्होंने प्रतिवेदन यहां उपस्थापित किया है, इस डिवीजन से यह तो लगेगा कि राजस्थान के कितने लोग तो इस पक्ष में हैं कि दो दिन केवल हाउस चलाकर इसकी इतिश्री कर दी जाए और कौन यह चाहते हैं कि हाउस कम से कम 8-10 दिन चलाकर राजस्थान की समस्याओं को जनता के सामने लाया जाए। इस बात का डिवीजन। हम कम संख्या में होंगे तो भी कोई बात नहीं, हमारी संख्या तो जाएगी कि हम राजस्थान का हाउस चलाना चाहते हैं। संख्या के आधार पर जो भी आपके पास बहुमत होगा तो आ जाएगा गिनती में। हमारे पास कम बहुमत होगा तो हमारी गिनती आ जाएगी कि हम संख्या में कम हैं। कम से कम यह मैसेज तो जाएगा कि राजस्थान के जन-प्रतिनिधि इस राजस्थान के लोकतंत्र की किस तरह से हत्या करते हैं। (व्यवधान) और लोकतंत्र को किस ढंग से चलाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्षजी, लाबीज को बंद कराइये।

श्री उपाध्यक्ष: और कहना है किसी को?

एक माननीय सदस्य: डिवीजन कराइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाबीज क्लियर कराइये। (व्यवधान) आपसे न्याय की उम्मीद है, उपाध्यक्ष महोदय, हमें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, डिवीजन नहीं है। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर इस सदन में कभी डिवीजन हुआ है, पहले तो यह पता करें।

एक माननीय सदस्य: नहीं हुआ होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कभी भी नहीं हुआ, नियमों में मनाही है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: परिपाटी क्या है, परम्परा क्या है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डिवीजन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। डिवीजन इसलिये ही करा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार जनता की समस्याएं सुनने के लिये तैयार नहीं है, सदन नहीं चलाना चाहती है। जहां 'हां' और 'ना' का सवाल है, वहां डिवीजन हो सकता है। यह कहीं मनाही नहीं है। आज तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा।

श्री पेमाराम (धोद): इससे पहले हुआ है। इससे पहले दो दफा राजस्थान विधान सभा में हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पहली दफा चुनकर आये हैं लेकिन राजस्थान की विधान सभा में...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अमराराम जी, आप तो यह बता दो कि इनका जब शासन था, इन्होंने कितने दिन चलाया? इन्होंने अपने शासनकाल में कितने-कितने दिन चलाया, आप इनसे पूछ लें पहले। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवाल आपका और इनका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह राइट है, सदस्य का यह अधिकार है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सदन चलाने के लिये व्यवस्था आपके हाथ में है। (व्यवधान) आप चाहें तो व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आखिर इस डिवीजन पर एतराज क्यों है? आपके नियमों में डिवीजन के प्रोविजन दिये हुए हैं। डिवीजन मांगा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन मांगना मेरा हक है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज हो सकता है। There is a knowledge of a beginning.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 215 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। इसमें लिखा है, सदन में प्रतिवेदन के, कार्य सलाहकार समिति का है यह, 'सदन में प्रतिवेदन के उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी भी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है।' यह हमारा अधिकार है, इसमें दिया हुआ है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन हमारे उप नेता ने क्लेम किया है, लाबीज क्लियर करवाएं। आप विक्रमादित्य के आसन पर बैठे हैं, आपसे न्याय की उम्मीद है। राजस्थान के अवाम में यह बात तो चली जाए कि ये सदन से किस तरह से भागना चाहते हैं। (व्यवधान) ये किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रकरण बता रहा हूं मैं आपको।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार आपने अगर निर्णय दे दिया...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमारे उप नेता बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये, आप बोलिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने पहले हां कर दिया कि 'हां' पक्ष जीता, उसके पहले अगर ये एतराज कर देते तो कुछ होता। जब उस पर कुछ नहीं किया तो आप अपना तो दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 'हां' कहने के बाद होगा, पहले पढ़कर आओ। अलाउद्दीन जी, पढ़कर आओ पहले। पहले ये किताबें पढ़ो, पढ़े-लिखे आदमी हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 215 पढ़ लीजिए, हमारा अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सब पढ़े-पढ़ाए ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अशिक्षित ही रहने दीजिए मुझे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर भी आसन को हमारा प्रार्थना करने का है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रार्थना इधर से करें, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय पूनमचन्द जी ने...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): घनश्याम जी, एक बात और है, पढ़े-पढ़ाए और पढ़े-लिखों में फर्क है। ये पढ़े-पढ़ाए हैं और आप पढ़े-लिखे भी हैं। इसलिये नियम सही पढ़ लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लिखे भी हैं। मैं आग्रह कर रहा था, नियम 215, माननीय पूनम चन्दजी विश्नोई विधान सभा के अध्यक्ष थे, मैंने स्वयं संशोधन पेश किया था। संशोधन स्वीकार हुआ, उस पर मतदान हुआ और बातचीत हुई। जब एक साथ बैठकर हम निर्णय करते हैं तो कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर मतदान नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हमने बायकाट किया था और एक-पक्षा यह है और मैंने यह भी आग्रह किया कि तीन बजे मीटिंग है, तीन बजे मीटिंग कर लेंगे तो हम उसमें सामूहिक रूप से लेकर आ जाएंगे। उसको भी अस्वीकार कर दिया। अब हम यह जो मतदान करा रहे हैं, वह सरकार को सेंसर करने के लिये और सरकार को गिराने के लिये नहीं करा रहे हैं। हम केवल यह रजिस्टर करने के लिये कर रहे हैं कि सदन जो दो दिन चलाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दो दिन सदन चले। ज्यादा चले। जनता को यह मैसेज जाए कि प्रतिपक्ष सदन ज्यादा चलाना चाहता था और सत्तारूढ़ दल नहीं चलाना चाहता था। इसलिये हम डिवीजन चाहते हैं। हमारा मत रजिस्टर कराना चाहते हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उप नेता महोदय, मेरी तो इतनी ही गुजारिश है, आप लोगों ने क्या परम्परा स्थापित की, वह भी बता दो सदन को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बता देंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब आप लोग सरकार में थे, दो दिन, एक दिन, तीन दिन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वह भी बता दूंगा। वह जो भी बात हुई है, वह सबके सामने है। यह कोई छिपी हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसका परिणाम भोग लिया, आप भी भोगेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपन तो आपके शुभ-चिंतक हैं। अपन चाहते हैं कि आप परिणाम नहीं भोगें। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री करणसिंह (छबड़ा): उस वक्त आपको नींद ठीक नहीं आती थी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने इनको पर्याप्त समय दे दिया। घरों से लोगों को और बुला लें, टेलीफोन कर लें, वह समय आपने दे दिया। वह समय अब समाप्त हो गया है। आपसे आग्रह है कि आप घण्टी बजाएं, लाबीज क्लियर कराएं और मतदान कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा विद्वान आदमी आसन पर है।

श्री उपाध्यक्ष: कितनी दफा बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप जैसा विद्वान आदमी, इस राजस्थान में आप निष्पक्षता के कारण प्रसिद्ध हैं, अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं और आप जैसा आदमी आसन पर विराजमान हो, नियम 215 में स्पष्ट उल्लेख किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात पर कायम रहना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिवीजन कराइये, उपाध्यक्ष महोदय। लाबीज क्लियर कराइये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): राजेन्द्र जी कितनी मधुर भाषा से बोल रहे हैं, आप जैसा विद्वान आदमी। ऐसे शब्द आपके मुंह से हमेशा निकलवाए भगवान।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा जहां तक खयाल है.....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन तो निर्णय दे चुका।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, निर्णय तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, आप आसन पर हैं और मुख्य सचेतक महोदय ने जिस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप ही खड़े हो रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस तरह आसन को इंगित किया इन्होंने। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप क्या कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने आपको प्रभावित ही नहीं, आपको आदेश देने की मुद्रा में कहा है कि आप निर्णय कर चुके हो। यह कोई बात है? (व्यवधान) यह सदन की गरिमा, आप हमारे सर्वोपरि हैं, आप इनको समझाइये। नहीं, कैसे कह दिया इन्होंने ऐसे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे को तो ये समझा देंगे, आपको कौन समझाएगा, यह बताओ?

श्री करणसिंह (छबड़ा): इनको समझाने वाला कोई है ही नहीं। इनको तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझा पा रही है।

एक माननीय सदस्य: मैडम ही नहीं समझा पा रही हैं इनको तो।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा जहां तक खयाल है, आप दोनों मुख्य सचेतक बैठकर निर्णय करके आया करो सदन में।

एक माननीय सदस्य: क्या निर्णय, कोई निर्णय नहीं हो रहा आज तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? जो पक्ष में हो, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री उपाध्यक्ष: जो विपक्ष में हो, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: नो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'ना' पक्ष जीता। 'ना पक्ष जीता।' (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 'हां' पक्ष जीता। 'हां' पक्ष जीता। 'हां' पक्ष जीता है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): करवा लो, करवा लो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 'हां' पक्ष जीता है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 'ना' पक्ष जीता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वी वांट डिवीजन। वी क्लेम डिवीजन। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिवीजन, डिवीजन।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दफे ही पुकार सकते हो। पुकार दिया, घंटी बजाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वी क्लेम डिवीजन। चाहे संख्या हमारी कम हो या ज्यादा हो, राजस्थान की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हमारे प्रतिनिधि हाउस को चलाने के लिए कितने हैं। (व्यवधान) अपने आप सामने आ जाएगा। हमारी संख्या कम हो या ज्यादा हो, गिनती में आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कराइये आप डिवीजन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को एक मैसेज जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिवीजन। डिवीजन। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विवाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तीन बजे बैठक कर रहे हैं। तीन बजे बैठक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लाबी क्लियर करवाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लाबी क्लियर कराओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इतनी देर में तो हो जाता। जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से करवा लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): करवाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वी वांट डिवीजन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह हमारा अधिकार है। संविधान में दिया हुआ अधिकार है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन। वी क्लेम डिवीजन। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप तो बजाओ घंटी और लाबी क्लियर कराओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाबी क्लियर करवाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कम से कम पता तो लगे कि वोट कैसे पड़ता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

अपने यहां पर तो ये सिम्बल भी लगे हुए हैं, एक बार इनका उपयोग करके तो देखो, इतने पैसे खराब किये, कि क्या उपयोग हो रहा है इनका। (व्यवधान) कम से पता तो लगे कि कैसे वोट दिया जाता है। (व्यवधान) इतना पैसा खराब किया हमने, जिस सिस्टम को अपन ने लगाया है, उसकी कम से कम एक बार आजमाइश तो हो। आखिर सरकार का इतना पैसा लगाया है। कम से कम यह पता तो लगे कि यहां पर वोट देना भी आता है या नहीं आता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में शून्य की स्थिति नहीं रहती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वी वांट डिवीजन। हमारा इतना ही कहना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें डिवीजन दीजिए। डिवीजन दीजिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। आप सब विराजिये। (व्यवधान) अब आप तो

(श्री उपाध्यक्ष)

निर्णय के पहले ही बोल जाते हो, मैं करूं उससे पहले ही। (व्यवधान) कम्पल्शन नहीं होना चाहिए न। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने इतना टाइम दे दिया उनको। इतना टाइम दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष: मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा हूं। कृपा करके इस तरह के एलिगेशन से बचिए। (व्यवधान) ठीक है, आपकी मर्जी फिर। हां, हो रहा है, ठीक है। जो आसन उचित समझेगा, वह सब करेगा। (व्यवधान) इस तरह से तो आप अपना निर्णय दे रहे हो। (व्यवधान) दीजिए आप निर्णय। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

वाइस वोट से 'हां' पक्ष जीता। सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'ना' पक्ष जीता। (व्यवधान)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची पर बोलने वाले। आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को शून्यकाल में बोलने हेतु...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): थोड़ी देर के लिए स्थगित करा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो पर्चियां प्राप्त हुई हैं उसमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी हैं, जो निम्नांकित हैं:-

श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)

श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह। (अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। श्री पेमाराम। (अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी। श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान) प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। क्योंकि समय कम है और बिजनस भी ज्यादा है इसलिए ये पढ़ी हुई मानी जाएं। पढ़ी हुई मानी जाएं।

(नियम-295 के तहत पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। माननीय श्री शांति कुमार धारीवाल। माननीय श्री शांति कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित-11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ3 (50) यूडीएच/3/2012, दिनांक 31.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 विरचित किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 31.5.2012 जिसके द्वारा अपील अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 31.5.2012 जिसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी एवं उच्चतर अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 31.5.2012 जिसके द्वारा उच्चतर अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या : एफ.3(114) नविवि/3/2012, दिनांक 28.6.2012, जिसके द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत देय प्रीमियम शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(6) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 31.7.2012 जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 7.7.2012 जिसके द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए भूमि के आबंटन के मामलों में भूमि की प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं;

(8) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 03.09.2012 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर एवं जैसलमेर में भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 21.9.2012 जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों हेतु प्रीमियम की संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं;

(10) अधिसूचना संख्या : एफ.3(50) नविवि/3/2012, दिनांक 21.9.2012 जिसके द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु दरें निर्धारित की गई हैं; एवं

(11) अधिसूचना संख्या : एफ.9(63) यूडीएच/3/81, दिनांक 11.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

विधि विभाग

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधि विभाग की निम्नांकित एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या : जीएसआर. 5, दिनांक 20 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री आबकारी विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 पार्ट-1, दिनांक 01 अप्रैल, 2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.4(62)वित्त/आबकारी/96, दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 पार्ट-1, दिनांक 01 अप्रैल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 पार्ट-1, दिनांक 01 अप्रैल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेंट बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 पार्ट-1, दिनांक 01 अप्रैल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल, बार/क्लब बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 पार्ट-1, दिनांक 01 अप्रैल, 2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.4(85) वित्त/आबकारी/2003, दिनांक 19.2.2004 में संशोधन किया गया है; एवं

(6) अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012, दिनांक 17 मई, 2012, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की 9 एवं उपनिवेशन विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्व विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (2) राज-6/03 पार्ट/7, दिनांक 2.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (40) राज-6/2011/8, दिनांक 5.3.2012 जिसके द्वारा जिला जयपुर तहसील फुलेरा के ग्राम लालपुरा को लवण क्षेत्र घोषित किया गया है;

(श्री हेमाराम चौधरी)

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (1) राज-6/06/पार्ट/9, दिनांक 29.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (48) राज-6/01 पार्ट/11, दिनांक 10.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (1) राज-6/06/पार्ट 13, दिनांक 29.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-अभिलेख नियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत टोंक जिले को नोटिफाइड किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 9 (60) राज-6/2012/14 दिनांक 19.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बीज गोदामों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 9 (31) राज-6/2006/15, दिनांक 9.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 11 (1) राज-6/2004/21 दिनांक 31.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है; एवं

(9) अधिसूचना संख्या एफ.6 (6) राज-6/92/पार्ट/26 दिनांक 14.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.1.2012 के संदर्भ में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) उप/2008, दिनांक 11.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कालोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (38) उप/2000/पार्ट-V, दिनांक 15.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कालोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम/91, दिनांक 22.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विवादों का विद्युत लोकपाल द्वारा निपटारा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 विरचित किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम/92, दिनांक 18.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2012 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री परिवहन विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ. 7 (229) परि/रूल्स/एचक्यू/2003/3454, दिनांक 13.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (59) परि/कर/मु./05/645, दिनांक 27.4.2012 जिसके द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत वितरित स्कूटी पर देय एक बारीय कर एवं सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (96) परि/कर/मु./10, दिनांक 3.5.2012 जिसके द्वारा दिनांक 20.5.2012 से 2.6.2012 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रुपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है;

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (59) परि/कर/मु./05/दिनांक 30.7.2012 जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की वाहन महेन्द्रा जायलो को विकलांग महिलाओं/बालिकाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने आदि कार्यों हेतु कर में छूट प्रदान की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (75) परि/कर/मु./08, दिनांक 14.8.2012 जिसके द्वारा दिनांक 15.8.2012 से 2.9.2012 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रुपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है;

(6) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (138) परि/कर/मु./10, दिनांक 23.8.2012, जिसके द्वारा लायन्स आई हास्पिटल ट्रस्ट रानी, जिला पाली के वाहन संख्या आरजे-22-पीए-1922 (41 सीट) एवं आरजे-22-पीए-2310 (33 सीट) को नेत्र रोगियों के उपचार सम्बन्धी कार्य हेतु कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

(7) अधिसूचना संख्या : एफ. 6 (75) परि/कर/मु./08/9785, दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा दिनांक 13.9.2012 से 30.9.2012 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रुपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांति कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री 7 प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे:-

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 7 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे) वर्ष 2011-12

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष, 2011-12;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-5 (सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2009-10

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-5, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (सिविल-स्थानीय निकाय);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन संख्या-6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन संख्या-6;

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट-द्वितीय वर्ष (वर्ष 2012-13 के लिए) तथा इस पर कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट-द्वितीय वर्ष (वर्ष 2012-13 के लिए) तथा इस पर कार्यवाही (एटीआर) के विवरण का ज्ञापन;

लोकायुक्त के प्रतिवेदन से सम्बन्धित स्पष्टीकारक ज्ञापन

लोकायुक्त के प्रतिवेदन से सम्बन्धित स्पष्टीकारक ज्ञापन;

जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षण लेखा विवरण वर्ष 2002-03 से 2010-11 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2011-12

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षण लेखा विवरण वर्ष 2002-03 से 2010-11 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2011-12; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2001-02 से 2010-11

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री, राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-11, एवं

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके खिलाफ हमने अविश्वास का नोटिस दे दिया है, अब नैतिकता यही है कि आपको सदन की कुर्सी से हट जाना चाहिये। अब दूसरा व्यक्ति आकर विचार करेगा, आप छोड़िये कुर्सी को। (भारी व्यवधान) आपने तानाशाही रवैया अपनाकर जो काम किया है, वह गलत है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखेंगे।

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री गुलाबचन्द कटारिया, सभापति जन लेखा समिति, 2012-13 के 25 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमने नियम और प्रक्रिया के नियम 134 के तहत आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, आप नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़िये और अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस की तिथि निश्चित कीजिये। (भारी व्यवधान)

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्र.सं. 93 से 103)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 के 11 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के निम्न 11 प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं:-

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 93वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 94वां प्रतिवेदन,

(3) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 95वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-03) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 96वां प्रतिवेदन,

(5) विद्युत क्षेत्र की कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-04) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 97वां प्रतिवेदन,

(6) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 98वां प्रतिवेदन,

(7) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन

(श्रीमती जकिया)

(वाणिज्यिक) वर्ष 2006-07) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 99वां प्रतिवेदन,

(8) राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-07) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 100वां प्रतिवेदन,

(9) विद्युत क्षेत्र की कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-07) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 101वां प्रतिवेदन,

(10) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-11 के 43वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 102वां प्रतिवेदन, एवं

(11) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-11 के 38वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 103वां प्रतिवेदन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको अधिकार नहीं है। आप यह गैर-कानूनी काम कर रहे हो। आप में थोड़ी बहुत ही नैतिकता नहीं है। आप में जरा-सी भी नैतिकता होती तो आप इसको छोड़ देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पत्र गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतना मत अभिमान करो आप।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

प्राक्कलन समिति 'ख' (क्र. सं. 22)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख' 2011-12 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख' 2012-13 के परिपालनात्मक 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: हां, मैंने नियम पढ़ लिया। मैंने नियम पढ़ लिया। मेरे पास है। नियम 134 है न!

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांग (प्रथम संकलन) एवं अतिरेक मांगें

वर्ष 2008-09 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2012-13 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) तथा वर्ष 2008-09 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2012-13 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) तथा वर्ष 2008-09 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि सदन आर्डर में नहीं है, इसलिये सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.35 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(**15.35 बजे**)

पुन: समवेत् होने पर

(**श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन**)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वापस जाओ। (व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य: वापस जाओ, वापस जाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हम 71 माननीय सदस्यों ने नियमों के नियम 134 के अन्तर्गत आपके खिलाफ अविश्वास प्रकट किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.36 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(16.06 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर मत विभाजन की मांग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हमने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 134 के तहत माननीय उपाध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। सभापति महोदय, 135 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें साफ लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 181 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब नियम 134 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जाए तो पीठासीन अधिकारी कोई अन्य होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसका मतलब मैं यह मानूं कि जो प्रस्ताव हमने रखा है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय भी नहीं आये और उपाध्यक्ष महोदय भी नहीं आये, और यह प्रक्रियाओं का नियम 135 साफ कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा, इसका मतलब यह हो गया कि आपने बड़ी कृपापूर्वक उपाध्यक्ष महोदय के खिलाफ जो हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार कर लिया। तो मेरी प्रार्थना है कि उसकी तिथि निश्चित कर दें ताकि उस पर बहस हो जाए, नम्बर एक बात।

नम्बर दो बात, सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर हमारे उप नेता ने मांग की थी, मत विभाजन की मांग की थी क्योंकि यह सरकार सिर्फ दो दिन के अन्दर सारे कार्य करके भागना चाहती है। हमने पहले भी कहा था, सरकार का संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है ...(व्यवधान) भागना चाहती है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वो इश्यू खतम हो चुका है। आप अगर सदन चलाना चाहते तो बी.ए.सी. की मीटिंग में आना चाहिए था आपको। वो इश्यू खतम हो चुका आपका। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इश्यू तो वहीं खड़ा है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप खुद नहीं चलाना चाहते हो। यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, आप क्यों नहीं आये वहां पर?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इश्यू तो वहीं खड़ा है, इश्यू खतम नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन चलाने की मर्जी आपकी है ही नहीं। अभी कार्य सलाहकार समिति की बैठक थी, उसमें आप लोग क्यों नहीं आये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक साथ दोनों दिन ...(व्यवधान) एक साथ दोनों दिन रखे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, हम पहले दिन से इस बारे में आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 6 महीने में राजस्थान में जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार की घटनाएं घटी हैं और जो विषय आज जनता को उद्वेलित कर रहे हैं, यही अवसर होता है जब हाउस में उन विषयों को लाया जाए और जनता को उसमें से राहत पहुंचायी जाए।

अफसोस इस बात का है, हमको ऐसी क्या जल्दी है कि हमारे पास समय नहीं है और समय नहीं होने के कारण से जनता के मुद्दों को इस सदन में लाकर हम डिस्कस न करें। यह जो आपने परिपाटी बनाने का प्रयास किया न कि दो दिन में आपने दस-बारह बिल रखे, मैं भी कई सालों से विधान सभा में आता हूं, मेरी गारंटी है कि विधेयक पास कैसे होता है यह माननीय सदस्यों को इस 13वीं विधान सभा में ज्ञान नहीं हो पाया कि यह फर्स्ट रीडिंग क्या है, सैकण्ड रीडिंग क्या है, संशोधन क्या है, थर्ड रीडिंग क्या है, कैसे पास होता है। जो महत्वपूर्ण काम है हाउस का वो ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप यह बताइये ...(व्यवधान) आज भी बिजली पर आप बोलना चाहते थे, बिजली पर वो बोल लिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और जो दूसरे इश्यू थे उन पर आप इसलिए नहीं बोल पाये, आपने हल्ला चालू कर दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर यह दो दिन के बजाए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीन घंटे तक आपने सदन का समय आज बरबाद किया, आप चाहते तो उस वक्त भी ...(व्यवधान) कह सकते थे आप। (व्यवधान) सदन का समय तो बरबाद आप कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर लोकतांत्रिक परम्परा का उल्लंघन करोगे, अगर अपने बहुमत के जोम में लांकतंत्र की हत्या करोगे तो तीन घंटे नहीं तीन साल ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस लोकतंत्र की हत्या की शुरूआत तो आपके

(डा. रघु शर्मा)

पांच सालों में हुई है। आप रिकार्ड उठाकर देख लो ...(व्यवधान) आपने कितने दिन विधान सभा चलाई है ...(व्यवधान) आज ये घड़ियाली आंसू...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमने तो आसन से मांग की है ...(व्यवधान) आसन से इस बात की मांग की हमने। (व्यवधान) आज हम सदन में आते हैं तो जनता की भावना को प्रकट करने। हमारे पास कलम तो नहीं है लेकिन जनता की बात को कहने का अधिकार तो हमारे पास है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके शासनकाल में आपने कितने दिन विधान सभा चलाई ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो नहीं चाहते ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ईमानदारी से तय कर लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या इस लोकतंत्र को कुएं में डालना चाहते हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने डाला सबसे पहले। मैं कहता हूं, कोई हम पर दोषारोपण मत करो। यह परिपाटी आपने चलाई, रिकार्ड है, इस हाउस का रिकार्ड है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): श्रीमान् चीफ व्हिप, यह जो आप वकालत कर रहे हो ...(व्यवधान) जब आप इस पद पर नहीं होते हो, साठ दिन चलना चाहिए हाउस को और जब पद पर आ जाते हो तो उसके बाद ...(व्यवधान) आज सदन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम भी चाहते हैं कि चलना चाहिए। (व्यवधान) लेकिन इस हाउस को चलाओ ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चाहे गलती हमने की, गलती आपने की, लेकिन इस हाउस को चलाओ। यह जनता तो आपको और मेरे को सबको समझ जाएगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगर आप सदन चलाना चाहते तो बी ए सी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लेकिन इस तरह से इस विधान सभा की गरिमा को मत गिराओ, मत गिराओ, मत गिराओ। अपने अभिमान में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोकतंत्र की हत्या मत करो...(व्यवधान) एक नहीं, मलेरिया और बीमारी से सैकड़ों बच्चे मौत के घाट चले गये ...(व्यवधान) कहां जाकर कहें हम?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बहुत वरिष्ठ हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमें कहने की जगह कौनसी है जहां हम कहें? (व्यवधान) डाक्टर और दवाइयां नहीं होने के कारण आदिवासी एरिये के सैकड़ों बच्चे मौत के घाट उतर गये ...(व्यवधान) और कौनसी जगह होगी जहां हम अपनी बात को कहेंगे? जनता जिन बातों से दुःखी हो रही है उनकी चर्चा भी अगर अपन यहां नहीं करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जनता आपके समय में भी दुःखी रही ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिस जनता ने आपको और मुझे चुनकर यहां भेजा ...(व्यवधान) गरीब जनता के लिए भेजा, उनके हक का सवाल आए वहां तो आप अलग हो जाते हो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दूसरे को ज्ञान बताते हो....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, हम जो यह बात कह रहे हैं यह आपकी और हमारी सबकी मन की भावना है कि विधान सभा चलनी चाहिए, विषय उठने चाहिए। कम से कम जो कानून बनाने का हमारा अधिकार है, उस कानून के अधिकार का हमें ठीक तरह से शिक्षण और प्रशिक्षण हो, हम उसको सीख सकें कि कानून की पेचीदगी का असर क्या होने वाला है। कल तो हमने बिल पास किया, आज हम अमैंडमेंट लाते हैं। इसका कारण यही है कि हम ठीक तरह से उस पर डिस्कशन नहीं करते। नहीं तो कोई न कोई माननीय सदस्य यहां राय देता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कोई बात तो ईमानदारी से कहो, क्या आपके टाइम में आपने ठीक किया था क्या? (व्यवधान) सारी चीजें, सारा ज्ञान हमारे ऊपर डाल रहे हो। आपने भी इस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया होता ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): राजस्थान की जनता आपको और मुझे दोनों को ही देख रही है ...(व्यवधान)

(हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने का आदेश)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। सदन आप चलाओगे कैसे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक स्थिति स्पष्ट कर दें, हम विराज जाएंगे। एक चीज स्पष्ट करें कि यह जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया था, इस पर हमने मत विभाजन की मांग की थी, अब वो किस स्टेज पर है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन ने निर्णय दे दिया इस पर तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, कोई निर्णय नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप डाइरेक्शन दोगे क्या आसन को? आपके कहने से चलेगा क्या? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, जो भी आप आसन से व्यवस्था चाहते हैं, जो आपके मन में शंका है वो आप मेहरबानी करके बता दें, फिर मैं एक-एक का आसन से जवाब दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, नियम 286, विभाजन, किसी वाद-विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रश्न रखेगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उसमें हां और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनको ना कहने के लिए कहेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह इश्यू तो खतम हो चुका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, खतम नहीं हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वो आसन की व्यवस्था थी ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाये आप? (व्यवधान) अगर आसन ने व्यवस्था नहीं दी तो आप क्यों लाये बताओ आप? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो, अध्यक्ष जब यह कहेगा, मैं समझता हूं कि हां या ना वाले जीत गये हैं, यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: एक मिनट, मंत्रीजी, मैं दे दूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह हो चुका है ...(व्यवधान) ये सदन का समय खराब करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप सभापति जी को डाइरेक्शन नहीं दे सकते। आप खरपतवार मत बनो, उप नेता को बोलने दो।

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति न की जाए तो दो दो बार कहेगा हां, हां या ना, ना वाले जीत गये और सदन के समक्ष प्रश्न तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

तीसरा, यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाए तो वह आदेश देगा कि सभाकक्षों को खाली करा दिया जाए।

ख, दो मिनट बीतने पर प्रश्न को दूसरी बार रखेगा। मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। और घोषित करेगा कि उसकी राय में हां वाले जीत गये या ना वाले।

ग, यदि इस पर घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष निर्देश देगा कि सभाकक्ष में जाकर अपना मत अभिलिखित कराएं। या अध्यक्ष विभाजन की प्रार्थना को स्वीकार करता है तो विभाजन की घण्टी बजाएंगे पांच मिनट तक। विभाजन की घंटी बंद होने के पश्चात् अध्यक्ष प्रश्न के पदों को दुबारा पढ़ेगा।

सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने विनिश्चय लेकर यह प्रश्न रखा, मैंने खड़े होकर उस पर आपत्ति की, उन्होंने चार बार उसको दोहराया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो मत विभाजन कराते। उन्होंने मत विभाजन नहीं कराया। इसलिए मत विभाजन की मांग हमारी आज भी खड़ी है और कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पारित नहीं हुआ है इसलिए सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती किसी भी कीमत पर। यह है ...(व्यवधान) आप पहले दुबारा उसको कराओ ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सदन की कार्यवाही आगे हो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले आप उस पर विभाजन कराओ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन की कार्यवाही तो चल रही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप चलाना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

आप यहां क्यों आ रहे हैं? आपने अपनी बात कह दी, आप आसन पर पधारो। मैं जब कह लूं, मैं जब व्यवस्था दे दूं, आपने जो चीज कही है वो मैं जब तक ...(व्यवधान) देखिये, मुख्य सचेतक महोदय, आपने बात कही, मैंने आसन से आपको अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है। आप वहां जाकर विराजो। आप सदन को चलाना चाहते हो तो आप विराजो वहां जाकर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो वहां जाकर। ऐसे घोषणा नहीं होती है, आप अपने आसन पर पधारो। आप अपने आसन पर पधारो, आप पधारो आसन पर। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप बहुत अनुभवी एवं वरिष्ठ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपने जो बात कह दी वो मैंने बहुत तसल्ली से सुनी ...(व्यवधान) सुन ली न बात। अब मैं जब तक व्यवस्था नहीं दूं, जब तक कुछ नहीं बोलूं तब तक तो आप अपने आसन पर पधारो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, यहां खड़े-खड़े ही दे दो आप तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, यहां क्यों, आप आसन पर पधारो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम विरोध कर रहे हैं, हम प्रजातंत्र को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं।

श्री सभापति: यहां क्यों, आप आसन पर पधारो। मेरी व्यवस्था से आप सन्तुष्ट नहीं होंगे, वापस वैल में आएंगे, आप स्वतंत्र हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, यह नहीं चलेगा। यह

(श्री सभापति)

बिलकुल नहीं चलेगा कि आप पूरी तरह से सदन, इस आसन को डिक्टेट करें। यह बिलकुल नहीं चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप पधारें वहां पर। आप भी सभापति रहे हैं और आप अनुभवी आदमी हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सभापति रहा हूं, मैं अनुभवी हूं ...(व्यवधान) यह शर्मनाक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप मेहरबानी करके पधार जाएं। मैं व्यवस्था दे दूं उसके बाद सन्तुष्ट नहीं हों, वापस आप आ जाएं। यह तो आप हमेशा कर ही रहे हैं और हो ही रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, अभी खड़े-खड़े ही व्यवस्था करें।

श्री सभापति: नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, बिलकुल नहीं। तसल्ली से सुनी मैंने आपकी बात। मैंने मना किया हो तो बोलो आप। मैंने आकर कार्यवाही चालू करा दी...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो मत विभाजन करा दो न आप... (व्यवधान।

श्री सभापति: तो आप पधारो न फिर वहां पर। यह थोड़े ही होता है कि आप कह दो जो मैं मान लूं और वह मैं व्यवस्था दे दूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): करा दो मत विभाजन। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, यह नहीं होगा। आप मेहरबानी करके अपने सदस्यों को कहिये वहां विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, एक बार बैठ जाओ... (व्यवधान) वापस आ जाएंगे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वापस आने का तो अधिकार है हम पर... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो आप। विराज तो जाओ सभी। नसीराबाद से आने वाले माननीस सदस्य, आप विराजो।

(श्री सभापति)

प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप परम्पराओं से, नियमों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरे पास में उतना ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान आपके पास में है और संविधान को भी अच्छी तरह से आप समझते हैं। जो व्यवस्था पहले दी जा चुकी है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दी नहीं न।

श्री सभापति: दे दी है। कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रकट करते हुए निर्णय दे दिया गया..(व्यवधान) दे दिया गया था। सुनिये आप..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपन तो लेकर आये थे...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, आप मांग कर रहे हैं, उसको नहीं माना गया। उस मांग को नहीं माना गया। आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दे दिया।

दूसरा, उपाध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, संकल्प जो प्रस्तुत किया गया वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। उनके पास में पहुंचा दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह नहीं। हमने विभाजन की मांग की और जब तक हमारी डिवीजन की मांग पूरी नहीं हो तब तक वह स्वीकार नहीं हो सकता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो डिवीजन मांग रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिवीजन मांगने का हक है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डिवीजन मांगने का हक है...

श्री सभापति: वह दी जा चुकी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, डिवीजन मांगने का अधिकार भी हम सबको है...(व्यवधान) विपक्ष जब मांगता है और संख्या पर्याप्त है तो डिवीजन देना अनिवार्य है।

श्री सभापति: व्यवस्था दी जा चुकी है। श्री रघु शर्मा, सदस्य, जन लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र. सं. 157 से 181)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी

(डा. रघु शर्मा)

अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2012-13 के 25 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 5.1 में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 157वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 70वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 158वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 159वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 160वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 2.4 नगरीय विकास विभाग, (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.3.3 चिकित्सा शिक्षा तथा अनुच्छेद संख्या 3.5.6 महिला बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन एवं गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 161वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 89वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 162वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 90वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 163वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 1.8.4 व 3.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजकीय उपक्रम, गृह एवं वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 164वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 5.1 पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 165वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 3.2 में समाविष्ट जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 166वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.2 में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 167वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.4 व 3.3.6 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 168वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 169वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 170वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 171वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2 कार्मिक विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.4.1

(डा. रघु शर्मा)

वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 172वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 2.3, 3.2.5 एवं 3.4.5 जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 173वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 2.1 कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 174वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 175वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 96वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 176वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.7 व 3.3.2 वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, वर्ष 2012-13 का 177वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1 कृषि एवं उच्च शिक्षा, अनुच्छेद संख्या 3.3.1 कृषि, अनुच्छेद संख्या 3.4.2 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा अनुच्छेद संख्या 3.5.5 तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 178वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति वर्ष 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 58वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 179वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 180वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

जन लेखा समिति वर्ष 2008-09 (बारहवीं विधान सभा) के 268वें प्रतिवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 181वां प्रतिवेदन।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से किसानों को मारने का काम किया है। फसल...(व्यवधान) जो संकर बाजरे का बीज...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वी वांट डिवीजन...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। (व्यवधान) डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे- श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री रोहिताश कुमार, श्री ओम बिरला, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री पेमाराम, श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 53- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने राजस्थान के इतिहास को, इस विधान सभा के इतिहास को...(व्यवधान) किया और आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जब-जब सरकार को कोई गलत काम कराना हो तो आपके दो काम करके कि आपका यह काम कर देंगे, आपको गलत काम करने के लिये सदन में भेजते हैं। इस प्रकार की आपकी इमेज बन गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह हमारा गला घोंटना, यह हमारा गला नहीं घुटा, यह राजस्थान के साढ़े छह करोड़ लोगों का आप गला घोंट रहे हो...(व्यवधान) और इसलिये आप मत विभाजन कराएं...

श्री सभापति: सिर्फ मैं बोलूंगा वह अंकित होगा, औरों का अंकित नहीं होगा।

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। डा. फूलचन्द भिण्डा, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पारित किया गया।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012- श्री घनश्यामजी तिवाड़ी...(व्यवधान) डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंहजी, श्री रोहिताश कुमार, श्री ओम बिरला, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री पेमाराम, श्री अमराराम...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 52 कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 52 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 52 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?'

(स्वीकृत)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया गया।

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012...(व्यवधान) डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री रोहिताश कुमार, श्री ओम बिरला, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री पेमाराम, श्री अमराराम...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 53- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- श्री राव राजेन्द्र सिंह, डा. विश्वनाथ मेघवाल, श्री मान सिंह, श्री निर्मल कुमावत, डा. फूलचन्द भिण्डा... (व्यवधान)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?'

(स्वीकृत)

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 ।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश कुमार। श्री ओम बिरला। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 53– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)) : ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : ×××

श्री सभापति : शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

डा. दयाराम परमार, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश कुमार। श्री ओम बिरला। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 53– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि...

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

डा. विश्वनाथ मेघवाल।

श्री मान सिंह।

श्री निर्मल कुमावत।

डा. फूलचन्द भिण्डा।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री सभापति)

डा. दयाराम परमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

डा. दयाराम परमार, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 53– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

डा. दयाराम परमार, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 53– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

डा. दयाराम परमार, मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश कुमार। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी।

डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश्व कुमार। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री पेमाराम। श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

डा. रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज का बिजनस पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज का ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) बस यही है जो है। खैर, रहने दो।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 27)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम इसमें वोट कराएंगे, पहले कह देते हैं। वैसे आपका नाम लोकतंत्र के हत्यारों में लिखा गया है, फिर भी हम कह देते हैं, हम इस पर वोट कराएंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 26वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए-

शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

1- अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) वर्ष 2012-13 पर मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।

2- अतिरेक मांगों वर्ष 2008-09 पर मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।

3- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012; एवं

4- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

- पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.45 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रबी फसलों की आवश्यकतानुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु कार्य योजना

5. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना आदि की बुवाई के लिए यूरिया एवं डीएपी की अधिक आवश्यकता होती है, जो समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते?

(2) क्या सरकार कृषकों की मांग के अनुसार रियायती दर पर यूरिया एवं डीएपी खाद उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस **सम्बन्ध** में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विगत दो वर्षों में मांग एवं उपलब्ध यूरिया एवं डीएपी की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना आदि की बुवाई के लिए यूरिया एवं डीएपी की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों की माहवार मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार को अवगत कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह उर्वरक आपूर्तिकर्तावार मात्रा का आबंटन किया जाता है एवं तदानुसार उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को उनकी मांग के अनुसार भारत सरकार की रियायती योजना के तहत यूरिया एवं डीएपी उपलब्ध कराने हेतु रबी 2012-13 के लिए मांग का आंकलन कर भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए यूरिया 10.50 लाख मै. टन व डीएपी 3.80 लाख मै. टन की आपूर्ति के प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं।

विगत दो वर्षों यथा रबी 2010-11 व 2011-12 में यूरिया व डीएपी की मांग व उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

(मात्रा-लाख मै. टन)

उर्वरक का नाम	रबी 2010-11		रबी 2011-12	
	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता
यूरिया	10.00	10.36	10.50	10.99
डीएपी	3.50	3.40	3.50	3.83

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय की ट्रोमा इकाई में सृजित एवं रिक्त पद

6. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा कब पूर्ण हुआ? इसके निर्माण पर कब-कब कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रोमा सेन्टर में मरीजों का इलाज कब से प्रारम्भ हुआ तथा इसके लिए सरकार ने कौन-कौन से कितने पद सृजित/स्वीकृत किये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रोमा सेन्टर हेतु सृजित/स्वीकृत पदों पर वर्तमान में कितने चिकित्सक व स्टाफ कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त ट्रोमा सेन्टर में मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ट्रोमा सेन्टर का निर्माण कार्य दिनांक 9.3.2009 को प्रारम्भ हुआ था एवं दिनांक 8.2.2010 को पूर्ण हुआ। वर्ष 2008-09 (27.12.2008) में राशि रू. 80 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त राशि से भवन निर्माण पर रु. 80 लाख का व्यय किया गया।

(2) ट्रोमा सेन्टर में मरीजों का इलाज दिनांक 2.9.2012 से चालू किया गया इसके लिये सरकार ने निम्न 34 पद स्वीकृत किये :

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम/विशिष्टता	**स्वीकृत**
सहा. आचार्य अस्थिरोग	2
सहायक आचार्य जनरल सर्जन इन न्यूरोसर्जरी	2
सहायक आचार्य निश्चेतन	2
केज्यूल्टी मेडिकल आफीसर	2
नर्स ग्रेड-।।	10
लैब तकनीशियन	3
रेडियोग्राफर	3
लिटरेट अटेन्डेन्ट	10

(3) ट्रोमा सेन्टर हेतु सृजित/स्वीकृत पदों पर वर्तमान में कार्यरत चिकित्सक व तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। चिकित्सकों के पदों को भरने हेतु अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गयी हैं अस्थाई/आवश्यक आधार पर नियुक्ती हेतु मेडिकल कालेज द्वारा दिनांक 25.9.2012 को विज्ञप्ति जारी की गई है एवं 9.10.2012 को साक्षात्कार किया जाकर एक सहायक आचार्य अस्थि रोग का चयन किया जाकर पदस्थापित किया गया है।

लैब तकनीशियन व लिटरेट अटेन्डेन्ट के पदों को अस्थाई/आवश्यक आधार पर भरने हेतु दिनांक 26.9.2012 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई।

परिशिष्ट 'अ'

पदनाम/विशिष्टता	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
सहा. आचार्य अस्थिरोग	2	कैसुअलिटी यूनिट के एक सहायक आचार्य अस्थि रोग	-
सहायक आचार्य जनरल सर्जन इन न्यूरोसर्जरी	2	कैसुअलिटी यूनिट के एक सहायक आचार्य जनरल सर्जन	1
सहायक आचार्य निश्चेतन	2	कैसुअलिटी यूनिट के एक सहायक आचार्य/सीनियर रेंजिडेंट निश्चेतन	1
केज्यूल्टी मेडिकल आफीसर	2	सी. रेजी-। एम.ओ.-।	1

पदनाम/विशिष्टता	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
नर्स ग्रेड-।।	10	7 नर्स ग्रेड-।। एवं 1 नर्स ग्रेड-।	2
लैब तकनीशियन	3	कैसुअलिटी यूनिट के तीन लैब तकनीशियन	-
रेडियोग्राफर	3	कैसुअलिटी यूनिट के तीन रेडियोग्राफर	-
लिटरेट अटेन्डेन्ट	10	तीन लैब अटेन्डेन्ट	7

एमओ तथा सहायक आचार्य अस्थि रोग के दो पदों के अतिरिक्त शेष स्वीकृत पदों पर चयन की कार्यवाही खण्ड 4 के अनुसार है।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कुओं/बोरिंग की मरम्मत हेतु मुआवजा

7. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में अतिवृष्टि के कारण किसानों के अधिकांश बोरिंग डेमेज हो गये, उनमें मिट्टी नीचे चली गई है तथा इनमें साइड से पानी चला गया जिसके कारण बोरिंग फेल हो गये हैं?

(2) सरकार बोरिंग के हुए नुकसान के सम्बन्ध में क्या त्वरित कार्यवाही कर रही है तथा क्या सरकार इस नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिवृष्टि के कारण जिला दौसा में 19, झुन्झुनूं में 11, करौली में 01 एवं सीकर में 101 (कुल-132) किसानों की बोरिंगें डेमेज हुई हैं।

(2) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के नियमों में इस प्रकार की क्षति हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

गोविन्दगढ़ (जयपुर) पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना

8. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पढ़ने वाली छात्राओं

(श्री भगवान सहाय सैनी)

को राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बोशा (कुशलपुरा) व गोविन्दगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्राओं को पढ़ाई छोडनी पड़ती है या निजी शिक्षण संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए सम्भव नहीं है?

(3) क्या सरकार ग्राम कुशलपुरा (बोशा) व पंचायत समिति मुख्यालय गोविन्दगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय क्षेत्र में दो महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा (सहशिक्षा) एवं राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमूं में संचालित है एवं इनमें छात्रायें अध्ययनरत हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम बोशा (कुशलपुरा) ग्रामीण क्षेत्र से राजकीय महिला महाविद्यालय चौमूं की दूरी लगभग 9 किमी व राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा की दूरी 24 किमी है।

गोविन्दगढ़ से कालाडेरा की दूरी लगभग 7 किमी व गोविन्दगढ़ से चौमूं की दूरी लगभग 14 किमी है। अत: इन ग्रामीण क्षेत्रों की छात्रायें सुविधानुसार चौमूं राजकीय महिला महाविद्यालय व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सहशिक्षा) कालाडेरा में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में ग्राम कुशलपुरा (बोशा) व पंचायत समिति मुख्यालय गोविन्दगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बायतू के स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन

9. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में दिसम्बर, 2008 से अगस्त, 2012 तक 33/11 के.वी. के कितने ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये? तद् सम्बन्धित आदेशों की प्रति एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू में कानोड बडनावा जागीर एवं गीडा में ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त तीनों ग्रिड सब-स्टेशन कब तक पूर्ण कर इनका लोकार्पण कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि बायतू भीमजी, खीम्पर, हीरा की ढाणी एवं छीतर का पार में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य बिल्कुल भी प्रारम्भ नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में दिसम्बर, 2008 से आज तक 33/11 केवी के 45 ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये। सब-स्टेशनों का विवरण एवं आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू में 33/11 केवी सब स्टेशन कानोड का कार्य पूर्ण कर उसे चार्ज कर दिया गया है। 33 केवी सब-स्टेशन बडनावा जागीर का 33 केवी सब-स्टेशन व 33 केवी लाइन का कार्य कर दिया गया है। 11 केवी इंटरकनेक्शन का कार्य प्रगति पर है जो कि माह मार्च, 2013 के अन्त तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। 33/11 केवी सब-स्टेशन गीडा का कार्य प्रगति पर है जो कि माह नवम्बर, 2012 के अन्त तक कार्य पूर्ण कर चालू करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। 33/11 केवी सब-स्टेशन बायतू भीमजी के कार्य के लिए सब-स्टेशन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है यह कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। 33/11 केवी सब-स्टेशन खीम्पर एवं हीरा की ढाणी का कार्य सामग्री की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2012-13 में करना प्रस्तावित है। 33/11 केवी छीतर का पार में सब-स्टेशन के लिए निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोल सड़क मार्ग के समानान्तर सामान्य सड़क मार्ग सुविधा हेतु कार्य-योजना

10. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नई टोल सड़क बनाने की क्या नीति एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में स्थित सड़कों का ही सुदृढ़ीकरण करके टोल रोड के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? जिससे समस्त यात्रियों को टोल रोड पर चलना बाध्यकारी होता है?

(3) क्या सरकार टोल रोड के समानान्तर सामान्य सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नई टोल सड़क परियोजनाओं का कार्य राजस्थान रोड डवलपमेन्ट एक्ट 2002 एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ-8 (50)/पीडब्ल्यू/2001/पार्ट-प्रथम दिनांक 20.02.2002, संशोधित दिनांक 23.02.2004 एवं दिनांक 17.05.2011 में निर्धारित नीति एवं मानदण्डों के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। एक्ट एवं नोटिफिकेशन की प्रति परिशिष्ट-1,2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

राजस्थान रोड डवलपमेन्ट एक्ट में निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट ट्रांसफर [P.P.P., (DBFOT)] योजना के अन्तर्गत सड़क परियोजनाओं का राज्य मार्ग एवं राष्ट्रीय उच्च मार्गों का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त पी.पी.पी., डी.बी.एफ.ओ.टी. के मानदण्ड एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो परियोजनायें बी.ओ.टी. (पी.पी.पी., डी.बी.एफ.ओ.टी.) के अन्तर्गत एन.एच.ए.आई. द्वारा संचालित की जा रही हैं वह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की नीति एवं नियमों के अनुसार प्रतिपादित की जा रही हैं।

(2) राज्य में राजस्थान रोड डवलपमेन्ट एक्ट 2002 एवं नोटिफिकेशन संख्या एफ-8(50)/पीडब्ल्यू/2001/पार्ट-प्रथम दिनांक 20.02.2002, संशोधित दिनांक 23.02.2004 एवं दिनांक 17.05.2011 के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। परियोजनाओं में वर्तमान सड़क का चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अलावा सीडी वर्क्स के सुधार एवं चौड़ा करने का आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा जाता है एवं परियोजना की पूर्ण क्षमता उपयोग हेतु आर.ओ.बी. नये सी.डी. वर्क्स, सी.सी. रोड, ड्रेनेज, बाइपास ले-बाई इत्यादि

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सुविधाओं का निर्माण डीपीआर एवं परियोजना की वाइबिलिटी के आधार पर सम्मिलित किया जाता है। परियोजना का पूर्ण निर्माण होने के उपरान्त नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित फीस संग्रहण निवेशक द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की योजनाओं पर टोल फीस नोटिफिकेशन परिशिष्ट-5 एवं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की योजनाओं पर टोल फीस नोटिफिकेशन परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा समानान्तर सड़क सुविधा प्रदान करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। इस तरह के निर्माण परियोजना के वित्तीय आंकलन के अनुसार व्यवहारिक नहीं है। समानान्तर सड़क निर्माण से बी.ओ.टी. परियोजना जो उद्यमी द्वारा ट्रैफिक गणना के आधार पर की जाती है उसका औचित्य ही समाप्त हो जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलपुर चम्बल लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु चिन्हित भूमि

11. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना को गत 6 महीने के अन्दर 0.3 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य से हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी गई है?

(2) क्या सरकार को इस उद्देश्य हेतु भूमि चिन्हित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने चम्बल क्षेत्र में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किये हैं? यदि हां, तो कितने व कब?

(4) क्या यह सही है कि माह जून, 2012 में धौलपुर हैडक्वाटर पर चम्बल लिफ्ट परियोजना को लेकर कोई आंदोलन किया गया था?

(5) क्या यह सही है कि धौलपुर और राजाखेड़ा में पेयजल और कृषि के लिये पानी की सख्त आवश्यकता है?

(6) धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना से सिंचाई योजना में हुई प्रगति के सम्पूर्ण दस्तावेज व पत्राचार वर्ष 2006 से लेकर 31 अगस्त, 2012 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वन एवं वन्य जीव खण्ड नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक (वन्य जीव) द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की स्टेण्डिंग कमेटी की 22वीं मीटिंग में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल सेन्चुरी क्षेत्र की 0.3 हैक्टेयर वन भूमि को धौलपुर लिफ्ट स्कीम को डाइवर्जन हेतु दिनांक 05.06.2012 को सिफारिश की गई। जिसकी क्लीयरेन्स के लिए विभाग द्वारा सी.ई.सी. के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र क्रमश: दिनांक 26.07.2012 एवं 13.09.2012 को प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 05.06.2012 के द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान सरकार को सूचित किया कि एन.बी.डब्ल्यू.एल. की स्टेडिंग कमेटी की आयोजित 22वीं बैठक दिनांक 25.04.2011 में लिये गये निर्णयों में चम्बल विकास योजना द्वितीय चरण में राहुघाट परियोजना के अन्तर्गत चार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट-राहू का गांव, गुज्जीपुरा, जैतपुरा एवं बरसाला को चम्बल नदी पर स्थापित करने हेतु सिफारिश की गई है।

(4) जी हां।

(5) धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में राजाखेड़ा क्षेत्र हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(6) धौलपुर लिफ्ट परियोजना के वर्ष 2006 से लेकर 31 अगस्त, 2012 तक प्रगति का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के विधायक स्थानीय विकास कोष से अनुशंसित अपूर्ण कार्य

12. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत साढ़े तीन वर्षो में जैसलमेर जिले में स्थानीय विधायक विकास कोष से कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त योजना के तहत कितने कार्यों की अनुशंसा

(श्री शाले मोहम्मद)

की गई? जिनमें से कितने कार्यों की प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति जारी की गई? दिनांकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य शुरू नहीं किए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला जैसलमेर में उक्त योजना के कार्यों की मानिटरिंग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिला स्तर पर कमेटी बनाकर बैठकें की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत साढ़े तीन वर्षों में जैसलमेर जिले में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 1055 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सूची संलग्न परि.-1 पर उपलब्घ है।

(2) पिछले साढ़े तीन वर्षो में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 1091 कार्यों की अनुशंसा की गई । जिनमें से 1055 कार्यों की प्रशासनिक व 744 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं? सूची दिनांकवार संलग्न परि.-1 पर उपलब्घ है।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 489 कार्य पूर्ण हो चुके हैं व 255 कार्य प्रगतिरत हैं तथा वितीय स्वीकृति के सभी 744 कार्य शुरू हो चुके हैं। सूची संलग्न परि.-1 पर उपलब्ध है।

(4) जैसलमेर जिले में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की मोनिटरिंग हेतु औपचारिक रूप से कोई कमेटी गठित नहीं है किन्तु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाती हैं, जिसमें कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान बीज निगम में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

13. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2012 में राजस्थान बीज निगम द्वारा बाजरे के घटिया बीज वितरण किये जाने के कारण किसानों को हुए नुकसान की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में जांच हेतु जांच कमेटी का गठन कार्यालय आदेश क्रमांक 12283-90 दिनांक 17.09.2012 के द्वारा किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त कमेटी द्वारा जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पुन: स्मरण पत्र दिया गया है।

(2) जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है।

संलग्नक

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-05

क्रमांक:एफ1(जांच)/बाजरा/2012-13/एचओ-316/12283-90   दिनांक 17/9/2012

कार्यालय आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके सीकर, चूरू, नागौर, लाडनूं क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान व अन्य स्थानों पर जनसम्पर्क में किसानों ने अवगत कराया है कि निगम एवं विभाग द्वारा वितरित मिनिकट कार्यक्रम में किसानों को दिये गये बाजरे का बीज घटिया किस्म का है। उगी हुई फसल में एकरूपता नहीं है, सिट्ठियां छोटी हैं, बढ़वार कम है व इस बार तो किसानों को फसल से हाथ धोना पड़ेगा। अत: इस हेतु एक वरिष्ठ स्तर की जांच कमेटी का गठन किया जावे। अत: उक्त निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण की विस्तृत जांच व वीडियोग्राफी हेतु जांच समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ।
2. सम्बन्धित खण्ड के संयुक्त निदेशक कृषि।
3. राज. राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि।
4. मुख्य प्रबन्धक विपणन, मुख्यालय।

5. वरिष्ठ प्रबन्धक उत्पादन, मुख्यालय।

उक्त समिति प्रकरण की जांच तुरन्त प्रभाव से करेगी व सम्बन्धित खेतों की वीडियोग्राफी भी करेगी। समिति अपनी जांच रिपोर्ट मय वीडियोग्राफी के अपनी विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेगी।

प्रबन्ध निदेशक

अजमेर के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

14. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में कितने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालय तथा कितनी डिस्पेन्सरियां स्थापित हैं? विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितना स्टाफ स्वीकृत है और वर्तमान में कार्यरत स्टाफ की क्या स्थिति है?

(3) जिला अजमेर में गत 3 वर्षो में रोगियों की विभिन्न चिकित्सालयों में कितनी संख्या रही है? वर्षवार विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर के अन्तर्गत आने वाले एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी इत्यादि का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिस्पेन्सरी इत्यादि में स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत/पदस्थापित पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय एवं सिटी डिस्पेन्सरी में स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

होम्योपैथिक एवं यूनानी विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय/औषधालयों में स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिस्पेन्सरी इत्यादि में जनवरी 2009 से सितम्बर 2012 तक आउटडोर एवं इन्डोर में आये रोगियों का वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार एवं चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-य पर प्रस्तुत है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय एवं सिटी डिस्पेन्सरी में जनवरी 2009 से सितम्बर 2012 तक आउटडोर एवं इन्डोर में आये रोगियों का वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार एवं चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-र पर प्रस्तुत है।

होम्योपैथिक एवं यूनानी विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिला अजमेर के चिकित्सालय/औषधालयों में जनवरी 2009 से सितम्बर 2012 तक आउटडोर में आये रोगियों का वर्षवार एवं चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ल पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले के अतिवृष्टि प्रभावित कृषकों को राहत/क्षतिपूर्ति हेतु कार्य योजना

15. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द में वर्ष 2012 में अतिवृष्टि से कृषि उपज को हुई क्षति का आंकलन करवा लिया गया है?

(2) उक्त जिले की तहसीलों में कृषि उपज को कितनी क्षति हुई है तथा कितने हैक्टेयर कृषि भूमि अतिवृष्टि से प्रभावित हुई है?

(3) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को राहत एवं क्षतिपूर्ति के क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में गिरदावरी का कार्य चल रहा है।

(2) गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही उपज की क्षति की जानकारी हो सकेगी।

(3) गिरदावरी रिपोर्ट में फसल खराबे की स्थिति ज्ञात होने पर भारत

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

ढाणियों में रहने वाले कृषकों हेतु घरेलू कनेक्शन

16. श्री पेमाराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा ढाणियों में आवास करने वालों के लिए पांच के ग्रुप में घरेलू कनेक्शन जारी करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कब?

(2) जिला सीकर सहित झुंझुनूं, चूरू व नागौर जिले में उक्त घोषणा के बाद किस-किस जिले में कितने-कितने आवेदन पत्र किस आदेश के तहत जमा किये गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जमा पत्रावलियों में से किस-किस जिले में कितनी पत्रावलियों के मांग पत्र जारी किये हैं व कितने बकाया हैं तथा कितने लोगों ने डिमांड नोटिस जमा करवा दिये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जमा पत्रावलियों में से आज दिन तक किस-किस जिले में कितने-कितने विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये व नहीं, तो क्यों व इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट सत्र में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में आवास करने वाले परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी करने की घोषणा की थी।

(2) जिला सीकर सहित झुंझुनूं व नागौर जिले में उक्त घोषणा के बाद आदेश संख्या 578 दिनांक 31.05.2012 के तहत सीकर में 26455, झुंझुनूं में 13190 व नागौर जिले में 4255 आवेदन किये गये हैं एवं जिला चूरू में आदेश संख्या 1447 दिनांक 29.05.2012 के तहत 3202 आवेदन जमा किये गये हैं।

(3) उक्त जमा पत्रावलियों के आवेदकों को अभी तक कोई मांग पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई भी कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जा रही है।

कठूमर के राजस्व ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़कें

17. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर के 500 से अधिक आबादी वाले घोषित राजस्व ग्रामों 1. नगला धनसिंह (1500) 2. धनोकटा (500), 3. हनुमन्ता (500), 4. भदीरा (550), 5. चैनपुरा (600), 6. इन्द्रा कालोनी कनसारी (1000), 7. गोलाका बास (नांग्लवास गुमान) 600, 8. सांवत का वास (बहतू कलां) 500 आदि को मुख्य ग्राम पंचायतों या मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में प्रश्न में वर्णित गांवों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. नगला धनसिंह, (904) धनोकरा (530) :-वर्ष 2001 के पश्चात् नवीन घोषित राजस्व गांव हैं।

2. हनुमन्ता (325), भदीरा (406), चैनपुरा (417):-आबादी जनगणना-2001 पर आधारित है तथा आर.आई.डी.एफ. योजना में विलेज कनेक्टिविटी के अन्तर्गत स्वीकृत हैं तथा निविदा आमंत्रित की जानी है।

3. इन्द्रा कालोनी कनसारी:-राजस्व गांव नहीं है।

4. गोलाका बास:-यह राजस्व गांव चौकुटी के नाम से दर्ज है तथा इसकी आबादी जनगणना-2001 अनुसार 219 है निर्माणाधीन धार्मिक सड़क बहतूकलां से गरीबदास आश्रम पर पड़ने के कारण यह गांव स्वत: (इन्सीडेन्टल) ही जुड़ जायेगा तथा सांवत का बास (130) राजस्व ग्राम नहीं है।

इस प्रकार 8 गांवों में से 4 गांव डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृत हैं, शेष 4 गांवों/ढाणियों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

रोहट (पाली) के आबादी भूमि परिवर्तन के लम्बित प्रकरण

18. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली की रोहट तहसील के कौन-कौन से गांव के आबादी भूमि विस्तार के प्रकरण कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से किस-किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित किस-किस भूमि पर कौन-कौन से परिवार, कितने-कितने समय से निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रस्तावित भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी भूमि को?

उत्तर

(1) जिला पाली की रोहट तहसील के आबादी भूमि विस्तार के 7 प्रकरण कमी पूर्ति हेतु तहसील/ उपखण्ड/जिला स्तर पर लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है ।

(2) उक्त प्रस्तावित भूमि पर बसे परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ग्राम	भूमि का विवरण	बसे परिवार	अवधि	ख.नं. रकबा
1-	बांडाई	128/7 5 बीघा	20	20 वर्ष	बा.दो.
2-	भिण्डर	244 5 बीघा	01	15 वर्ष	बा.दो.
3-	चाटेलाव	112 16 बीघा	32	20 वर्ष	गै.मु. गोचर
4-	डूंगरपुर	222 19-03	32	20 वर्ष	गै.मु. गोचर
5-	सोनाई लाखा	343/2 9 बीघा	27	15 वर्ष	गै.मु. गोचर
6-	रोहट	267 14 बीघा	0	--	गै.मु. लाटा
7-	निम्बली	118 25 बीघा	23	20 वर्ष	ब्राहणान बा. सोयम

उक्त प्रस्तावित भूमि पर निवास कर रहे परिवारों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) गै.मु. गोचर गै.मु. लाटा एवं जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित भूमियों को छोड़कर शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की कार्यवाही की जाएगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेवात क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्य

19. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से सितम्बर, 2012 तक अलवर एवं भरतपुर जिले में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत कब-कब, कौन-कौन से और कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? वित्तीय वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त वर्षो में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009 से अब तक अलवर व भरतपुर जिले में मेवात क्षेत्रीय विकास येाजनान्तर्गत जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनका वित्तीय वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उक्त वर्षो में जो कार्य पूर्ण हैं एवं प्रगतिरत हैं का विवरण परिशिष्ट -'अ' व 'ब' के अन्तिम कालम में अंकितानुसार हैं ।

(3) जी हां। प्रगतिरत कार्यों के पूर्ण होने की तिथियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में अंकितानुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क जांच सुविधा

20. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क इलाज मुहैय्या करवाती है, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण (जांचें) भी सम्मिलित हैं? यदि हां, तो चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिक होने का क्या प्रमाण देना होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) क्या किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा जानकारी के अभाव या चिकित्सालय प्रशासन की कमी के कारण शुल्क देकर इलाज व जांचें करवाने के बाद में वरिष्ठ नागरिक द्वारा दस्तावेज पेश करने पर इलाज पर व्यय हुई राशि उसे लौटाई जा सकती है? यदि हां, तो कितने दिन में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में अक्टूबर, 2011 से अगस्त, 2012 तक कितने वरिष्ठ नागरिकों को भर्ती किया गया एवं उनमें से कितने वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क इलाज दिया गया? कितनों को नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1997 से 70 वर्ष की आयु के रोगियों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता था। वर्ष 2007 से 65 वर्ष से अधिक उम्र के (आयकर न देने वाले) रोगियों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जी हां। वरिष्ठ नागरिक होने के प्रमाण पत्र के रूप में पेन कार्ड/राशन कार्ड/पेंशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की छायाप्रति उपलब्ध करवाये जाने पर रोगियों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता है।

उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर चिकित्सक स्वविवेक से आयु प्रमाणीकरण कर वरिष्ठ नागरिकों को उक्त सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाते हैं।

(2) जी नहीं। राशि लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में अक्टूबर, 2011 से अगस्त, 2012 तक 2677 वरिष्ठ नागरिकों को भर्ती किया गया एवं उनका नि:शुल्क इलाज किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दांतारामगढ़ के ग्रामों हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं

1. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम एवं ढाणियां पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में इस वर्ष चयनित हैं तथा जिनकी योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में इस योजना में स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएं अपूर्ण हैं तथा सरकार द्वारा इन्हें अब कब तक पूर्ण करके पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के पेयजल समस्या से प्रभावित एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में चयनित 67 ग्राम/ढाणियों में से 62 ग्राम/ढाणियों हेतु योजनाएं स्वीकृत की जाकर 16 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं । 45 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है व एक योजना का कार्य आरम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । शेष 5 योजनाओं हेतु बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में हैं । वांछित सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र में 70 योजनाओं (अनुसूचित जाति/जनजाति की 56 एवं अन्य 14) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी की गई है । इनमें से 10 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं व शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

(2) विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12) में विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत की गईं 249 योजनाओं में से 168 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा 74 योजनाएं अपूर्ण हैं। 7 योजनाओं के अन्तर्गत वेधित किये गये सिंगल वाटर बिन्दु असफल रहे हैं । इन अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

खटवाड़ा ग्राम (जयपुर) की नियम विरुद्ध पुनर्ग्रहित जागीरें

2. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कौन-कौन सी जमीनें पुनर्ग्रहित नहीं की जा सकती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में संवत् 2015 से 2034 में दर्ज ऐसी जमीनें भी पुनर्ग्रहित की गयी हैं, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो पुनर्ग्रहित जमीनों के खसरा नम्बर एवं रकबे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जागीरदार की खुदकाश्त भूमि पुनर्ग्रहित नहीं की जा सकती है।

(2) नहीं । ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में सम्वत् 2015 से 2034 में दर्ज खुदकाश्त भूमि पुनर्ग्रहित नहीं की गई है। सूचना शून्य में है।

प्रश्न संख्या-3

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-4

(स्थगित)

भरतपुर जिला कलक्टर द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण

5. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिला कलक्टर को जिले में हर महीने कम से कम चार-पांच अस्पतालों का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों की पालना में सितम्बर, 2012 तक जिला कलक्टर

(डा. दिगम्बर सिंह)

द्वारा भरतपुर जिले के कौन-कौन से अस्पतालों का कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या भरतपुर जिले के अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान कोई कमी पायी गयी? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के अ.शा. पत्र क्रमांक पीएस/सी.एस./12/349 दिनांक 12.07.2012 के द्वारा आदेश जारी किये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) दिनांक 12.07.2012 से सितम्बर 2012 तक जिला कलक्टर, भरतपुर के द्वारा 6 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा दिनांक 12.07.2012 से सितम्बर 2012 तक जिन चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया उनका एवं निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट (R.C.T.) सुविधा

6. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आर.सी.टी.) की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आर.सी.टी.) की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में रूट कैनाल ट्रीटमेन्ट (आर.सी.टी.) की सुविधा उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) वर्तमान में राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-7

(स्थगित)

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में नि:शुल्क जांच सुविधा

8. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में कौन-कौनसी श्रेणी के मरीजों को कौन-कौनसी जांचें नि:शुल्क कराये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है?

(2) क्या उपरोक्त श्रेणी के मरीजों को चिकित्सालय के आउटडोर समय के पश्चात् भी नि:शुल्क जांचों की सुविधा प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कहां पर तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार आउटडोर समय के पश्चात् एवं आपातकालीन विभाग में आने वाले उपरोक्त श्रेणी के मरीजों को भी निशुल्क जांचों की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से कहां पर तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में उपलब्ध समस्त जांचें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के रोगियों को नि:शुल्क की जाती है। सूची निम्नानुसार है :-

बी.पी.एल. रोगी आनलाइन पंजीकरण।

वरिष्ठ नागरीक- 65 वर्ष

पेन्शनर (राज्य सरकार मय पी.पी.ओ. नं.), विधवा, लावारिस, अनाथ, कैदी, एच.आई.वी. पोजिटीव, थैलीसिमिया एवं हिमोफिलिया रोगी, आपातकालीन गम्भीर रोगी, पंजीकृत पत्रकार, जननी शिशु सुरक्षा योजना लाभान्वित, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी अन्य अधीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित निर्धन रोगी, टी.बी.एम.डी.आर. केसेज।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) आउटडोर समय के पश्चात अतिआवश्यकता के समय एवं आपरेशन किये जाने की स्थिति में उक्त श्रेणी के रोगियों को राज्य सरकार की आउट सोर्सिंग नीति (पीपीपी) के तहत जांचें संचालित अरावली पैथ लैब से नि:शुल्क कराई जाती है।

(3) आपालकालीन विभाग में आने वाले उपरोक्त श्रेणी के समस्त रोगियों को हर समय नि:शुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

मालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की मरम्मत

9. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा का पुराना भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, जिससे जनहानि होने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा के पुराने भवन में एक वार्ड मय टायलेट एवं कोरिडोर तथा एक ओटी मय कारिडोर की पुरानी आरसीसी छत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है उक्त भवन के जीर्ण-शीर्ण हिस्से को वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय प्रावधान के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उक्त भवन में मरम्मत कार्य करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

रिसणिया (पाली) में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

10. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं? यदि हां, तो उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रिसणिया ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त गुणावगुण/आवश्यकता/मांग के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं/खोले जा रहे हैं।

(2) ग्राम रिसणियां पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत आता है। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के ग्राम रिसणियां में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रयास किया जायेगा ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित रोगी

11. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में योजना की शुरूआत से लेकर अगस्त 2012 तक कितने व्यक्तियों को इसका लाभ मिला? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तगर्त सर्पदंश, कुत्ता काटने, हार्ट पेशेन्ट सहित कई खतरनाक बीमारियों के महंगे इंजेक्शनों को भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो इस योजना की शुरूआत से लेकर अगस्त, 2012 तक बाड़मेर जिले में ऐसी गम्भीर बीमारियों के कितने मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में योजना की शुरूआत से लेकर अगस्त 2012 तक 12 लाख 59 हजार 176 मरीजों को लाभान्वित किया गया। पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में योजना की शुरूआत से लेकर अगस्त 2012 तक सर्पदंश, कुत्ता काटने, हार्ट पेशेन्ट सहित खतरनाक बीमारियों के मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया उन मरीजों का पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-अ

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में योजना की शुरूआत से लेकर अगस्त 2012 तक लाभान्वित मरीज एवं सर्पदंश, कुत्ता काटने, हार्ट पेशेन्ट सहित खतरनाक बीमारियों के मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया उन मरीजों का पंचायत समितिवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	लाभान्वित मरीजों की संख्या	सर्पदंश की मरीजों की संख्या	कुत्ता काटने के मरीजों की संख्या	हार्ट पेशेन्ट सहित खतरनाक बीमारियों के मरीजों की संख्या
1	सिवाना	116067	77	990	0
2	बाड़मेर	441243	842	853	286
3	सिणधरी	67326	140	658	12
4	शिव	42707	394	257	54
5	चौहटन	142887	502	187	10
6	बायतू	86611	65	143	0
7	धौरीमन्ना	128462	179	372	2
8	बालोतरा	233873	151	1061	422
	कुल योग	**1259176**	**2350**	**4521**	**786**

गढ़ी में सड़क निर्माण के स्वीकृत कार्य

12. श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक कौन-कौन से कार्य किस-किस योजना मद में करवाये गये तथा उन पर कितना-कितना व्यय हुआ है? मदवार स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने अपूर्ण हैं एवं क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 1 जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2012 तक कराये गये कार्यों पर किये गये व्यय, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) कुल स्वीकृत 169 कार्यों में से 134 कार्य पूर्ण तथा 35 अपूर्ण हैं। कार्य अपूर्ण रहने के कारण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकन्दरा से गंगापुर सिटी राजमार्ग का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण

13. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य मार्ग सिकन्दरा से गंगापुर सिटी वाया नादौती का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कब-कब किया गया तथा वर्तमान में कौन-कौन सा भाग किस-किस ठेकेदार के गारण्टी कार्य में कब तक के लिए शामिल है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम नादौती से शहर तक का भाग विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इस सड़क का कोई सुदृढ़ीकरण/ नवीनीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो वर्तमान में इसके लिए सुदृढ़ीकरण/ नवीनीकरण के किस प्रकार के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है एवं इसको कब तक यातायात योग्य बनाया जा सकेगा?

(3) उक्त सड़क पर सार्वजनिक निर्माण उपखण्ड गंगापुर सिटी के अन्तर्गत कमालपुरा से गंगापुर सिटी तक का पेचवर्क कब किया गया तथा वर्तमान में इस सड़क की स्थिति सुधारने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य मार्ग संख्या 25 सिकन्दरा से गंगापुर सिटी वाया नादौती के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य करने का वर्ष, संवेदक तथा गारण्टी अवधि समाप्ति की नियत तिथि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। वर्तमान में उक्त सड़क के कि.मी. 16/0 से 28/0 तक सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत गारण्टी अवधि में होने के कारण प्रस्ताव सरकार के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पास विचाराधीन नहीं है। इस सड़क को गारण्टी अवधि में अनुबन्धानुसार मरम्मत कर शीघ्र यातायात योग्य बनाया जाना प्रस्तावित है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गंगापुर सिटी के अन्तर्गत कमालपुरा से गंगापुर सिटी तक पेच कार्य माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 में किये गये थे वर्तमान में उक्त सड़क भाग पर डामरीकरण एवं सी.सी. का कार्य स्टेट प्लान में स्वीकृत एवं प्रगतिरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

14. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अलवर भिवाड़ी मेगा हाइवे रोड को किशनगढ़ बास, खैरथल, बानसूर, कोटपूतली एन. एच. 8 से सीधा जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा किशनगढ़ बास व खैरथल बाइपास का भी सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में किशनगढ़ बास से खैरथल तक फोरलेन प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर केन्द्रीय बजट से स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव किस योजना में कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा?

(6) सरकार के पास वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कितनी नवीन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य के प्रस्ताव बी.ओ.टी. योजना के तहत तैयार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किये जा रहे हैं। इसका निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं प्रोजेक्ट की वाइबलिटी पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। किशनगढ़ बास व खैरथल बाइपास का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं। किशनगढ़ बास से खैरथल तक फोरलेन कार्य, शामिल करने पर परियोजना वाइबल नहीं होने के कारण प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी नहीं। यह प्रस्ताव बी.ओ.टी. योजना के तहत तैयार किया जा रहा है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(5) उक्त प्रस्ताव बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत तैयार किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं प्रोजेक्ट की वाईबलिटी पर निर्भर होगी।

(6) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कोई नवीन सड़क प्रस्तावित नहीं है।

चौमूं में अनियमित विद्युत आपूर्ति

15. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में चौमूं में 220 केवी. ग्रिड सब स्टेशन की सप्लाई रोजना सायंकाल 6 बजे से 11 बजे के बीच अनियमित रहती है और इस दौरान 1 घंटे से 2 घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) चौमूं स्थित 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन को 1 अगस्त, 2012 से अब तक कब-कब जीरो किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को नियमित विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। कभी-कभी उत्पादन इकाई बन्द होने, पवन ऊर्जा उत्पादन कम होने व फ्रिकेन्वसी कम होने पर उतरी ग्रिड से ओवरड्राल नहीं कर सकने के कारण ऊर्जा की आपूर्ति में कमी होने के कारण उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड की सुरक्षा हेतु 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन से क्रमवार 132 केवी व 33 केवी फीडरों को काटा जाता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) चौमूं 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन को दिनांक 1 अगस्त, 2012 से अब तक कब-कब लोड जीरो किया गया का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त क्षेत्र को नियमित विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है परन्तु कभी-कभी उत्पादन में अचानक कमी आने के कारण यथा कोई उत्पादन इकाई बंद होने, पवन ऊर्जा से उत्पादन कम होने व फ्रिक्वेन्सी कम होने पर उत्तरी ग्रिड से ओवरड्राल नहीं कर सकने के कारण ऊर्जा की आपूर्ति में कमी होने पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अनियमित हो सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत खरीद पर व्यय राशि

16. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी 2008 से जुलाई 2012 तक विद्युत वितरण निगमों द्वारा अन्य राज्यों व केन्द्रीय उत्पादन निगमों से व निजी क्षेत्र से कितनी-कितनी बिजली किस-किस दर पर खरीदी गयी एवं कुल कितना भुगतान किया गया? कम्पनी वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खरीदी गई विद्युत की दरों की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक समीक्षा की गई है? यदि हां, तो क्या सबसे कम दर की निविदा व्यवस्था की प्रक्रिया अपनाई गई? वर्ष 2008 से अब तक स्वीकार की गई दर एवं खरीद की गई विद्युत पर व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनवरी 2008 से जुलाई 2012 तक विद्युत वितरण निगमों ने अन्य राज्यों व केन्द्रीय उत्पादन निगमों से व निजी क्षेत्र से खरीदी गई बिजली की मात्रा, दर एवं भुगतान का निगमवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) एक्सचेंज/यूआई दरें तथा अन्य राज्यों में की गई खरीद की दरों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही खरीद की गई है।

जी हां। सबसे कम दर की निविदा प्रक्रिया अपनाई गयी है। वर्ष 2008 से अब तक खरीदी गई विद्युत एवं दर का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत मीटर खरीद से विद्युत निगमों पर व्यय भार

17. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2010 से अगस्त, 2012 तक बिजली कम्पनियों द्वारा कितने मीटर किस दर पर किस-किस कम्पनी से खरीदे गये व इनकी कुल कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में अधिक राशि में उक्त कम्पनियों द्वारा मीटर क्रय किये गये हैं? यदि हां, तो बिजली कम्पनियों को अन्य राज्यों की तुलना में कितना घाटा लगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त हुये घाटे के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं कम्पनियों ने कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2010 से 2012 तक बिजली कम्पनियों द्वारा कम्पनी -वार खरीदे गए मीटर, उनकी दर एवं कुल लागत का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रत्येक राज्य द्वारा विद्युत मीटर राज्य के उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न के अनुरूप स्पेसीफिकेशन (मापदण्ड एवं मानक) एवं राज्य द्वारा अपनाई गई क्रय शर्तों के अनुसार क्रय किये जाते हैं क्योंकि अन्य राज्यों के तकनीकी स्पेसीफिकेशन (मापदण्ड एवं मानक) एवं आपूर्ति की शर्तें भिन्न होती हैं। अत: मीटर की खरीद दर में अन्तर होना स्वाभाविक है। बिजली कम्पनियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही मीटर खरीदे गये हैं। इसमें बिजली कम्पनियों को किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है।

(3) विभिन्न प्रकार के मीटर, निगम द्वारा तय प्रक्रिया के तहत खरीदे जाते हैं तथा इससे विद्युत निगमों को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है, इसलिए इस सम्बन्ध के किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

18. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराम समेजा)

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक कितने बी.पी.एल. परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक कितने बी पी एल परिवारों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया? उनमें से कितने आवेदकों को विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किया गया व कितनों का निरस्त किया गया और निरस्त करने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत का कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक बीपीएल परिवारों को जारी बिजली कनेक्शनों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवारों से पूर्व में आवेदन नहीं लिये जाते हैं अपितु साध्य पाये जाने वाले परिवारों से आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित किया जाता है। शहरी क्षेत्र में इस हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। श्रीगंगानगर में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक ग्रामीण क्षेत्र में साध्य पाये जाने वाले 15672 बी पी एल परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 2182 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2008 परिवारों को विद्युत सम्बन्ध प्रदान कर लाभान्वित किया गया एवं 174 आवेदकों द्वारा मांगपत्र की राशि जमा नहीं करवाने के कारण आवेदन निरस्त किये गये।

(3) श्रीगंगानगर जिले की चालू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित शेष अविद्युतीकृत 5398 बी पी एल परिवारों में से अब तक 3247 बी पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं शेष 2151 परिवारों को इसी वित्तीय वर्ष में विद्युत सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित है।

शेष रहे बी पी एल परिवारों हेतु 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में आवास करने वाले परिवारों हेतु पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की जा चुकी है। योजना स्वीकृति पश्चात योजनान्तर्गत कार्य करना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-अ

श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक विधानसभावार लाभान्वित बीपीएल परिवारों का विवरण

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र का नाम	शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र	
		प्राप्त आवेदन	कनेक्शन जारी	निरस्त	साध्य बी पी एल चिन्हित परिवारों की संख्या	जारी कनेक्शन
1	श्रीगंगानगर	471	447	24	1652	1652
2	सादुलशहर	221	211	10	1024	1024
3	श्रीकरनपुर	452	423	29	881	881
4	रायसिंहनगर	203	179	24	2840	2840
5	सूरतगढ़	681	599	82	4241	4241
6	अनुपगढ़	154	149	5	5034	5034
	कुल योग	**2182**	**2008**	**174**	**15672**	**15672**

बयाना मे पशु चिकित्सालय हेतु भू-आबंटन

19. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बयाना मे पशु चिकित्सालय का अपना भवन नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु कुंडा स्थित छात्रावास के पास उपयुक्त भूमि उपलब्ध है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि पर पशु चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कुंडा के पास उपलब्ध भूमि पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त है, परन्तु उक्त भूमि पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु आबंटित नहीं हुई है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) भूमि की उपलब्धता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाया जाता है।

भीलवाड़ा डेयरी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

20. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भीलवाड़ा डेयरी के पूर्व अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय काल में लगभग चार लाख रुपये व्यय करके चांदी के सिक्के बनवाये जिस पर अध्यक्ष का नाम अंकित था? यदि हां, तो इन सिक्कों की संख्या कितनी थी और इनका वितरण किसे किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या आडिट रिपोर्ट 24 मार्च, 2007 में इस बात का खुलासा हुआ कि यह सिक्के आम सभा में प्रस्ताव पास कर तत्कालीन अध्यक्ष ने भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार स्थित मैसर्स बिड़ला बन्धु से 24 किलो चांदी के 1400 सिक्के बनवाये थे?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 में आरजे-06-यूए-1078 की टाटा सफारी एवं आर जे-06 यूए-1067 नम्बर की स्कार्पियों गाड़ी की खरीद डेयरी में की गई, जिसकी स्वीकृति आरसीडीएफ से नहीं ली गयी तथा वर्ष 2006-07 में पिछले वर्ष की तुलना में 14 लाख 87 हजार 830 रुपये किराये के नाम पर अधिक व्यय किये? यदि हां, तो इस जांच में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भीलवाड़ा दुग्ध संघ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित महिला दिवस एवं आम सभा के लिए मैसर्स बिड़ला बन्धु सरार्फा बाजार भीलवाड़ा से लगभग 4 लाख रुपये के चांदी के प्रतीक चिन्ह क्रय किये गये। संघ अध्यक्ष होने के नाते प्रतीक चिन्ह पर "संघ अध्यक्ष व महिला दिवस" दोनों नाम अंकित थे। इन चांदी के प्रतीक चिन्हों की कुल संख्या 1400 है। महिला दिवस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को वितरित किये गये। जिनमें संघ एवं समिति सदस्य भी सम्मिलित थे। विवरण सूची प्रदर्श - "1" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(डेयरी राज्य मंत्री)

(3) जी हां। आरजे-06 यूए-1078 की टाटा सफारी वाहन एवं आरजे-06 यूए-1067 स्कार्पियों वाहन की स्वीकृति आरसीडीएफ से नहीं ली गई अपितु खरीद की स्वीकृति संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 26.02.2007 के निर्णय संख्या 6 से स्वीकृत है जिसकी प्रति प्रदर्श - "2" संलग्न है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 में वाहन व्यय लगभग 14.58 लाख रु. अधिक व्यय हुआ। इस विषय में की गयी जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दयालपुरा/जयपुर के खराब हैण्ड पम्प

21. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांवों में लगे हुये हैण्ड पम्पों की देखरेख एवं संचालन के लिये पंचायत राज विभाग को कार्य करने हेतु जिम्मेदारी दे रखी है?

(2) वर्तमान में पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर के ग्राम दयालपुरा, पंचायत हंस महल में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय दयालपुरा, अनुसूचित जाति की बस्ती एवं रेलवे लाइन के पास की बस्ती के हैण्ड पम्प खराब हैं?

(4) क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि रेलवे लाइन के पास बसी बस्ती में कुम्हारों के घरों के सामने लगा हैण्ड पम्प जो माह अगस्त-सितम्बर, 2012 में लगा है, वह खराब है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम दयालपुरा, पंचायत हंस महल में एक हैण्ड पम्प खराब है।

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दयालपुरा में अनुसूचित जाति की बस्ती एवं रेलवे लाइन के पास की बस्ती में एक हैण्ड पम्प खराब था।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी हां। दयालपुरा में अनुसूचित जाति की बस्ती में खराब हैण्ड पम्प को ठीक करा दिया गया है।

(5) ग्राम दयालपुरा में रेलवे लाइन के पास की बस्ती में कुम्हारों के घरों के सामने माह अगस्त 2012 में लगा हैण्ड पम्प खराब नहीं है। वर्तमान में हैण्ड पम्प चालू स्थिति में है।

सिरोही के अपूर्ण विकास कार्य

22. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2012 तक कौन-कौन से कहां-कहां विकास कार्य किस योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये, उसमें से कितने पूर्ण हुए एवं कितने कार्य किस कारण बकाया हैं? वर्षवार एवं योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिरोही एवं शिवगंज में विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो विकास कार्य अवरूद्ध एवं नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही (पंचायत समिति सिरोही-शिवगंज अनुसार) में जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2012 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण कार्यों का वर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मनरेगा योजना में श्रमिकों की मांग आधारित योजना होने से कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत है। अन्य विभिन्न योजनाओं में कार्यकारी एजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध न होना एवं सामग्री आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समय पर कार्यकारी एजेन्सी को सामग्री उपलब्ध न कराने से भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। पंचायत समिति सिरोही में दोनों कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं। कुछ पद रिक्त होने के बावजूद भी विकास कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं। पंचायत समिति सिरोही एवं शिवगंज के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले की ढाणियों में अग्निकाण्ड पीड़ितों के मुआवजा के लम्बित प्रकरण

23. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में ढाणियों में आगजनी की घटनाऐं होती रहती हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2012 तक बाडमेर जिले की कितनी ढाणियों एवं मकानों में आगजनी की घटनाऐं हुईं? विधान सभा क्षेत्र बायतू की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सभी पीड़ितों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2009 से 8 अक्टूबर, 2012 तक जिले की 2128 मकान/ढ़ाणियों में अग्निकाण्ड की घटनाऐं हुई हैं। विधान सभा क्षेत्र बायतू की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू के कुल 276 अग्निकाण्ड प्रकरणों में सभी प्रभावितों को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(3) बिन्दु संख्या 02 के जवाब के अनुरूप।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विधायक निधि कोष से विकास कार्यों हेतु राशि व्यय करने हेतु मानदण्ड

24. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायक स्थानीय विकास कोष की राशि में से कुछ हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर व्यय करने की अनिवार्यता सम्बन्धी निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? सम्बन्धित पत्र/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(2) क्या यह भी सही है कि विधायक निधि से राशि व्यय करने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक का है? यदि हां, तो जिला कलक्टर को उक्त अधिकार सौंपे जाने का क्या औचित्य है?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश/निर्देश को निरस्त करने/वापिस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस संदर्भ में सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 12.3.2008, दिनांक 19.4.2010, दिनांक 4.6.2012 एवं दिनांक 11.7.2012 जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट 1 पर उपलब्घ हैं ।

(2) जी हां। जिला कलक्टर को उक्त अधिकार सौंपे जाने के सम्बन्ध में पूर्व के परिपत्र दिनांक 4.6.2012 का अतिक्रमण करते हुये इस सम्बन्ध में दिनांक 11 जुलाई, 2012 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। उक्त आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2012 के परिपत्र से निरस्त हो चुका है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

तारानगर में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

25. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 से 2011-12 में स्थानीय विधायक विकास कोष तारानगर से किस-किस कार्य की कब-कब वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी की गई तथा स्वीकृत कार्य में कितने काम अधूरे हैं तथा कितने कार्य पूर्ण हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्थानीय विधायक विकास कोष, तारानगर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासकीय, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् कितने कार्य निरस्त किये गये? निरस्त किये गये कार्यों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में जनसहभागिता में विगत 4 वर्षों में कुल कितनी राशि दानदाताओं द्वारा कब-कब जमा कराई गई तथा जमा कराई गई राशि के अनुरूप मैंचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा कब-कब जारी की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से तारानगर 224 कार्यों की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी की गई तथा स्वीकृत कार्यों में से 195 पूर्ण हो चुके हैं । 2 कार्य प्रगतिरत तथा 1 कार्य चालू नहीं है। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 2 कार्यों की संशोधित अभिशंसा प्राप्त नहीं होने से वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से तारानगर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति के पश्चात 26 कार्य निरस्त किये । निरस्त किये गये कार्यो के कारणों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में जनसहभागिता में विगत 4 वर्षों में कुल 5.33 लाख रुपये की राशि दानदाताओं द्वारा जमा कराई गयी तथा राशि के अनुरूप मैचिंग ग्रांट राशि 27.42 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

26. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2010 से 2011-12 में स्थानीय विधायक विकास कोष से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में किस-किस कार्य की कब-कब वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी की गई तथा स्वीकृत कार्य में से कितने अधूरे हैं तथा कितने कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2010-11 से 2011-12 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधान सभा बहरोड़ में 126 कार्यों की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई । इनमें से 7 कार्य प्रगति में हैं तथा 117 कार्य पूर्ण हुये हैं। 2 कार्य विवादित होने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये हैं। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को स्वीकृत अनुदान व ऋण

27. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन की विविध योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक कितने व्यक्तियों एवं समितियों को कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु एवं विविध सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये एवं कितनी सहायता दी गई?

(3) उक्त अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग की कितनी नवीन इकाइयों की स्थापना हुई?

(4) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जिले में उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु कितनी सहायता उपलब्ध करवाई गई तथा कितने आवेदकों को सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी?

उत्तर

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ग्रामोद्योग स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना में सहायता राशि मार्जिन मनी स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है। जिसकी विभागवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रु. में)

विभाग	वर्ष	इकाई संख्या	मार्जिन मनी (अनुदान)
खादी बोर्ड	2009-10	10	14.75
	2010-11	17	34.33
	2011-12	5	4.05
	2012-13	-	-
खादी आयोग	2009-10	8	54.47
	2010-11	4	18.04

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

विभाग	वर्ष	इकाई संख्या	मार्जिन मनी (अनुदान)
खादी आयोग	2011-12	5	32.63
	2012-13	-	-
उद्योग विभाग	2009-10	5	30.57
	2010-11	13	28.92
	2011-12	26	80.16
	2012-13	-	-

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजना बजट वर्ष 2011-12 के अध्याधीन राज्य सरकार से स्वीकृत योजना लघु खादी परियोजना अन्तर्गत ग्रामोद्योग विकास मण्डल देवगढ़ राजसमन्द को राशि रु. 26.32 लाख रु. अनुदान एवं कार्यकारी पूंजी के रूप में रु. 8.33 लाख ऋण कुल राशि रु. 34.65 लाख उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) उक्त अवधि में जिला राजसमन्द में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत आवेदन पत्र एवं सहायता की विगत निम्न प्रकार है:-

विभाग	प्राप्त आवेदन पत्र (संख्या)	स्वीकार आवेदन पत्र (संख्या)	दी गई सहायता (लाख रु. में)
खादी बोर्ड	91	32	53.13
खादी आयोग	64	17	105.14
उद्योग विभाग	82	44	139.65
योग	**237**	**93**	**297.92**

लघु खादी परियोजना अन्तर्गत बोर्ड को राजसमन्द जिले से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसको स्वीकार कर रु. 26.32 लाख सहायता राशि एवं रु. 8.33 लाख ऋण का भुगतान किया गया।

(3) उक्त अवधि में स्थापित नवीन इकाइयों की जानकारी निम्नानुसार है:-

विभाग	नवीन ग्रामोद्योगी इकाई (संख्या)	खादी इकाई (संख्या)
खादी बोर्ड	32	-
खादी आयोग	17	-
उद्योग विभाग	44	-
योग	**93**	

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

(4) उक्त अवधि में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिले में स्वरोजगार हेतु उपलब्ध करायी गयी सहायता एवं आवेदकों को सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, उसका विवरण निम्नानुसार है:-

विभाग	लाभार्थी संख्या	सहायता राशि लाख रु.	डीटीएफसी/बैंक द्वारा निरस्त आवेदन पत्र संख्या	प्रक्रियाधीन आवेदन पत्र संख्या
खादी बोर्ड	32	53.13	39	20
खादी आयोग	17	105.14	44	3
उद्योग	44	139.65	21	17
योग	**93**	**297.92**	**104**	**40**

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 का विवरण)

परिशिष्ट-1

मण्डा की ढाणी से ढाढरियां कलां मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्रांक एफ.7(2) एमएल/2011-12/डी-01 दिनांक 13.09.2011 के द्वारा राशि रु. 82.60 लाख एवं कुल लम्बाई 4.600 की प्राप्त हुई। प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 3.975 किमी लम्बाई में डामर सड़क का कार्य पूर्ण है एवं राशि रु. 49.85 लाख व्यय किये गये हैं।

वर्तमान में मण्डा की ढाणी से ढाढरियां कलां सड़क के चैनज 2/532 से 2/797 (265.0 मीटर) में श्री गोविन्दराम मण्डा एवं श्री जयराम मण्डा निवासी ढाढरियां कलां द्वारा सड़क निर्माण के प्रारम्भ करने की तिथि 29.09.2011 से पूर्व ही अतिक्रमण किया हुआ था। दिनांक 6.01.2012 को विभाग के सहायक अभियंता एवं तहसीलदार डेगाना द्वारा इस सड़क का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाये गये तदुपरांत सा.नि.वि. द्वारा मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य तुरन्त कर दिया गया। उसके पश्चात माह जनवरी के अंत में डब्ल्यूएमएम का कार्य करने के समय श्री गोविन्दराम मण्डा द्वारा सड़क मार्ग पर तारबंदी कर अतिक्रमण कर दिया था।

चैनेज 4/240 से 4/600 (360 मीटर) में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है। सड़क के इस भाग में श्री शिवचरण पुत्र रामचन्द्र मण्डा द्वारा दिनांक 29.09.2011 सड़क निर्माण के प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व ही सड़क मार्ग में पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा था। दिनांक 6.01.2012 को विभाग के सहायक अभियंता एवं तहसीलदार डेगाना द्वारा समझाइश करने पर श्री शिवचरण पुत्र रामचन्द्र मण्डा ने स्वयं द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर श्री शिवचरण पुत्र श्री रामचन्द्र मण्डा द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तथा सड़क निर्माण का भी विरोध किया।

सा.नि.वि. द्वारा सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी डेगाना एवं तहसीलदार डेगाना को इस कार्यालय के पत्रांक 2433–34 दिनांक 11.11.2011, 2778-79 दिनांक 13.12.2011, 4132-33 दिनांक 24.02.2012, 111 दिनांक 16.04.2012, 1313-14 दिनांक 18.07.2012, 1635-37 दिनांक 20.08.2012, 1910 दिनांक 13.09.2012 एवं 2024-26 दिनांक 27.09.2012 के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया गया है, जिसे प्रशासन के सहयोग से दिनांक 05.10.2012 को हटाकर कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया है।

परिशिष्ट-2

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

खण्डेला को फ्लोराइड रहित पेयजल का वितरण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरण की ओर राज्य सरकार एवं जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के अधिकांश ग्रामों व कस्बों में भूमिगत जलस्तर दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है, जो पानी पीने के सप्लाई हो रहा है वह फ्लोराइडयुक्त है जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों में अनेक प्रकार की बीमारियां निरन्तर फैलती जा रही हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन स्थिति भयावह हो जायेगी और क्षेत्र के ग्राम व ढाणियां वीरान हो जायेंगी, लोग पलायन करने को मजबूर हो जायेंगे। इन गम्भीर परिस्थितियों के चलते मैं राज्य सरकार से इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर से मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पानी लाने की व्यवस्था कराई जाये एवं जब तक यह व्यवस्था कार्यरूप में लागू नहीं हो, तब तक कोटड़ी लुहारवास की नदी पर एक बांध बनवा कर वहां से पाइप लाइन बिछा कर खण्डेला शहर की जनता को पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ की जाये ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को फ्लोराइड से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके और आमजन सुकून की जिन्दगी जी सके।

मैं पुन: राज्य सरकार एवं जल संसाधन मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ कस्बे एवं विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, उसी तर्ज पर मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में भी फ्लोराइडमुक्त पेयजल की सुचारू व्यवस्था कर मेरे क्षेत्र की गम्भीर एवं ज्वलंत समस्या का निदान समयबद्ध तरीके से किया जाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की जाये।

धन्यवाद, जय हिन्द।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

किशनगढ़ बास में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

महोदय,

किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से गत छह माह में सैकड़ों विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुये हैं, जिसके कारण किसानों को महीनों-महीनों विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाते हैं। पुलिस द्वारा अब तक न कोई चोर पकड़ा गया और न ही कोई सामान की बरामदगी की गई। गत दिनों तहसील कोटकासिम के ग्राम पहाड़वास में लगभग पूरे गांव के सामने गोली बारी करते हुये दो भैंस को मैटाडोर में चढ़ा चोरी कर ले गये ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सही समय पर सूचना देने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकामयाब रही। नीमराणा क्षेत्र से बड़े ट्रोलों के चुराये टायरों को बीबीरानी क्षेत्र से गुजरते हुए पीछा कर रही पुलिस पर जवाबी फायरिंग करते हुये चोर भाग रहे थे ग्रामीणों के सहयोग चोरों ने अपने पिकअप गाड़ी को छोड़कर पैदल ही खेतों में से भागना पड़ा जिससे एक चोर को पुलिस द्वारा वहीं पर ढेर कर दिया बाकी चोर पुलिस को ललकारते हुऐ भाग जाने में कामयाब रहे। थाना कोटकासिम के सामने फोटोग्राफर की दुकान के सामने से दिनदहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो गई रात्रि के समय थाने के सामने से आवारा गाय व बछड़ों को पुलिस की मौजूदगी में गौ तस्कर गाड़ी में भर ले गये। हाल ही में खैरथल औद्योगिक क्षेत्र में थाने से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर सघन आबादी क्षेत्र में एक व्यापारी की फैक्टरी में रात को काम करने वाले कर्मचारियों को कमरे में बंद कर लगभग 20 लाख का कापर चोरी कर ले गये। किशनगढ़ बास कस्बे में थाने से 100 मीटर की दूरी पर व्यापारियों की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर ले गये। आये दिन अपराधियों द्वारा लूट व चोरी करने के कारण आमजन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया पुलिस का काम हरियाणा से कर रहे अवैध रूप से शराब का कार्य व अवैध खननकर्ताओं को संरक्षण देकर धन वसूली का कार्य कर रही है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं बढ़ती हुई चोरियों, लूट, गौ तस्कर व अवैध खननकर्ताओं पर तुरन्त प्रभाव से अंकुश लगे व पुलिस विभाग को चुस्त-दुरस्त कर गत छह माह में हुई लूट व चोरियों की बरामदगी की जावे। हरियाणा की सीमा से लगते थानों में पुलिस बल संख्या बढ़ाया जावे व बीबीरानी, औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर आम जन को राहत दिलवाये जाने का कष्ट करें।

रामहेत सिंह

(किशनगढ़ बास)

जैसलमेर में कानून-व्यवस्था की विफलता

महोदयजी,

राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात इस सरकार में 13वीं विधान सभा का नवां सत्र प्रारम्भ हुआ है परन्तु जब भी राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है तब जिले में तस्करी की वारदात को छोड़कर शेष कानून व्यवस्था में जैसलमेर जिला वर्षो तक ठीक रहा है परन्तु वर्तमान सरकार ने जिले में कानून व्यवस्था की जैसी दुर्गति हुई है वैसी आजादी के इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई। बेचारे आम आदमी की मजाल ही क्या सरकार अपने खजाने की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। विगत कुछ ही दिनों में चोर जिला कलक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नाक के पास स्थित उपपंजीयक कार्यालय में चोर सरकारी खजाने से 21 लाख रुपये लूट कर गये, प्रशासन कुछ भी नहीं नहीं कर पाया। अचानक सप्ताह भर बाद नगर परिषद कार्यालय की नाक के पास स्थित जिले की सबसे बड़ी बैंक एस.बी.आई. बैंक से चोर सुरंग खोदकर लगभग 1 करोड़ रुपये लूट ले गये। 1 करोड़ का तो अनुमान है कितने गये यह बैंक को भी पता नहीं। इससे पूर्व विगत दो-तीन वर्षों में जैसलमेर जिले में आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं से लूट-पाट एवं छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि पर न तो लोग सुरक्षित है न वाहन सुरक्षित है। शहर की हर गली मौहल्ले में आये दिन चोरी व डकैती हो रही है। सुरक्षित रहे गांवों में भी लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं परन्तु दु:ख यह है कि जिले की पुलिस आज तक न तो किसी बड़े चोर को पकड़ पाई है न ही किसी बड़े वारदात को खुलासा कर पाई है। और तो और जिला परिषद जैसलमेर में चोर एवं बदमाश सरकारी रिकार्ड लूटकर ले जाते हैं चोर भी जगजाहिर है परन्तु पुलिस विभाग एफ.आई.आर. दर्ज कर अपने कर्तव्य को मान लेता है। रिकार्ड के साथ छेड़ाछाड़ी साफ दिखाई दे रही है परन्तु जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग मामले को दबाने में लगा हुआ है।

जिले की पाकिस्तान से लगती सीमा से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां मादक पदार्थों की तस्करी सीमा पर बावजूद तार के आए दिन हो रही है। जिला अवैध शराब का अड्डा बना हुआ है। आम आदमी तो क्या बड़े-बड़े लोग भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेचारा आम आदमी किसी के सामने अपनी बात रख भी नहीं पा रहा है। क्योंकि आज तक आम आदमी के साथ हुई चोरी व लूटपाट की घटना का खुलासा भी नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं यह सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह यू.पी. व बिहार के कुछ जिले डकैती व लूटपाट के मशहूर हैं ऐसा लगता है कि सरकार जैसलमेर जिले को उसी श्रेणी में रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस को प्रोत्साहित कर रही है। मेरी सरकार से यही मांग है कि ऐसी घटनाओं पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने हेतु प्रशासन को सख्ती से आदेशित करें अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब जैसलमेर जिला चोरी डकैती लूटपाट व अवैध तस्करी का अड्डा बन जावेगा।

छोटू सिंह भाटी

(जैसलमेर)

सिवाना को अग्निशमन वाहन की उपलब्धता

महोदय,

मैं, राजस्थान सरकार एवं विभाग के माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिवाना उपखण्ड मुख्यालय है जिसके अन्तर्गत 40 ग्राम पंचायतें एवं 129 राजस्व गांव आये हुए हैं। उपखण्ड क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 2,13,648 हैं यहां की अधिकांश जनसंख्या एवं परिवार ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे घास-फूस के झोंपों में रह रहे हैं। उक्त उपखण्ड क्षेत्र सिवाना में आगजनी की घटना होने पर सूचना उपखण्ड/तहसील स्तर के अधिकारियों को प्राप्त होती है। उनके द्वारा सरकारी अग्निशमन वाहन (दमकल) बालोतरा से मंगवाया जाता है। क्षेत्र के गांवों में आग पर काबू पाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। साथ ही कहीं भी आग लगने की घटना के दौरान अगर बालोतरा से अग्निशमन वाहन के पहुंचने का इंतजार किया जाए तो सब कुछ राख हो जाता है। इसलिए आग लगने के दौरान ग्रामीणों को अपने स्तर पर काबू पाने के लिये प्रयास करने पड़ते हैं। क्षेत्र में हुई आग लगने की घटनाओं पर नजर डालें तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि अग्निशमन वाहन (दमकल) के पहुंचने का इंतजार नुकसान में और ज्यादा बढ़ोत्तरी कर देता है। बालोतरा की दूरी उपखण्ड क्षेत्र के अन्तिम गांव से 60 से 70 किलोमीटर हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों से लम्बी दूरी पार कर मौके तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं काफी होती हैं। लेकिन नजदीक में बालोतरा के अलावा कहीं भी दमकल की सुविधा नहीं है। बालोतरा से घटना स्थल तक दमकल के पहुंचने तक सब कुछ स्वाह हो जाता है। इस प्रकार की होने वाली घटनाएं एवं अव्यवस्थाएं प्रेस समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

अतः जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर सरकारी अग्निशमन वाहन (दमकल) उपलब्ध करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

क्षतिग्रस्त राजमार्गों से होने वाली दुर्घटनाएं

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान एक अत्यन्त ही लोक महत्व के गम्भीर मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा सम्भाग एवं राज्य के अनेक राजमार्गों की सड़कों की आज हालत बदतर है जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग काल के ग्रास बन रहे हैं और लोक कल्याणकारी सरकार का दम्भ भरने वाली राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है जिसके कारण राज्य की जनता त्रस्त है। इसके साथ ही मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जिन राजामार्गों पर वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जाती है वह मार्ग भी अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संकेतक और सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं नाकाफी हैं जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण शाहबाद से कोटा होकर अहमदाबाद जाने वाला राजमार्ग है जहां पर राजमार्ग पर जगह-जगह मवेशियों के तबेले बने हुए हैं जिससे आये दिन वाहनों से दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। सरकार निरन्तर टोल रोड को प्रोत्साहन देकर जनता की जेब पर भारी बोझ डाल रही है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लागत राशि से कई गुना अधिक राशि वसूलने की छूट दे रही है जो कि जनता के स्वतंत्र एवं निर्बाध आवागमन के मौलिक अधिकार का भी हनन है। इसके अतिरिक्त जिन राजमार्गों पर निर्धारित टोल राशि पूर्णतः वसूल हो चुकी है उन पर आज भी टोल टैक्स की वसूली जारी है जो कि नियमानुसार अवैध है। अतएव नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि टोल टैक्स वसूल करने की नीति पर पुनर्विचार करे, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों की दुर्दशा को तुरंत ठीक करायें, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता एवं व्यापक इंतजाम कराये, राज्य में रोड सेफ्टी काउंसिल के गठन के उपरांत लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति कर उसे सक्षम

बनाकर निरन्तर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कारगर कदम उठाये ताकि आमजन निर्बाध रूप से सड़क पर आवागमन करने को स्वतंत्र हो सके। धन्यवाद, जय हिन्द।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में निवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मांगी गयी सहमति

महोदय,

भारत सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों को खुदरा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय बाजारों में सीधे निवेश हेतु प्रवेश दिये जाने के निर्णय के क्रम में राजस्थान सरकार को भी इस सम्बन्ध में निर्णय करना है कि प्रदेश में एफ.डी.आई. को मंजूरी दी जाए अथवा नहीं।

यह अत्यन्त विचारणीय एवं गम्भीर विषय है कि बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रदेश में खुदरा व्यापार के क्षेत्र में सीधे निवेश करने से महंगाई पर कोई नियंत्रण हो पाएगा इसका तो कोई प्रमाण नहीं है परन्तु इससे स्थानीय व्यापारियों, किसानों एवं लघु व मध्यम स्तरीय उद्योगों का अस्तित्व जरूर खतरे में पड़ जाएगा। ये कम्पनियां अपनी नीति अनुसार प्रारम्भ में कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाकर स्थानीय बाजार को प्रतिस्पर्धा में उखाड़ फेकेंगी। पूर्व में विदेशी कम्पनियों के निवेश एवं निवेश के समय अधिकतम लोगों को रोजगार देने के वादे और सरकारी घोषणाएं केवल कपोल कल्पनाएं ही साबित हुई हैं, जबकि इनके निवेश से स्थानीय स्वदेशी उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ है।

भारतीय खुदरा बाजार में सीधे विदेशी निवेश की वर्तमान में कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसकी आवश्यकता उन देशों में महसूस की जा रही है जहां संसाधनों की कमी हो परन्तु हमारे यहां ऐसा नहीं है, संसाधनों का सुनियोजित उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर जरूर है। दूसरे इसकी आवश्यकता वहां होती है जहां तकनीकी (टेक्नोलोजी) आयात किये जाने की जरूरत हो, परन्तु विदेशी कम्पनियां यहां कोई टेक्नोलोजी विकसित नहीं करने वाली हैं।

आज हमारे देश में अपनी एक उत्पादन-वितरण प्रणाली विद्यमान है जो कि वर्षों की मेहनत के पश्चात विकसित हुई है। बाहरी कम्पनियों के प्रवेश

से यह प्रणाली तहस-नहस हो जाएगी तथा स्वरोजगार व उत्पादन प्रक्रिया भी खतम हो जाएगी। आज भारत में लघु व मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन किया जाता है। इनका अस्तित्व खतरे में पड़ने से भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। 1986 में मैक्सिकों में इस व्यवस्था ने वहां की अर्थव्यवस्था को भी बरबाद कर दिया था एवं विदेशी कम्पनियों का गुलाम बना दिया था।

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लाखों लोग खुदरा दुकानें कर अपने परिवारों का भरण-पोषण करते हैं। विदेशी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा तो दूर की बात है, स्वदेशी बड़े व्यवसायियों तक से प्रतिस्पर्धा करने में वो असमर्थ है।

भारत सरकार की महंगाई नियंत्रण के नाम पर विदेशी कम्पनियों को खुदरा व्यापार को समाप्त किये जाने की छूट दिया जाना हम सब के लिए बेहद चिन्ताजनक है क्योंकि इससे लाखों खुदरा व्यापारी न केवल बेरोजगार हो जाएंगे वरन् खुदरा व्यापार पर विदेशी घरानों के नियंत्रण से महंगाई कम होने के बजाय ओर अधिक बढ़ जाएगी।

अतः मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि भारतीय खुदरा बाजारों में सीधे निवेश के माध्यम से हमारे देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर अपने आधिपत्य में करने की विदेशी ताकतों की कुचेष्टा के प्रयासों को कदापि सफल ना होने दे। मेरा राज्य सरकार से यह आग्रह है कि प्रदेश के लाखों लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एफ.डी.आई. को मंजूरी नहीं दी जाएं।

वासुदेव देवनानी
(अजमेर उत्तर)

बीकानेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

मान्यवर,

बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की ऐसी हालत है कि जगह-जगह छोटे एवं बड़े खड्डे बने हुए हैं जिसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती और साइकिल एवं पैदल चलने वालों का तो बुरा हाल है। पैदल चलने वाले तो कई जगह चल ही नहीं सकते। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति हो तो शत प्रतिशत गिरता अवश्य है।

ऐसी कुछ सड़कें पी.डब्ल्यू.डी., यू.आई.टी., बीकानेर नगर निगम या किसी अन्य संस्था के द्वारा बनाई जानी बहुत ही आवश्यक हैं क्योंकि कई

सड़कों को यू.आई.टी. एवं नगर निगम इसलिए नहीं बनाती कि ये सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा बनाई जायेगी। कुछ एक सड़कें ऐसी जिन्हें पी.डब्ल्यू.डी. यह कहकर नहीं बनाती कि यह सड़क यू.आई.टी. के एवं बीकानेर नगर निगम के द्वारा बनाई जायेगी।

परन्तु बीकानेर यू.आई.टी. कहीं यह कहकर कि बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में उनका एरिया नहीं लगता ऐसा कहकर सड़कें नहीं बनाता है। निगम पैसा न होने का बहाना बनाकर इन सड़कों नालियों बिजली के खम्बों किसी को भी नहीं बनाता।

अत: मेरा निवेदन है कि जहां सड़कों पर मोटर गाड़ी, साइकिल, मोटर साइकिल एवं पैदल चलने के लायक नहीं हैं ऐसी सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा बनवाई जावें। जिसमें खास तौर पर कोटगेट से लोहारों में से होते हुए बड़ा बाजार तक की सड़क एवं उसके आसपास की सड़कें जो बरसात के कारण बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसे तुरन्त बनवाई जावें व अन्य सड़कें जो बरसात के कारण बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई उसे पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा आवश्यक रूप से बनाने की कृपा करें।

डा. गोपाल जोशी

(बीकानेर पश्चिम)

जहाजपुर की धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर जलदाय योजना की स्वीकृति

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कई गांवों में वर्तमान में फ्लोराइडयुक्त दूषित पेयजल ही उपलब्ध है जिससे इन गांवों के व्यक्तियों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं तथा कुछ गांवों के व्यक्तियों की तो पहचान ही इन बीमारियों से होने लगी है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के कई गांवों में कुओं का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि वर्तमान में भी पेयजल की किल्लत होने लग गई है ऐसी स्थिति में आगामी गर्मियों में तो पेयजल समस्या का निराकरण ही कठिन हो जावेगा।

मेरी जानकारी में आया है कि जहाजपुर तहसील के 73 गांवों एवं 33

ढाणियों के लिए ''धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट'' के नाम से 38.45 करोड़ की नई पेयजल योजना तैयार की गई है जो वर्तमान में तकनीकी जांच प्रक्रिया में लम्बित है। इस पेयजल योजना से जनगणना 2001 के अनुसार 75952 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जावेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए स्रोत एवं फिजीबिलीटी भी करीब 3-4 वर्ष पूर्व देखी जा चुकी है तथा इस योजना से भविष्य में वर्ष 2025 तक संभावित 1 लाख 33 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों में शुद्ध पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र की महत्ती पेयजल योजना ''धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट'' की स्वीकृति कराने का कष्ट करें ताकि ग्रामीणों को दूषित पेयजल के कारण होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिल सके।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

बायतू की प्रमुख सम्पर्क सड़कों की दुर्दशा

महोदय,

राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री का विशेष उल्लेख के तहत सड़कों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश की लोककल्याणकारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में जनहित के कई निर्णय लिये हैं। जिससे जनता को लाभ पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मार्ग सड़कों के माध्यम से ही पहुंचता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक National high way, दो State high way, दो Main District Road दो Other district road 25-30 Village road है। जिसमें पचदपरा के आसपास National high way समाप्त प्राय है। State high way No 65 में किमी 136 से 150 एवं State high way No 40 में किमी 34 से 41 कुल 13.50 किमी, किमी 59 से 78 एवं 91 से 103 कुल 44 किमी तक। Main District Road 20A पचपदरा-पाटोदी में किमी 14 से 20 कुल 06 किमी एवं एमडीआर 21 सिरखिया-आगोलाई रोड के किमी 0 से 20 तक 20 किमी, Other district roads में भाडखा-कानोड-पाटोदी-थोब रोड किमी 48 से 50 एवं

110 से 116 कुल 8 किमी, Village roads में स्टेट हाइवे 28बी से साजियाली रूपजीराजाबेरी किमी 7 से 10 कुल 4 किमी, स्टेट हाइवे 28बी से साजियाली रूपजी राजाबेरी किमी 11 से 19 तक कुल 8किमी, गीडा से माण्डपुरा खारडा किमी 0 से 5 किमी तक कुल 5 किमी, परेउ से लापुन्दडा किमी 0 से 10 किमी तक कुल 10 किमी, गीडा से सन्तरा रोड 7 से 13 किमी तक कुल 6 किमी, सवाउपदमसिंह से शहर कुल 5 किमी, खोखसर से खोससर पूर्व कुल 8 किमी, कवास-बाटाडू-उण्डू रोड किमी 2 से 9 तक कुल 7 किमी सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है कि वाहनों का चलना तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आम नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण विभाग आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। जिससे हमारी सरकार एवं विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

मेरा निवेदन यह है कि ये सड़कें मेरे क्षेत्र की नहीं बल्कि जिले की भी महत्वपूर्ण सड़के हैं। ये सडके रामदेवरा, नाकोडा जैसे तीर्थ स्थलों के साथ ही जोधपुर, जैसलमेर जिले को जोड़ने वाली सड़कें हैं। इन पर वाहनों का भारी दबाव रहता है इसलिए इनकी मरम्मत नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मंत्री महोदय को भी कई बार पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर निवेदन किया गया है। मंत्रीजी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से उक्त सड़कों का मौका निरीक्षण करवाया गया था। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त सड़कों से 60 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त बताकर मरम्मत की आवश्यकता की सिफारिश की है। राज्य सरकार एवं विभग का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा विशेष निवेदन है कि उक्त सड़कों की मरम्मत करने की स्वीकृति जारी कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करे।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

सरकारी दवा वितरण केन्द्रों पर पंजीकृत फार्मासिस्टों की नियुक्ति

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राज्य में नियम विरुद्ध बिना फार्मासिस्टों के चल रहे दवा वितरण केन्द्रों और राज्य में मौजूद हजारों बेरोजगार फार्मासिस्टों की विरोधाभासी स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट ही दवा वितरण का अधिकारी है, यदि इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी चिकित्सक की पर्ची पर दवा देता पाया गया तो उसे छह माह की कैद और एक हजार रुपए तक का जुर्माना की सजा के प्रावधान है। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गौरव कुमार गोयल विरुद्ध राजस्थान राज्य के वाद एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 11880/2012 में दिनांक 24.09.2012 को जारी आदेश में स्पष्ट उक्त फार्मेसी एक्ट 1948 के प्रावधान के अनुसार दवा वितरण हेतु क्वालीफाइड व्यक्ति अर्थात फार्मासिस्ट की अनिवार्यता अंकित की है। परन्तु सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत दवा वितरण काउन्टरों पर इस कानून का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। जहां सरकार यह दावा कर रही है कि इस योजना में राज्य भर में 15,500 नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्र चल रहे हैं, अक्टूबर 2011 से लेकर अब तक लगभग 7 करोड़ मरीज इस योजना का लाभ उठा चुके हैं परन्तु स्थिति यह है कि इन 15,500 सरकारी दवा वितरण केन्द्रों में से तीन चौथाई केन्द्रों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार जानबूझकर अपने सरकारी दवा वितरण केन्द्रों पर ही दवा वितरण कार्य में फार्मेसी एक्ट 1948 का उल्लंघन कर रही है, जिसकी सजा प्रत्येक मामले में छह माह की कैद है, तो फिर सरकारी केन्द्रों के अलावा निजी केन्द्रों पर इस कानून के उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है? मान्यवर, तथ्य यह भी है कि सरकार अनेक दवा वितरण केन्द्रों और सहकारी काउन्टरों पर दवा वितरण का कार्य ठेके पर करवा रही हे, जहां 3000 से 3500 रु. प्रतिमाह में फार्मासिस्टों से कार्य करवाने के तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसे काउन्टर पर भी फार्मासिस्टों की आड़ में दूसरे लोगों से दवा वितरण का कार्य करवाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हजारों रुपये का व्यय और वर्षों की मेहनत के साथ माता-पिता की आकांक्षाओं के धूमिल होने का दंश डिग्री धारक पंजीकृत फार्मासिस्ट बेरोजगारी झेल रहे हैं, जो कि ऐसे युवाओं के साथ अन्याय है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार सभी सरकारी दवा वितरण केन्द्रों पर पंजीकृत फार्मासिस्टों की अविलम्ब नियुक्ति करे, फार्मेसी एक्ट की अवहेलना के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करे और ऐसी व्यवस्था करे कि उक्त एक्ट के अनुरूप ही सरकारी, सहकारी और निजी वितरण केन्द्रों पर केवल और केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट ही दवा वितरण कर पाये।

सादर।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

सादुलपुर में फाटक-विहीन रेल लाइन

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चालीस-चालीस किलोमीटर तक रेल लाइन पर एक भी फाटक नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने विकट संकट पैदा हो गया है। सैकडों वर्षो से चालू कटानी रास्ते बंद हो गये हैं। किसान ऊंट गाड़ी तक अपने खेतों में नहीं ले जा पा रहा है। निम्न लोकेशन पर मनरेगा के अन्तर्गत रेल अण्डरपास का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेल खण्ड सादुलपुर से सिधमुख पर चालीस किलोमीटर तक एक भी रेल फाटक नहीं है। गुलपुरा से लूटाना/लूदी 169/1-2, 169/7-8 चैनपुरा छोटा से हासियावास 158/7-8, गुलपुरा-पहाड़सर 167/3-4, ख्याली-भगोला, चुबकियाताल-ढिगारला 151/1-2, सिधपुख-धांगड़ा 143/13-14, सिंधमुख -चुबकियाताल 146/1-6 व 144/11-12, सादुलपुर-हिसार खण्ड पर एन.एच. 65 से लूटाना-सदासुख, एन.एच. 65 से लुटाना पूर्ण 62/7-8 लसेड़ी-मिठीरेड़्वान 56/5-6 रेवाड़ी-सादुलपुर खण्ड पर रडवा-कान्धरान 246/3-4, कालरी-बेवड़ 208, 209, भोजाण-बांगडवा 202/14-15, 203/4-5, किरतान-बेवड़, 199/5-6, बेवड़-बास भरीण्ड, गुगलवा-रामपुरा बेरी 196-78, शेहर-रामपुरा बेरी 192/9, 193/0 व सादुलपुर-रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड में राजगढ़-पिलानी मार्ग सी. 142 आदि पर मनरेगा के अन्तर्गत रेल अण्डर पास स्वीकृत किये जाने पर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। मनरेगा के अन्तर्गत पंचायत वार श्रम एवं सामग्री का अनुपात मेनटेन होने के कारण ये रेल अण्डरपास स्वीकृत होने में कठिनाई आ रही है। रेल अण्डरपास किसी एक पंचायत के उपयोग में नहीं होकर ये कटानी रास्ते काफी पंचायतों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अत: मनरेगा के अन्तर्गत यह श्रम एवं सामग्री का यह रेशो सभी सम्बन्धित पंचायतों में विभाजित किया जाए, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। इस सम्बन्ध में रेलवे ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त रेल अण्डरपास की स्वीकृति अविम्लब जारी करने के लिए जिला कलक्टर चूरू को निर्देशित किया जाए।

कमला कस्वां

(सादुलपुर)

उनियारा राजकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय

महोदय,

निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय उनियारा की ओर आपका ध्यान

आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 में इस महाविद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा कृषि संकाय खोला गया था तथा मई, 2008 में सरकार द्वारा सात कृषि व्याख्याता तीन प्रयोगशाला सहायक व दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदों का सृजन कर कृषि संकाय चालू करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन बडे खेद का विषय है कि चार साल बीतने के बाद भी आज तक भी उस महाविद्यालय में कृषि संकाय में प्रारम्भ नहीं किया गया है। चालू वर्ष 2012-13 में भी सात व्याख्याताओं के पद तो भर दिये गये हैं जिन्होंने महाविद्यालय में कार्य भार भी सम्भाल लिया है लेकिन छात्रों के चयन की काउंसलिंग में एक भी विद्यार्थी का इस महाविद्यालय में आबंटन नहीं किया गया है जिसके कारण से पदस्थापित व्याख्याताओं का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, साथ ही, 2008-09 में कृषि संकाय भवन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 400 रुपये स्वीकृत कर राशि आबंटित की जा चुकी थी जिसमें चार वर्षों में मात्र भवन निर्माण छात्रावास व स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण करवा लिया लेकिन नवाचार के क्षेत्र में लेबोरेट्री, ग्रीन हाउस, नये उपकरण आदि स्थापित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि इस क्षेत्र के छात्र जो अन्य महाविद्यालयों में कृषि संकाय में कर रहे हैं, उनको इस महाविद्यालय में स्थानान्तरित करें ताकि पदस्थापित व्याख्याताओं का उपयोग हो सके। साथ ही, आबंटित राशि से शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों एवं आम जन को लाभ मिल सके।

सादर।

प्रभुलाल सैनी
(हिण्डौली)